खण्ड-259, अंक-5
शुक्रवार, 5 भाद्रपद, शक संवत् 1887
(27 अगस्त, 1965 ई0)

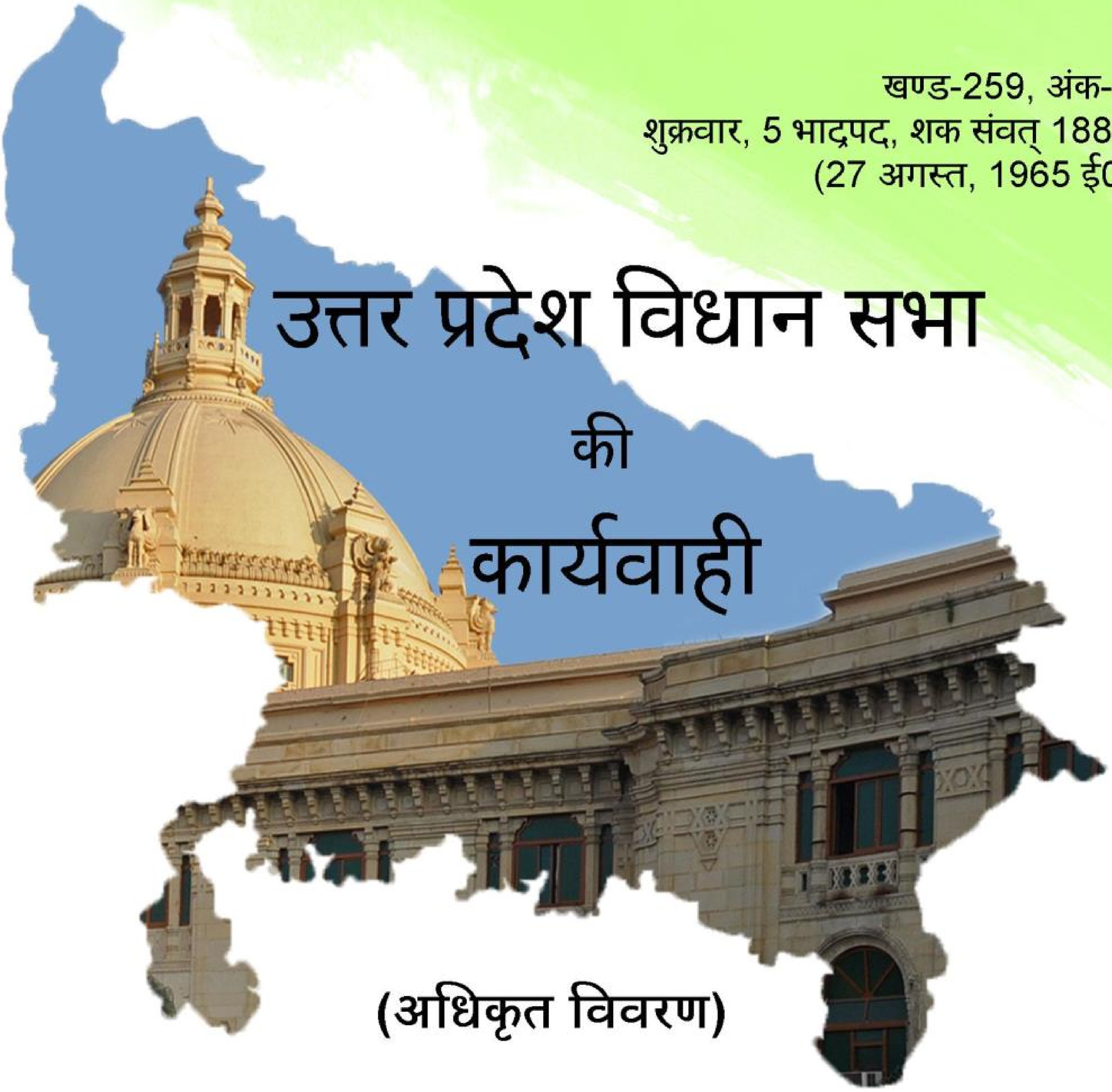

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 259 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६५

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	४०५-४०९
प्रश्नोत्तर	४०९-४४२
इंडियन फारेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६५ (मेज पर रखा गया) ..	४४२
कतिपय विषय	४४२
रेन्ट कन्ट्रोल ऐक्ट के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश मकान मालिक संघ की याचिका (प्रस्तुत की गयी)	४४३-४४५
गाजीपुर जिले में लेखपाल ट्रेनिंग स्कूल में जूनियर हाई स्कूल योग्यता के लड़कों को कमिश्नर के कथित आदेश द्वारा निकाले जाने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना	४४६
नियम ५२ के अन्तर्गत अन्य ध्यान आकर्षणार्थ सूचनायें	४४६
पंचवर्षीय योजनाओं से हुयी प्रगति की जांच एवं सुझाव देने हेतु एक कमेटी की स्थापना के संबंध में संकल्प (अस्वीकृत)	४४७-४८२
विधान मंडल सचिवालयों के वेतन क्रमों को पुनः निर्धारित करने हेतु दोनों सदनों की संयुक्त समिति के गठन के सम्बन्ध में संकल्प (जारी) ..	४८२-४९४
नत्थियां	४९५-५१२

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, २७ अगस्त, १९६५

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३७८

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अवधेश कुमार सिनहा, श्री
अवधेश प्रताप, राजा
अवैद्यनाथ, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुरपाल, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा बेगम, श्रीमती
कुमार करुणा कृष्ण नायर, श्री
कृष्ण चन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशवगुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री

गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छंगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बबकन)
जुगलकिशोर, आचार्य
जुगलकिशोर, श्री
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डे राय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराअग्रवाल, श्रीमती
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दशरथ प्रसाद, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायण सिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खां, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री

नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
पशुपतिनाथसरन सिंह, श्री
पार्तीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पूरनलाल, श्री
प्यारेलाल मिश्र, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवानसहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधवप्रसाद त्रिपाठी, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकुन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द्र शास्त्री, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वर प्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री

रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीररा.म, श्री
रघुवीर सहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार कन्नौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह , श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रा.मप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामरूपसिंह, श्री
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरत प्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिब्बनलाल सक्सेना, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री

शिवमंगल, श्री
शिवसम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीनिवास, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सूरजलाल गुप्त वकील, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—वित्त मंत्री कैलाश प्रकाश भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, २७ अगस्त, १९६५

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

पशुपालन महाविद्यालय, मथुरा तथा कृषि विश्वविद्यालय पन्तनगर में हड़ताल

**१—श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि मथुरा पशु-चिकित्सा महाविद्यालय के छात्र २ अगस्त से तथा रुद्रपुर कृषि विश्वविद्यालय के छात्र ५ अगस्त से हड़ताल पर हैं और अब उन्होंने भूख हड़ताल का भी नोटिस दिया है ? यदि हां, तो हड़तालियों की प्रमुख मांगे क्या हैं तथा सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि उपमंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)—

उत्तर प्रदेश पशु चिकित्सा एवं पशु पालन महाविद्यालय, मथुरा तथा वेटेरनरी मेडीसिन कालेज, कृषि विश्वविद्यालय, पंतनगर के स्नातक कक्षाओं के छात्र क्रमशः २ अगस्त तथा ५ अगस्त, १९६५ से हड़ताल पर हैं । सरकार को भूख हड़ताल का कोई नोटिस नहीं मिला है । हड़तालियों की मांगें निम्नलिखित हैं:

१—उन्हें वही वेतन मान अर्थात् ३५०–९५० रु० दिया जाय जो मेडिकल स्नातकों को दिया जाता है तथा उन्हें मेडिकल कर्मचारियों के समतुल्य माना जाय,

२—उन्हें प्रसार (पशुपालन कार्य) भत्ता दिया जाय,

३—पशु चिकित्सा शिक्षा प्राप्त उत्तर स्नातकों को वे जहां कहीं भी कार्य में लगे हों, उत्तर स्नातक भत्ता दिया जाय तथा उत्तर स्नातक अध्ययन (पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज) काल में अर्थात् एम० बी० एस-सी० हेतु उसी प्रकार छात्रवृत्ति दी जाय जिस प्रकार एम० डी० या एम० एस० के छात्रों को दी जाती है ।

४—उन्हें मेडिकल और इंजीनियरिंग वर्गों की भांति प्राविधिक कार्मिक (टेक्निकल परसनोल) माना जाय ।

२—चूंकि इस समय शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को सरकारी सेवा में लेने का कोई प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है और चूंकि भविष्य में दीक्षा प्राप्त करने वाले छात्र किसी भी सेवा में जाने अथवा न जाने के लिये स्वतंत्र हैं अतएव छात्रों द्वारा किसी सरकारी पद के वेतन मान आदि बढ़ाने की मांग पर किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

इस बात को देखते हुये कि राज्य में पशु चिकित्सा और पशु चिकित्सालयों की इतनी आवश्यकता है और बिहार, उड़ीसा तथा राजस्थान में भी उनको वही ग्रेड दिये गये हैं जो एम० बी० बी० एस० वालों को दिये जाते हैं, तो उनकी इन जायज मांगों को मानने में सरकार को क्या आपत्ति है ?

कृषि मंत्री (श्री गेंदासिंह)—

जहां तक उनके वेतन का सम्बन्ध है इस पर सरकार एक बार विचार कर चुकी है और अगर कहीं कोई एनामली रह गई है तो उस पर विचार करने के लिये उसने एक सब-कमेटी बना दी है, लेकिन यह स्पष्ट है कि विद्यार्थी जो पढ़ रहे हैं, उनके लिये यह जरूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी में ही वह आयें, ४ साल तक स्टडी के बाद उनको पूरी छूट है कि वह कहीं भी जाकर नौकरी करें और इस प्रकार से उन का जिद्द करना और हड़ताल पर रहना कोई वाजिब बात नहीं है ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या मंत्री जी को यह बात ज्ञात है कि जो एम० बी० बी० एस० में छात्र पढ़ते हैं उनके लिये भी यह जरूरी नहीं है कि वह नौकरी ही करें लेकिन फिर भी डाक्टर्स का ग्रेड रिवाइज किया गया है, तो फिर इन लोगों के लिये यह बहाना बनाने का क्या कारण है कि वह बाध्य नहीं किये जाते कि सर्विस में ही आयें इसलिये उन की मांगों पर विचार करने का प्रश्न नहीं उठता । यह तो प्रदेश के भविष्य का सवाल है अगर सर्विसेज यहां की अट्रेक्टिव होंगी तो वह यहां की सर्विस में आयेंगे ? तो क्या सरकार इस बात को देखते हुये कि एम० बी० बी० एस० के छात्रों के लिये या डाक्टरों के लिये कई बार ५–७ साल में ग्रेड रिवाइज किया गया है और जो पहले २००–३५० था वह अब ३५०–९५० तक कर दिया गया है, इन लोगों का ग्रेड रिवाइज न करने का कारण क्या है ?

श्री गेंदा सिंह—

श्रीमन्, मैं तो स्पष्ट कह चुका हूं उनका कोई वेतन इस समय नहीं है जो बढ़ायें । जिनका वेतन है उनके प्रश्न पर सरकार ने विचार किया है और कोई उचित बात होगी तो सरकार विचार करेगी ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जब पशु चिकित्सा महाविद्यालय के छात्र २ अगस्त से और कृषि विश्वविद्यालय के छात्र ५ अगस्त से हड़ताल पर हैं तो उन्होंने या सरकार ने इस बात की कोशिश क्यों नहीं की कि यह हड़ताल तुड़वा दी जाय ?

श्री गेंदासिंह—

श्रीमन्, बराबर यह प्रयास किया जा रहा है कि विद्यार्थियों में गुड सेन्स प्रिवेल करे और विद्यार्थी लड़ाई न लड़ें । इसको बहुतों ने मान लिया है और कुछ ने नहीं माना है ।

श्री रघुनाथ सिंह (जिला वाराणसी)—

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि जो पशु चिकित्सालय में पढ़ रहे हैं, उनके लिये यह जरूरी नहीं है कि वे शासन की नौकरी में ही आयें । तो मान्यवर यह सुविधा तो ऐसी नहीं है कि कोई उनको विशेष छूट दी गयी हो । पशुओं की चिकित्सा सामान्यतः वैसी ही है जैसी मनुष्यों की, अतः सामान्य योग्यता के लिये समान वेतन किया जाय । क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर पुनर्विचार करने की कृपा करेंगे ?

श्री गेंदासिंह—

यह बड़ा आम सवाल है कि समान योग्यता के लिये समाज वेतन दिया जाय । इसलिये जहां जैसी परिस्थिति है और आर्थिक बातें ठीक पड़ती हैं, उनका ध्यान रखा जाता है ।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके विचार करेंगे कि हमारा प्रदेश कृषि प्रधान है और कृषि की उन्नति पशुधन पर ही अवलम्बित है, तो पशुधन के विकास में लगे हुये या उसकी सेवा में लगे हुये जो व्यक्ति हैं, उनकी सेवा सम्बन्धी सुविधायें देने पर विचार करेगी जैसा कि मेडिकल प्रोफेशन में लगे हुये लोगों के लिये किया है ताकि वे लोग भी पशुधन के विकास में अधिक योगदान दे सकें ?

श्री गेंदासिंह—

ये समय से पहले ही इस बात पर कड़लजाना चाहते हैं । जो व्यक्ति पशुधन की सेवा में लगे हुये हैं, सरकार उनका भी ध्यान रखेगी ।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

अध्यक्ष महोदय, एक चिकित्सालय मथुरा में है । बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से यह पशुओं का विश्वविद्यालय वहां पर है । मैंने १० अगस्त को नियम ५२ के अन्तर्गत सवाल भी दिया था. . . . . .

श्री अध्यक्ष—

आपको जो प्रश्न पूछना है वह पूछ लीजिये ।

श्री लखीसिंह—

तो श्रीमन्, आपने उसको स्वीकार नहीं किया और आवश्यक कार्यवाही के लिये माननीय मंत्री जी को भेज दिया तो मैं यह जानना चाहता हूं कि यह खबर अखबारों में शाया हुई है और माननीय मंत्री जी कहते हैं कि छात्रों ने हमें कोई नोटिस ही नहीं दिया, हमें ज्ञान ही नहीं है कि वे हड़ताल कर रहे हैं । इस सम्बन्ध में मैं बतलाना चाहता हूं कि छात्रों ने नोटिस दिये, इस तरह से प्रदर्शन किये । कलेक्टर की कोठी तक परचा बांटा, सारी मथुरा में शोर है और जिले भर में यह आवाज है और बड़े-बड़े अखबारों में यह खबर छपी है, तो मैं जानना चाहता हूं कि उनकी मांगें जो बिलकुल जायज हैं सरकार. . . . . .

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न पूछिये ।

श्री लखीसिंह—

श्रीमन्, यह बड़ा गम्भीर सवाल है । जब ये पशुओं की चिकित्सा करते हैं तो सरकार को इनकी उचित मांगों को स्वीकार करने में क्या नुकसान है ? माननीय मंत्री जी की जो बात है वह नहीं चलेगी ।

(उत्तर के लिये मंत्री को नहीं पुकारा गया ।)

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो सब-कमेटी बनी है उसका कांस्टीटयूशन कब हुआ है और कौन-कौन अधिकारी उसमें हैं और उसके टर्म्स आफ रिफ़ेन्स क्या है ?

श्री गेंदासिंह—

श्रीमन्, सब-कमेटी का पूरा नाम तो इस समय हमें मालूम नहीं है ।

राजस्व मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—

जहां तक मुझे याद है इसमें चीफ सेक्रेटरी हैं, फायनेन्स सेक्रेटरी हैं और डिपार्टमेंट कंसर्न के सेक्रेटरी हैं ।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि अन्य पशु विद्यालयों के छात्रों के समान उनको सुविधाएं प्राप्त हैं या उनको रुद्रपुर में कोई विशेष कठिनाई है ?

श्री गेंदासिंह—

श्रीमन् ऐसी कोई बात नहीं है । जो हड़ताल कर रहे हैं उनको अन्य विद्यालयों के छात्रों की तरह समान सुविधायें प्राप्त हैं । उनमें से जरूर कुछ ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं उनको या मैरिट स्कालरशिप जरूर कुछ लोगों को मिलता है ।

श्री टम्टबेवरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि नये सर्सिव में जो लोग आने वाले हैं, उनको जो वेतन मिलने वाला है वह इस समय के इमोल्यूमेंट्स को देखते हुए कम है और प्रदेश में पशु चिकित्सक अच्छे नहीं मिलते हैं तो फिर यह कम क्यों कर दिया है ?

श्री गेंदासिंह—

यह तो सुझाव है, इस पर सरकार मुनासिब समझे तो विचार कर सकती है ।

श्री हरिशकुमार गंगवार—

श्रीमन्, मंत्री जी ने कहा कि डिपार्टमेंट्स केकर्मचारियों की मांगों पर सब कमेटी विचार कर रही है । इसलिये मैं समझता हूं कि उनकी मांगों पर विचार हो रहा होगा । लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि उनकी जो यह मांग है कि उन्हें प्रसार (पशुपालन कार्य) भत्ता दिया जाय तथा पशु चिकित्सा शिक्षा प्राप्त उत्तर स्नातकों को, वे जहां कहीं भी कार्य में लगे हों, उत्तर स्नातक भत्ता दिया जाय तथा उत्तर स्नातक अध्ययन (पोस्ट ग्रेजुयेट स्टडीज) काल में अर्थात एम० बी० एस० सी० हेतु उसी प्रकार छात्रवृत्ति दी जाय जिस प्रकार एम० डी० या एम० एस० के छात्रों को दी जाती है । इस मांग को देने में गवर्नमेंट को क्या कठिनाई है ?

श्री गेंदासिंह—

प्रश्न के पहले हिस्से में लिखा है कि प्रशु चिकित्सा शिक्षा प्राप्त उत्तर स्नातकों को जहां कहीं कार्य में लगे हों, तो वे लोग सरकार की सेवा में हैं, उनके लिये विचार अलग से हो रहा है। इसका जो दूसरा हिस्सा है उसमें बहुत सी इन बातों पर विचार करना पड़ता है। हड़ताल के पहले भी ऐसी परिस्थिति थी कि वह अपनी बात कह सकते थे। अगर वाजिब मांग होगी तो जरूर विचार किया जायगा।

कन्नौज तहसील में बिक्री-कर के बकायादार

**२—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या सरकार को ज्ञात है कि दिनांक ६ अगस्त, १९६५ को मेरे द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न ९०–९१ के उत्तर में सरकार द्वारा स्पष्ट यह आश्वासन देने के बावजूद कि "मुहलत की अवधि समाप्त हो गई है, नीलामी के लिये विशेष अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है", सरकार ने फिर फर्म बेनीराम, मूलचन्द्र परफ्यूमर्स, कन्नौज को दिनांक ६ अगस्त १९६५ को सायंकाल १५ दिन की मुहलत दे दी है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार अब अवधि न बढ़ाने का आश्वासन देगी?

वित्त उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)—

दिनांक ६–८–६५ को सरकार द्वारा यह बताया गया था कि मुहलत की अवधि समाप्त हो गई है और नीलाम के लिए अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है। इस फर्म ने सरकार से यह प्रार्थना की कि उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ न होने के कारण बिक्री कर की रकम जो अधिक लग गई है, उनसे किस्तों में ली जाय और नीलामी न कराई जाय। इस आश्वासन पर कि देय बिक्री कर का एक अंश वह अति शीघ्र अदा कर देंगे इनको १५ दिन की मुहलत दी गई। इस अवधि में इन्होंने पांच हजार रुपया जमा कर दिया और देय धन को किश्तों में वसूल करने की प्रार्थना की। यह बात न मान कर उनसे कहा गया कि कम से कम १० हजार रुपया अति शीघ्र जमा करें तब उनके प्रार्थना-पत्र पर विचार किया जा सकेगा। अतः १५ दिन की मुहलत पुनः दे दी गई।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि दिनांक ६ अप्रैल को जब यह प्रश्न किया गया था कि बेनीराम मूलचन्द्र फर्म पर कितना रुपया बाकी है। तो आपने लिखित उत्तर में यह बताया था कि १९४८–४९ में ९,०४८.९० रुपये बकाया था। तब से प्रतिवर्ष बकाया बढ़ता रहा और १९६४–६५ तक ५०,४६४.१३ रुपये बकाया हो गया। ६ तारीख को सुबह उत्तर देते हैं—"व्यापारी के ऊपर सम्पूर्ण बकाये की वसूली के लिए वसूली के प्रमाण पत्र समय समय पर जारी किये गये परन्तु उसने किसी न किसी प्रकार रोक का आदेश सरकार, उच्च न्यायालय एवं अन्य समर्थ अधिकारियों से प्राप्त कर लिया। अब सरकार द्वारा दिये गये रोक के आदेश की अवधि समाप्त हो गई है और जिलाधीश महोदय ने कन्नौज के तहसीलदार को विशेष-रूप से बिक्री अधिकारी नियुक्त कर व्यापारी की अचल सम्पत्ति को दो महीने के अन्दर ही बेचने के लिए आदेश दिया है।" यह उत्तर देने के पश्चात आपने उसको क्यों मुहलत दे दी यह बात स्पष्ट करने की कृपा करेंगे?

श्री जयराम वर्मा—

हम जो भी कार्यवाई करते हैं उसके पीछे हमारा मंशा यह होता है कि अधिक से अधिक रुपया बकाया वसूल हो सके। यह मंशा कभी नहीं रहती कि हम केवल व्यापारी को तंग करें चाहे रुपया वसूल हो या न हो। यह सोचा गया कि नीलाम की कार्यवाही करने से पहले यदि आसानी से रुपया वसूल हो सके तो देख लिया जाय, इस वजह से मुहलत दी गयी।

श्री मैनेजरसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुए कि इस फर्म पर १९४८ से बराबर बकाया चली आ रही है और सरकार की मंशा है कि ज्यादा से ज्यादा बकाया की वसूली हो उसकी पूर्ति नहीं हुई है, इस बात पर विचार करेंगे कि जिन अधिकारयों ने या जिन व्यक्तियों ने मुहलत दी है, न्यायालय के अतिरिक्त, उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करें, क्योंकि आपकी मशा पूरी नहीं हुई कि जो आपने ६ तारीख को आदेश दिया था कि नीलाम की कार्यवाही का आदेश दे दिया गया है, तो पांच हजार रूपया लेकर इस अवधि को क्यों बढ़ा दिया गया ?

श्री जयराम वर्मा—

अगर मुहलत अदालत से मिल जाती है तो उसमें हमारा कोई अख्तियार होता नहीं, यहां से जो मुहलत दी गयी है वह इस दृष्टि से कि रुपया मिल जाय। ५ हजार रुपया उन्होंने दे दिया है, दस हजार रुपया और दे दें तो फिर किस्त कर दी जायगी वरना वही कार्यवाही होगी नीलाम की।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि पांच हजार रुपया दे दिया और कहा है कि दस हजार और दे देंगे, कृपा करके मुहलत दे दीजिये, इस लिए यह सोच कर कि बकाया सहूलियत से वसूल हो जाय, उन्होंने मुहलत दे दी।

श्री मैनेजरसिंह—

सहूलियत नहीं हो रही है। एक एक फर्म पर लाखों रुपया बकाया है सरकार की लापरवाही और बेईमानी से और इस हल्के ढंग से उत्तर देते हैं कि मंशा है कि वसूल हो।

श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उनकी दरख्वास्त पर १५ दिन की मुहलत दी गयी, पांच हजार रुपया जमा किया और दस हजार और जमा करने को कहा, पंद्रह दिन के अन्दर, तो यह रुपया उन्होंने जमा किया या नहीं किया और नहीं किया तो अब क्या कार्यवाही इस पर हो रही है ?

श्री जयराम वर्मा—

दूसरी मुहलत जो १५ दिन की दी गयी है वह अभी पूरी नहीं हुई है। अगर दस हजार रुपया जमा कर देते हैं तो किस्त करने की मांग स्वीकार होगी, और यदि नहीं जमा करते हैं तो नीलाम की कार्यवाही करवायी जायगी।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या माननीय मंत्री जी अपने उत्तर के इन शब्दों की ओर ध्यान देने की कृपा करेंगे कि "इस आश्वासन पर कि देय बिक्री कर का एक अंश वह अति शीघ्र अदा कर देगें इनको १५ दिन की मुहलत दी गयी।" मैं जानना चाहता हूं कि ६ तारीख को जो उन्होंने दरख्वास्त दी उसमें कितना रुपया देने का बचन दिया था जिस पर आपने फौरन कार्यवाही करके मुहलत दे दी ?

श्री जयराम वर्मा—

प्रार्थना पत्र यहां पर मेरी फाईल में नहीं है। किन्तु उन्होंने कहा था कि नीलाम से कुछ ज्यादा रुपया वसूल होने वाला नहीं है, हम केवल तंग हो जाएगे। इसलिये हमसे कुछ रुपया ले लिया जाय और फिर किस्त में कर दी जाये तो सरकार का रुपया भी आसानी से वसूल हो जाएगा और हमें तंगी भी नहीं होगी।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

क्या इस वसूली के दरमियान माननीय मंत्री जी को यह भी पता चला है कि जिस अवधि में इस फर्म से रुपये की वसूली की कार्यवाही हो रही थी और इतना अधिक रुपया बाकी था, फर्म को सरकार ने और भी कुछ रुपया मदद में दिया है ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया।)

श्री हरीशकुमार गंगवार—†

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि यह जो फर्म बेनीराम मूलचन्द्र। परफयूमर्स, कन्नौज हैं, इसके प्रोप्राइटर श्री चन्द्र गुप्त, कांग्रेस पक्ष से कन्नौज नगरपालिका के चेयरमैन हैं और मुहलत हेतु इनके प्रार्थना-पत्र पर श्री गिरधारी लाल और वित्त मंत्री के खुद रिकमेन्डेशन थे ?

वित्त मंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)—†

जी हां, मुझे पता है और इस बात का पता होने के पश्चात् ही रुपया वसूल करने के लिये यह तरीका रखा गया है।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

श्रीमन्, मैं इस विषय पर नियम ५० के अन्तर्गत विवाद की आज्ञा मांगता हूं।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

तारांकित प्रश्न

[६ अगस्त, १९६५ के स्थगित तारांकित प्रश्न]

जिला देहरादून में मार्ग निर्माण में अध्याप्त भूमि का मुआवजा

*७—श्री गुलाब सिंह (जिला देहरादून) (अनुपस्थित)

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला देहरादून में चकरोता त्यूनी और चपरोता मंसूरी कालपी, बड़कोट तथा आरा कोट सालों (रोड राजवन मीनस) सड़क का हिस्सा, मोटर मार्ग के बनाने में किन-किन व्यक्तियों की जमीन तथा दूसरी चीजों की क्षति हुई है और किन किन को इस क्षति का मुआवजा मिल चुका है और किन किन को बाकी रह गया है और कब तक मिल जायगा ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री जगनप्रसाद रावत)—

वांछित सूचना माननीय सदस्य की मेज पर रखी सूची† में दी हुई है।

जमुनाघाट इटावा के ठेकेदार के विरुद्ध शिकायत

*२०—श्री डूंगरसिंह (जिला हमीरपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जमुना घाट, इटावा के ठेकेदार की जो २० वर्षों से लगातार उस पीपे के पुल का ठेका लेता चला आ रहा है, इस बात की अनेक शिकायतें हैं कि वह मुसाफिरों से मनमाना महसूल लेता है और न होने पर उनका अपमान तक करता है, सरकार से इस प्रकार की शिकायतें की गई हैं और पिछले वर्ष सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी से भी उनके इटावा पहुंचने पर भी की गई थी परन्तु उन पर कोई कार्यवाही अभी तक क्यों नहीं की गई ?

---

†छापी नहीं गई।

श्री जगनप्रसाद रावत—

जमुना घाट, इटावा का ठेका सन् ४७–५० की अवधि के लिए सर्वश्री बाबूराम, राम स्वरूप, सन् ५०–५३ के लिए श्री बाबू राम, सन् ५३–५६ के लिए श्री रामनाथ, सन् ५६–५९ के लिए श्री बाबूराम व उसके बाद श्री ओम प्रकाश सिंघल के पास रहा है।

वर्तमान ठेकेदार के प्रतिकूल अधिक कर लेने की कुछ शिकायतें आई हैं। कुछ के सम्बन्ध में ठेकेदार पर नियमानुकूल अर्थदण्ड लगाया गया है। मुझे दी गई कुछ अन्य शिकायतों के सम्बन्ध में अभी जांच हो रही है।

*२१—श्री डूंगरसिंह—

क्या यह सत्य है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के कर्मचारी इस ठेकेदार से इस कारण दबते हैं कि यह उनकी झूठी शिकायतें फर्जी नामों से करा देता है और इस प्रकार वह मनमाना महसूल लेने में सफल हो जाता है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जी नहीं।

*२२—श्री डूंगरसिंह—

क्या यह सत्य है कि ३ मार्च, १९६५ को जिला इंजीनियर सार्वजनिक निर्माण विभाग ने इस ठेकेदार की गोलक चेक करने की कोशिश की परन्तु उन्होंने गोलक चेक नहीं होने दी और उन्हें पीटने की धमकी दी क्योंकि उसमें ओवर चार्ज के रुपये थे ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

३ मार्च, १९६५ को अधिशासी अभियन्ता व जिला अभियन्ता को वर्तमान ठेकेदार ने गोलक चेक नहीं करने दी। लीज की शर्तों के अनुसार उसके ऊपर अर्थदण्ड लगाया गया। ठेकेदार के प्रतिकूल अन्य आवश्यक कार्यवाही भी जांच पूर्ण होने के पश्चात् की जायेगी।

श्री डूंगरसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह अर्थ दण्ड कब लगाया गया है ? और जब से यह अर्थ दण्ड लगाया गया है तब से ठेकेदार के विरुद्ध इस प्रकार की कोई अन्य शिकायतें आयी हैं या नहीं आयी हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

तारीख तो मेरे पास इस समय है, लेकिन जरा देर लगेगी ढूंढ़ने में, किन्तु उसके बाद भी शिकायतें आयी हैं।

श्री डूंगरसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह जांच कब शुरू हुई और अन्दाजन कब तक समाप्त हो जायगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

कुछ जांच तो हमने पहले विभाग के लोगों से कराई थी लेकिन इसके बाद जब कुछ शिकायतें ज्यादा आयीं तो जो जो शिकायतें आती गयीं, उन्हें हमने डी० एम० के पास भेज दिया है, वही अब उनकी जांच करेंगे। जांच कब तक समाप्त होगी इसके बारे में कुछ नहीं बताया जा सकता है यह तो इस पर मुनहसर है कि इस बारे में कितनी शहादतें आती हैं।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)---

क्या माननीय मंत्री जी को यह पता है कि ऐसी ही शिकायत जैसी कि इस प्रश्न में है पीपे की पुलों के बारे में वैसी ही शिकायत प्रदेश के समस्त जनपदों से है और मैं हर जगह की इंस्टांसेज कोट कर सकता हूं ? तो क्या सार्वजनिक निर्माण विभाग यह नीति तय करेगी कि जहां पुलों पर वही लोग खर्चा करवाते कर रहे हैं वहां से ठेकेदारी सिस्टम तोड़ दिया जाय ?

श्री जगनप्रसाद रावत---

कुछ इस प्रकार के प्रयोग भी किये जा रहे हैं हम ठेकेदारों के बजाय डिपार्टमेंट द्वारा काम करायें और यदि इसमें सफलता मिली तो हम कोशिश करेंगे कि डिपार्टमेंट के द्वारा ही काम करवाया जाय।

श्री धर्मदत्त वैद्य (जिला बरेली)---

क्या इटावा के इस नदी के पुल पर एक साइनबोर्ड लगा हुआ था जिसमें दरें गलत थीं और वह साइनबोर्ड पकड़ा गया और जिस इंजीनियर के हस्ताक्षर उस पर थे उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री जगनप्रसाद रावत---

यह शिकायत उस पुल के सम्बन्ध में नहीं थी जिसके सम्बन्ध में यह प्रश्न है ।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल---

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जब वे पिछले दिनों इटावा गये थे तो इस पुल से सम्बन्धित ठेकेदार के विरुद्ध बड़े ही गम्भीर आरोप उनके सामने लगाये गये थे और उसमें यह कहा गया था कि पी० डब्ल्यू० डी० के सीनियर अधिकारियों की उसमें साज बाज है ? तो क्या उन्होंने इस प्रकार की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए यह आदेश दिया है कि उच्चाधिकारियों द्वारा जांच हो ?

श्री जगनप्रसाद रावत---

जब मैं इटावा गया था उस समय इस पुल के सम्बन्ध में यह नहीं बताया गया था कि वहां के इंजीनियर की पुल के ठेकेदारों के साथ कोई सांठगांठ है ।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)---

अभी सरकार ने कहा है कि विभाग द्वारा काम कराने का प्रयोग किया जा रहा है, तो यह प्रयोग विभाग द्वारा कहां-कहां चलाया जा रहा है ?

श्री जगनप्रसाद रावत---

इसकी तफसील तो इस समय नहीं है लेकिन जिलाघाट में इस प्रकार का काम हो रहा है ।

श्री रघुनाथसिंह---

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ठेकेदार के विरुद्ध गम्भीर शिकायत है और फिर भी यह ठेकेदार ठेके प्राप्त करता है तो क्या सरकार इसकी जांच कराने की कोशिश करेगी कि इसकी लगातार जो सफलता हुई है इसके पीछे इसमें कोई अवांछनीय तत्व तो नहीं है ?

श्री जगनप्रसाद रावत---

डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इसकी जांच कर रहे हैं, उसमें यह सभी चीजें आ जायेंगी ।

* * * *

फर्रुखाबाद में गंगा पर पुल

*३५—श्री होरीलाल यादव—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रान्तीय सरकार चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के फर्रुखाबाद में गंगा नदी पर पुल बनाने के लिये विचार कर रही है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अग्रिम कार्यवाही के लिये कुछ सड़कों तथा पुलों की एक सूची तैयार की गई हैं, उसमें यह पुल सम्मिलित है। इसका निर्माण उस योजना के विस्तार तथा उच्चतम धनराशि पर निर्भर करेगा।

श्री होरीलाल यादव—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इसमें कुछ सर्वे का कार्य शुरू किया गया है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

अगर कुछ रुपया मिले तो सर्वे का काम होगा।

* * *

हरदोई-लखनऊ सड़क चौड़ी करने के लिए अधिगृहीत भूमि का मुआवजा

*४२—श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री प्रश्न संख्या ५३, ५४, ५५, दिनांक २३ फरवरी, १९६० के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट, लखनऊ ने अपने पत्र संख्या ५२/VIII-123 misc/LAO, दिनांक २२ जनवरी, १९५९ व पत्र-संख्या 47/VIII-misc-LAO, दिनांक २९ नवम्बर, १९५८ के द्वारा इक्जीक्यूटिव इंजीनियर, प्राविंशियल डिवीजन, लखनऊ को यह सूचना दी थी कि भूमि नं० १७४, २१५, २२१, २२४, २२८, २२९, २३० और २३१ को सार्वजनिक निर्माण विभाग ने बिना किसी अधिकार के कब्जा कर लिया था और परामर्श दिया था कि विभाग संबंधित काश्तकारों से मुआविजे का बाहमी समझौता कर लें ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जी हां।

अतिरिक्त जिलाधीश, लखनऊ तथा लैन्ड एक्वीजीशन अफसर ने प्रश्न में वर्णित अपने पत्रों में जो सूचना दी थी वह यह समझकर दी थी कि प्रश्नगत भूमि स्थाई रूप से ली गई थी, जबकि प्रश्नगत भूमि का अर्जन अस्थायी रूप में किया गया था और उस पर अधिकार अधिकृत रूप से लिया गया था। अतएव अतिरिक्त जिलाधीश का कथन कि प्रश्नगत भूमि पर अनधिकृत कब्जा लिया गया था, गलतफहमी के कारण था। इसलिये काश्तकारों से मुआविजे के बाहमी समझौते का प्रश्न नहीं उठता।

*४३—श्री भीखालाल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि विभाग ने जिलाधीश लखनऊ को आदेश दिया था कि इस भूमि के मुआविजे के संबंध में संबंधित काश्तकारों से समझौता कर के मुआविजा दे दिया जावे और कुछ धन जिलाधीश के पास भेज दिया था जो अब भी जिलाधीश या लैन्ड एक्वीजीशन अफसर, लखनऊ के पर्सनल लेजर में जमा है ? यदि हां, तो वह धन कितना है और समझौता का प्रयास किया गया या नहीं ? यदि किया गया, तो क्या परिणाम निकला ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जी नहीं ।

ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया और न ही कथित मुआविजे के लिये कोई धनराशि जिला अधिकारी के पास रखी गई ।

श्री भीखालाल—

मैं यह जानना चाहता हूं कि अगर कोई जमीन स्थायी रूप से ली जाय या अस्थायी रूप से ली जाय सब को लैन्ड एक्वीजिशन अफसर एक्वायर करके देता है तो फिर किस आधार पर कहते हैं कि लैन्ड एक्वीजीशन अफसर को गलतफहमी हुई और विभाग ने नाजायज तरीके से कब्जा कर लिया ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जो उनके पास कागज थे उनको देखने से उनको भ्रम हो गया था । जब उनको पता लगा तब मालूम हुआ कि यह बात है ।

श्री भीखालाल—

जिस पत्र का हवाला दिया गया है वह नवम्बर, १९५८ का है । नवम्बर, १९५८ में ए०डी०एम०, लखनऊ ने विभाग को सूचना दी कि विभाग ने अनअथाराइज्ड कब्जा कर लिया है । उसके २ महीने के बाद जनवरी, १९५९ में विभाग ने काश्तकारों को सूचना दी कि उनके मुआविजे के कागजात तैयार हो रहे हैं मुआविजा दिया जायगा तो इस विभाग ने किस गलत-फहमी के आधार पर उनको सूचना दी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

इसकी तफसील मेरे पास नहीं है ।

श्री भीखालाल—

क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि एक्जिक्यूटिव इंजीनियर पी०डब्लू० डी० ने १९५७ में जिलाधीश, लखनऊ को यह आदेश दिया था कि आप काश्तकारों से बाहमी समझौता करा दें और जिलाधीश ने जो इसका तखमीना मंगाया था वह ७५ हजार के लगभग काश्तकारों ने दिया, जिलाधीश ने बाद को वह २० हजार बना कर दिया । उसके बाद काश्तकारों से समझौते की बातचीत हुई । अप्रैल, १९६० में समझौता की कार्यवाही लैन्ड एक्वीजीशन अफसर के यहां हुई । उसमें कोई समझौता नहीं हो सका । अगर इस तरह का कोई आदेश नहीं दिया गया तो यह कार्यवाही कैसे चली ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

कोई भी मसला सरकार के पास आता है तो बजाय इसके कि हम मुकदमेबाजी में फंसें अगर कोई समझौते की बात हो सकती है तो उसको करना चाहते हैं । मुनासिब बात हो तो हम समझौते की बात करते हैं और अगर कोई मुनासिब बात नहीं होती है तो फिर अदालत में जाने के सिवाय और कोई चारा नहीं रह जाता है । वैसे हमारी कोशिश यही रहती है कि बातचीत से मामला हल हो जाय ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इन खेतों पर सार्वजनिक निर्माण विभाग का कब्जा है या नहीं और मआविजा किस दर पर दिया गया है ? क्या मंत्रि परिषद ने जो नयी दरें मंजूर की हैं उन दरों से मुआविजा दिया जायगा ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

यह तो पुरानी बातें हैं और पुराने तरीके से ही उनका फैसला हुआ है।

श्री उग्रसेन—

क्या अब माननीय मंत्री जी अपनी गलती को ठीक करने के लिये मुआविजा दे रहे हैं इसलिये कि बिना मुआवजा दिये ही उनकी जमीन पर कब्जा कर लिये थे ? तो आखिर अब आप इस संबंध में क्या चाहते हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

मैंने जो कुछ था वह आप को बता दिया ।

श्री भीखालाल—

आपको यह तो विदित ही होगा कि लैन्ड एक्वीजीशन अफसर ने नाजायज तरीके से कब्जा कर लिया । पी०डब्लू०डी० कहता है कि गलतफहमी है । इसके बाद वह कहता है कि कागजात तैयार हो रहे हैं तो इस तरह दोनों विभाग एक दूसरे पर टाल रहे हैं और कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है । दूसरे जो प्रोसीडिंग्स चलीं लैन्ड एक्वीजीशन अफसर के यहां उस की फाइल में २३ दिसम्बर का आदेश है कि जमीन का मुआवजा दिया जा रहा है और इस पर से जो पेड़ काटे गये हैं, उस का मुआवजा बाद में दिया गया । इसी में दूसरी जगह लिखा है कि कब्जा दे दिया गया लेकिन पेड़ों का मुआविजा नहीं दिया गया । तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वह स्वयं हस्तक्षेप कर के लैन्ड एक्वीजीशन अफसर की फाइल मंगा कर और अपने विभाग की फाइल मंगा कर इस मामले को निपटाने का प्रयास करेंगे ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जहां तक कानून और पत्र व्यवहार का सवाल है उसमें तो रिट भी हो चुका है, और वह खारिज भी हो चुका है, लेकिन न्याय की दृष्टि से अगर माननीय सदस्य मुझे कन्विस कर देंगे कि किसी के साथ ज्यादती हुई है तो हर सूरत में मैं उसे दूर करने के लिये तैयार हूं ।

* * *

नरौली ग्राम के निकट पुलिया

*५३—श्री सुरजनराम विशारद (जिला आजमगढ़), श्री ऊदल (जिला वाराणसी) तथा श्री विजयपाल सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ के दक्षिणी भाग में ग्राम नरौली (सिधारी) के पास जो पुल गत वर्ष बनाया गया है उस पर कितना खर्च हुआ है और क्या यह सही है कि उक्त पुल के सभी पाये धराशायी हो गये हैं ? यदि हां, तो क्यों और इसकी जिम्मेदारी किस पर है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

इस पुलिया के निर्माण में २०,२६८ रुपया व्यय हुआ है । इस पुलिया का कोई भी पाया धराशायी नहीं हुआ है ।

श्री सुरजनराम विशारद—

मैंने स्वयं इस पुलिया को देखा था । पाया नम्बर ४ और ६ तो टूट कर जमीन पर गिर गये और सड़ गये हैं । इस जुलाई के आखिरी हफ्ते में मैंने फिर इसे देखा था । माननीय मंत्री जी को जो सूचना मिली है जिला अधिकारियों से वह सही नहीं है उसमें सच्ची बात को छिपाया गया है । तो क्या मंत्री जी इसकी दुबारा जांच करायेंगे ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

न मैं आपकी सूचना को गलत मानूंगा और न अधिकारियों की, लेकिन दुबारा जाच जरूर करा लूंगा ।

* * *

जिला बांदा में राज्य मार्ग

*६५—श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बांदा में राज्य मार्ग कौन-कौन हैं तथा क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि जिला बांदा के शहर बांदा में बड़ी फौजी छावनी थी, जिसके द्वारा बांदा से झांसी व बांदा से ग्राम गुरेह होती हुई ग्राम बिलगांव-कोरंही-ओरन होती पहाड़ी से राजापुर होती, इलाहाबाद व बांदा से कालिंजर व मध्यप्रदेश के पन्ना से कालिंजर होती, बधेला-बारी होती, चित्रकूट-इलाहाबाद यह तीन फौजी व तीर्थ यात्रियों के आवागमन के राजमार्ग है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जिला बांदा में सार्वजनिक निर्माण विभाग की देखभाल में जो मार्ग हैं उनकी सूची माननीय सदस्य की मेज पर रक्खी है। सरकार को ऐसी कोई सूचना नहीं है कि प्रश्न में उल्लिखित मार्ग फौजी या तीर्थ यात्रियों के आवागमन के राज मार्ग हैं।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४९५ पर)

*६६—श्री मतोलासिंह—

क्या सरकार इन तीनों राज्य मार्गों के पक्का कराने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्या आगामी पंचवर्षीय योजना में इसे वह ले लेगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

आगामी पंचवर्षीय योजना का आकार और रूपरेखा अभी निश्चित नहीं हुई है । अतः यह कहना संभव नहीं है कि उस योजना के अन्तर्गत किन मार्गों को पक्का कराया जा सकगा ।

श्री मतोलासिंह—

यह रिपोर्ट जो सरकार के पास आई है यह बिलकुल गलत है। पहले भी यह रास्ते थे। तो क्या सरकार इसकी जांच करायेंगी ?

(उत्तर के लिये मंत्री को नहीं पुकारा गया ।)

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

इनका प्रश्न यह है कि क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि जिन मार्गों का माननीय सदस्य ने अपने प्रश्न में जिक्र किया है वह पहले से चलते हुए मार्ग हैं या नहीं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जहां तक इन मार्गों का संबंध है यह कच्चे मार्ग हैं। मैं इन मार्गों के महत्व से इनकार नहीं करता। इनका पुराना क्या इतिहास है यह मुझे पता नहीं । लेकिन चौथी योजना में जितना धन उपलब्ध होगा, उसी प्रकार हम इन मार्गों को लेंगे और पक्का बनाने की कोशिश करगे।

गंजडुंडवारा सड़क

*६७—श्री राजेंद्रसिंह तथा श्री लोकपाल सिंह (जिला एटा)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला एटा में गंजडुंडवारा की सड़क के महत्व को देखते हुए जिला परिषद एटा एवं जिलाधीश ने इस बात की सरकार से संस्तुति की है कि इस सड़क का प्रांतीयकरण कर लिया जावे ? यदि हां, तो उक्त सड़क का कब से प्रांतीयकरण किया जा रहा है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जी हां । धनाभाव के कारण इस सड़क का प्रांतीयकरण इस समय संभव नहीं है ।

श्री राजेंद्रसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी इस सड़क के महत्व को देखते हुये चौथी योजना में, जैसा कि जिला परिषद् ने भी चौथी योजना में इसे प्राथमिकता देने की सिफारिश की है, इस सड़क का भी प्रांतीयकरण करेंगे ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

अवश्य ।

* * *

गाजीपुर जिले में सड़कों का निर्माण

*७४—श्री झिलमिटराम (जिला गाजीपुर)—

क्या सरकार ८ मई, सन् १९६४ के तारांकित प्रश्न सं० ६४ के उत्तर के संदर्भ में बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले में ४३ मील ३ फर्लांग पक्की सड़कों का निर्माण तृतीय पंचवर्षीय योजना में जो स्वीकृत हुआ था वे सड़कें कौन-कौन हैं और उनमें से कितनी मील पक्की सड़कें बन चुकी हैं और कितनी बाकी हैं तथा इसके अतिरिक्त ९१ मील सड़कों के निर्माण की योजना जो सरकार के विचाराधीन थी, वे सड़कें कौन हैं और क्या उन पर कार्य शुरू कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब से ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

प्रथम भाग—आवश्यक सूचना सदन की मेज पर रखी सूची "क" में अंकित है। इन भागों में से केवल जमनिया-दिलदारनगर (५ मील) मार्ग पूर्ण हो गया है शेष सड़कों पर कार्य प्रगति में है।

द्वितीय भाग ९१ मील सड़कों का विवरण सूची 'ख'† में दिया हुआ है। इन सड़कों में निम्नलिखित दो सड़कों पर कार्य अप्रैल, १९६५ में शुरू हुआ है:

१—नन्दगंज, चौचकपुर, तथा

२—युसुफ पुर-जैरामपुर ।

श्री झिलमिटराम—

क्या सरकार जो बाकी सड़कें रह गयी हैं उनको तृतीय योजना के अन्त तक पूरी कराने की कृपा करेगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

तृतीय योजना का तो बहुत थोड़ा समय रह गया है, जितना ज्यादा हो सकेगा, बनवाने की कोशिश करेंगे ।

---

†छापी नहीं गया ।

श्री कमला सिंह यादव—

वहां पर श्रीमन्, इनका एक विभाग है जिसमें १ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ५ असिस्टेंट इंजीनियर और १५ ओवरसियर हैं जो इसी काम के लिये रखे गये हैं। लेकिन फिर भी ४५ मील सड़क में से ५ मील ही सड़क बनी है। तो क्या माननीय मंत्री जी इसकी रफ्तार को तेज करके, जल्दी से जल्दी इस काम को पूरा करायेंगे ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जो भी प्रयत्न जल्दी कराने का संभव होगा किया जायेगा।

श्री कृष्णानन्द राय—

४५ मील सड़क जो गाजीपुर में बननी थी उसमें से केवल ५ मील ही बनी। इसके अलावा पटेल कमीशन ने जो रिकमेन्ड की थी उस पर तो काम शुरू हीं नहीं हुआ है। इसका एक मात्र कारण यह है कि डिस्ट्रिक्ट यूनिट ने जो फाइनेंशियल एक्सपेंडीचर बना कर भेजा है उसको अभी तक हेड क्वार्टर ने स्वीकार ही नहीं किया है। तो माननीय मंत्री जी इसे शीघ्र स्वीकार करवाने की कोशिश करेंगे ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जो आपने कहा उसके क्या इम्पलीकेशन्स हैं वह मेरी समझ में नहीं आये। लेकिन जो आप मुझे बतायेंगे वह मैं पता लगा लूंगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो धनराशि रखी गयी थी इसके खर्च के लिये वह अब तक खर्च नहीं हो पायी उसका क्या कारण है और जिन अधिकारियों ने लापरवाही बरती है क्या उनके खिलाफ सरकार कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

अगर उस देर होने में किसी अधिकारी की जिम्मेदारी होगी तो जरूर उसको दंड दिया जायेगा।

श्री कृष्णानन्द राय—

यह बड़ा गम्भीर प्रश्न है। अनेकों बार यह प्रश्न उठा है पटेल कमीशन द्वारा रिकमेंडेड जितने भी कार्य हैं वे एक भी पूरे नहीं हुये। तो क्या माननीय मंत्री जी इसकी कोई जांच करायेंगे ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

पटेल आयोग की जो सिफारिशें हैं, उसके बाद जो सर्वे आदि हुआ और जो धनराशि स्वीकृत हुई उसमें तो समय लगा। अब उसके बाद के कार्य म यदि इंजीनियरों की कोई गलती है जिसके कारण काम नहीं शुरू हुआ तो उनको दंड दिया जायेगा। अगर कमीशन की सिफारिशों आदि में देरी हुई है तो मजबूरी है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

श्रीमन्, कहीं-कहीं पर तो काम शुरू हुआ, कहीं पर काम नहीं शुरू हुआ, तो अगर उसमें इंजीनियरों की लापरवाही नहीं है तो किस कारण से काम शुरू नहीं हुआ ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

कहने में बहुत-सी बातें साधारण मालूम होती हैं, जांच में उतनी साधारण नहीं होतीं। उन सब का कारण होता है।

(श्री रघुनाथसिंह का नाम पुकारे जाने पर)

कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला जौनपुर)--

जौनपुर जिले के लिये भी पटेल आयोग ने अपनी सिफारिश की थी, वहां भी उसके आधार पर एक सड़क नहीं बनी। इसका क्या कारण है ?

(उत्तर के लिये मंत्री को नहीं पुकारा गया ।)

श्री रघुनाथसिंह--

माननीय मंत्री जी ने बताया कि कोई अधिकारी देरी के लिये जिम्मेदार होगा तो उसको दंड दिया जायेगा। तो यह होश मंत्री जी को प्रश्न पूछने के बाद आया कि उसको दंड दिया जायेगा ? क्या इसके पहले ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

अगर कोई माननीय सदस्य कोई खास सड़क की बात पूछेंगे तो मैं तफसील के साथ बता सकता हूं। मैंने कहा कि देरी अगर अधिकारी की लापरवाही के कारण होगी तो उसको दंड दिया जायेगा।

* * *

बदायूं-बबराला रेलवे लाइन

*८०--श्री सूरजपालसिंह यादव (जिला बदायूं) (अनुपस्थित)--

क्या राज्य सरकार केंद्रीय सरकार से यह सिफारिश करने की कृपा करेगी कि बदायूं जिले में बदायूं से सहसवान होती हुई बबराला तक कोई रेलवे लाइन बनवायी जाय ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगन प्रसाद रावत--

जी नहीं। केंद्रीय सरकार ने राज्य सरकार को सूचित किया है कि धनाभाव के कारण इस समय वे किसी नये रेलवे प्रोजेक्ट को हाथ में लेने अर्थात् निर्माण करवाने में असमर्थ हैं।

* * *

हरिद्वार-ऋषिकेश बाई पास

*८६--श्री जयगोपाल (जिला सहारनपुर)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को मालूम है कि हरिद्वार से ऋषिकेश को मिलाने के लिये १९६२ में एक बाई पास बनाया गया था ? यदि हां, तो उस बाई-पास का प्रयोग क्यों नहीं किया जा रहा है ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

इस पर आने जाने की कोई रोक नहीं है।

*८७--श्री जयगोपाल--

क्या सरकार विचार करेगी कि हरिद्वार-ऋषिकेश सड़क पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक होने की वजह से बाई-पास को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाय ?

श्री जगन प्रसाद रावत--

जैसा गत प्रश्न के उत्तर में कहा गया है इस बाई-पास के इस्तेमाल में कोई रोक नहीं है।

श्री जयगोपाल--

क्या माननीय मंत्री जी अपने इंजीनियरों को हिदायत देंगे कि वे पब्लिक की गाड़ियों को वहां जाने से न रोकें ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

इसका प्रबंध तो ट्राफिक पुलिस करती है। सड़क के रख-रखाव में यदि कोई गड़बड़ी हो तो हम उसको दूर कर सकते हैं।

ग्रांड ट्रंक रोड पर ईशान नदी का पुल

*८८—श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—

क्या सार्वजनकि निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर जिले में प्रदेश स्तर के पशु मेले व क्षेत्र की महत्ता को देखते हुए अरौल-मकनपुर रोड पर मकनपुर में ईशन नदी पर पुल बनाने का निश्चय तृतीय पंचवर्षीय योजना-अवधि के लिए किया गया था? यह पुल अब तक न बनने के कारण क्या हैं तथा इस पुल का निर्माण-कार्य कब से प्रारंभ हो रहा है?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

*८९—श्री मुरलीधर कुरील—

क्या सार्वजनकि निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर व कन्नौज के बीच ग्रांड ट्रंक रोड पर ईशन नदी का रेलवे व रोड का एक ही यातायात पुल है और काफी पुराना, जर्जर तथा यातायात के लिए अयोग्य हो गया है? यदि हां, तो ग्रांड ट्रंक रोड का अलग से पुल निर्माण की व्यवस्था कब तक कर रहे हैं?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जी हां। यह पुल अभी ठीक तरह से काम दे रहा है। इस स्थान पर अलग पुल के निर्माण की अभी कोई योजना नहीं है।

श्री मुरलीधर कुरील—

क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि मकनपुर के पास पी० डब्ल्यू० डी० की तरफ से जो सड़क बन रही है वहां इस पुल को चौथी योजना के प्रारंभ में बनायेंगे जिससे दोनों जिलों के आवागमन का सुलभता हो सके?

श्री जगनप्रसाद रावत—

यह सड़क और पुल भी महत्वपूर्ण हैं लेकिन चौथी योजना के लिए हमको कितना रुपया मिलता है यह उस पर निर्भर करता है कि उसको हम बना पायेंगे या नहीं।

श्री ए० सी० ग्राईस (नाम-निर्देशित आंग्ल भारतीय)—

क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मकनपुर स्टेशन से जहां मेला होता है, वहां तक रास्ता बनाने की कृपा करेंगे?

श्री जगनप्रसाद रावत—

मुझे पता नहीं कौन-सी सड़क से मतलब है आपका, मुझे लिख कर भेज दीजिए।

श्री ए० सी० ग्राईस—

श्रीमन्, वह सड़क स्टेशन से जाती है।

श्री जगनप्रसाद रावत—

यदि वह सड़क पी० डब्ल्यू० डी० के अन्दर होगी तो दुरुस्त कर देंगे।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—

श्रीमन्, मकनपुर का पशु मेला यू० पी० के सब से बड़े मेलों में से है। तो इसकी महत्ता को देखते हुए क्या आप इस पुल के बनाने के लिए कोई कदम उठायेंगे ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

पुल का जवाब मैं दे चुका हूं।

श्री नित्यानन्द पांडेय (जिला कानपुर)—

श्रीमन, कानपुर जिला परिषद् ने सर्वसम्मति से एक योजना सड़कों की भेजी थी जिसमें जिला परिषद् और वहां के इन्जीनियर भी शामिल थे। क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि उस योजना में क्या हेर-फेर कर रहे हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

इस समय तो इसकी सूचना नहीं है।

श्री बलवानसिंह—

श्रीमन्, कई दफे रिपोर्टें आयीं कि वहां पर सड़क इतनी ज्यादा खराब है कि वहां से जो लाखों यात्री पास होते हैं उनको बड़ी असुविधा होती है। तो क्या माननीय मंत्री जी प्रायोरिटी देकर इस पी० डब्ल्यू० की रोड को जल्दी से बनवाने की कृपा करेंगे ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

मैंने उत्तर में निवेदन किया था कि यदि वह पी० डब्ल्यू० की की रोड होगी तो उसे जल्दी बना दिया जायगा।

श्री मुरलीधर कुरील—

क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि यह रेल रोड क्रासिंग पुल पुराना होने की वजह से कई जगह टूट-फूट गया है और बड़ी सवारियों के निकलने में हिलता है जिससे खतरा बना हुआ है। जब तक नया पुल न बने तब तक क्या इसकी मरम्मत करा के कोई सुरक्षा का प्रबंध मंत्री जी करा रहे हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जहां तक मेरी सूचना है यह ठीक काम कर रहा है। जैसा आप कह रहे हैं, उसे ठीक करने की कोशिश करेंगे।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३०(४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिए गए तारांकित प्रश्न]

एच० टी० सी० ट्रेनिंग में हरिजन

*१—श्रीमती रामरती देवी (जिला फैजाबाद) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वित्तीय वर्ष १९६४ ई० में एच० टी० सी० गवर्नमेंट नामनीय ट्रेनिंग के लिए कितने प्रार्थना-पत्र शिक्षा मंत्री के पास आए थे ? उनमें हरिजनों के कुल कितने प्रार्थना-पत्र थे ?

*२—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उन उम्मीदवारों में से कितने लिए गए और उन लिए जाने वालों में हरिजन उम्मीदवारों की संख्या कितनी थी ?

श्री कैलाशप्रकाश—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

राप्ती पुल टूटने की जांच

*३—श्री बलवानसिंह तथा श्री वीरसेन (जिला मेरठ)—

क्या सार्वजनकि निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर में राप्ती नदी के पुल टूट जाने के संबंध में जो समिति नियुक्त की गई थी, उसकी रिपोर्ट पर सरकार ने विचार करके किन-किन अधिकारियों को दोषी पाया और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

शासन ने इस रिपोर्ट पर विचार किया है और संबंधित अधिकारियों के उत्तरदायित्व पर भी विचार हुआ है। उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

श्री बलवानसिंह—

क्या यह सही है कि उस वक्त जब यह पुल टूटा तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सात महीने के लिए रिवर्ट किया गया अक्तूबर, १९६४ से अप्रैल, १९६५ तक और क्या फिर उसी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को रिवर्ट करने जा रहे हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

इस सब पर विचार हो रहा है।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

जांच समिति ने किन-किन अधिकारियों को दोषी पाया और उनके खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही हो चुकी है और क्या-क्या होने वाली है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जांच समिति की पूरी रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है और उसमें जो भी दोषी पाए गए हैं उन पर कार्यवाही की जायेगी।

श्री कल्पनाथ सिंह—

वह कौन-कौन हैं, उनका नाम न बतायें, डेजिगनेशन ही बता दें ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

रिपोर्ट में निश्चित रूप से किसी के ऊपर दोषारोपण तो नहीं है। कुछ दोषारोपण है ठेकेदार पर, जिसने सामान लादा लेकिन उसमें कुछ लापरवाही की ओर संकेत है कि यदि कुछ इंजीनियर्स ने ज्यादा सावधानी बरती होती तो यह नुकसान रुक जाता। इसी दृष्टि से इस पर विचार किया जा रहा है और कार्यवाही की जायगी।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

राप्ती के पुल को टूटे बहुत दिन हो गए और रिपोर्ट शासन को मिले भी बहुत दिन हो गए, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि ठेकेदार के ऊपर क्या कार्यवाही हुई और इस देर का क्या कारण है तथा कब तक सारी कार्यवाही कम्प्लीट हो जायगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

कार्यवाही जल्दी ही हो जायगी। ज्यादा देर नहीं लगेगी।

श्री मैनेजरसिंह—

माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि ठेकेदार की गलती और इंजीनियर्स की लापरवाही थी। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इंजीनियर्स की लापरवाहीं क्या नाजायज लाभ के लिए

थी क्योंकि जब इंजीनियर्स को नाजायज लाभ मिल जाता है तो वह लापरवाही करते हैं, तो क्या कोई सक्रिय कदम माननीय मंत्री जी इस संबंध में उठायेंगे जिससे कि ये इंजीनियर्स जो काले बैज बांधकर लखनऊ में घूम रहे हैं, वे ईमानदारी से काम करने के लिए तैयार हों ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

मैंने कहा जहां तक इन्क्वायरी का संबंध है उस पर तो कार्यवाही होगी, बाकी जितनी बातें उन्होंने कहीं, उनका संबंध इन्क्वायरी से नहीं है ।

श्री वीरसेन—

जो उत्तरदायी अधिकारी थे उनके खिलाफ कोई कार्यवाही अभी तक क्यों नहीं की गई ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

उस पर विचार हो रहा था ।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

माननीय मंत्री जी ने बताया कि ठेकेदार पर उसका दोष आता है, तो ठेकेदार का कितना रुपया पेमेंट हो चुका है और कितना बकाया है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

आंकड़े तो मुझे नहीं मालूम लेकिन जो नुकसान हुआ है वह ठेकेदार से ही वसूल हो रहा है और होगा ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

जो जांच समिति बनाई गई थी उसके कौन-कौन सदस्य थे ? क्या गैरसरकारी लोग भी उसमें सदस्य थे ?

(उत्तर देने के लिए मंत्री को नहीं पुकारा गया ।)

श्री जगदीशप्रसाद—

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि किन्हीं अधिकारियों की लापरवाही उसमें थी तो कितने अधिकारियों की लापरवाही पायी गई ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

उसमें तीन अधिकारी थे, एक उस जमाने के अधिशासी अभियन्ता, एक असिस्टेंट इंजीनियर और एक इंजीनियर और थे ।

श्री बलवानसिंह—

मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि अभी तक उस पर विचार कर रहे हैं, जबकि एक साल हो गया । म जानना चाहता हूं कि जबकि ठेकेदार की गलती की वजह से पुल टूटा तो क्या किसी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को आपने सात महीने के लिए रिवर्ट किया था ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जैसा पहले कह चुका हूं कि एक इंजीनियर को रिवर्ट किया गया था लेकिन उसको उसी लापरवाही के संकेत पर रिवर्ट किया गया था ।

[नोट— तारांकित प्रश्न ३ के पश्चात् प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।]

अस्थाई चकबन्दी कर्मचारी

*१—श्री अनीसुर्रहमान (जिला नैनीताल)—

क्या सरकार बताने कि कृपा करेगी कि वर्षों की सेवा के पश्चात् भी चकबन्दी के कर्मचारियों को स्थायी क्यों नहीं किया गया ? क्या सरकार उनको शीघ्रातिशीघ्र स्थायी करने पर ध्यान देगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

चकबन्दी विभाग अस्थाई है । इसमें कर्मचारियों को स्थाई नहीं किया जा सकता । चकबन्दी समाप्त होने में अभी कई साल लगेंगे । तब के लिए गौर हो रहा है । अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

माध्यमिक विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का वेतन व भत्ता

*२—श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य के गैर सरकारी मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में काम करने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए निम्नलिखित व्यवस्था का प्रबंध अब तक न किए जाने का कारण क्या है तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की गिरी हुई आर्थिक दशा तथा सेवा की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था उन पर कब से लागू कर दी जायगी ? समान वेतम-क्रम का निर्धारण तथा महंगाई भत्ता तदनुरूप कर्म करने वाले राजकीय कर्मचारियों के समान दिया जाना, सेवा नियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्राविधानों का लागू होना तथा लाभत्रयी योजना का लागू होना ?

श्री कैलाशप्रकाश—

गैर सरकारी मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को राजकीय कर्मचारियों के सामान वेतन-क्रम और महंगाई भत्ता दिया जाना अभी संभव नहीं है क्योंकि अभी तो इन विद्यालयों के अध्यापकों को भी राजकीय विद्यालयों के अध्यापकों के समान वेतन-क्रम और महंगाई भत्ता नहीं दिया जाता है । साथ ही साथ अभी इन कर्मचारियों का कोई निर्धारित (मेन्डेटरी) वेतन क्रम भी नहीं है । वे स्थानीय दर पर नौकर रखे जाते हैं । केवल उन्हें ४० रु० प्रति मास महंगाई भत्ता देना अनिवार्य है । जब तक इनका वेतन क्रम निर्धारित नहीं होता, इन पर लाभत्रयी योजना लागू करना भी संभव नहीं है, यद्यपि वे प्राविडेंट फंड पा सकते हैं ।

शिक्षा संस्थाओं को औद्योगिक संस्थान नहीं माना जाता । अतः उनके कर्मचारियों पर औद्योगिक विवाद नियम नहीं लागू हो सकता ।

वर्क चार्ज्ड अधिष्ठान का मंहगाई भत्ता

*३—श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल, १९६४ से राज कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में जो ५ रुपए की वृद्धि की गई है, उसे सार्वजनिक निर्माण विभाग के मेंटिनेंस डिवीजन के कर्मचारियों को अब तक न देने का क्या कारण है ? वह वृद्धि कब तक दे दी जायगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

राज्य कर्मचारियों को निर्धारित दरों पर राजाज्ञाओं के अनुसार महंगाई भत्ता दिया जा रहा है । वर्क चार्ज्ड अधिष्ठान को महंगाई भत्ता देने का प्रश्न नहीं उठता ।

दहगवां में सस्ते गल्ले की दूकानों का निरीक्षण

*४—श्री उल्फतसिंह यादव (जिला बदायूं)—

१८ मार्च, १९६४ को प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न ६ के उत्तर से सम्बन्धित क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि निरीक्षण करने के समय जिनकी दूकान बन्द पाई गयी अथवा जिन दूकानों पर मालिक व जिम्मेदार व्यक्ति नहीं पाये गये क्या उनकी दुबारा जांच की गई ? यदि हां, तो दुबारा जांच कब की गई तथा जांच से क्या तथ्य प्रकाश में आये और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कैलाशप्रकाश—

२४ फरवरी, १९६३ को जब सहायक बिक्री-कर अधिकारी दहगवां, जिला बदायूं, का सर्वेक्षण करने गये थे तो (१) श्री बांकेलाल, पुत्र श्री गोबिन्द राय, भट्ठे वाले (२) श्री बृजपाल गिरेन्द्रपाल, भट्ठे वाले, तथा (३) श्री बाबू राम सर्राफ की दूकाने या तो बन्द पाई गई थीं या उन दूकानों पर मालिक या जिम्मेदार व्यक्ति नही पाये गये थे। इन व्यापारियों की फिर से जांच की गई। इस सबंध में विशेष †विवरण संलग्न है।

ग्राम समाज, गौरीकलां की भूमि पर अनधिकार कब्जा

*५—श्री उग्रसेन—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बांदा की तहसील बांदा के अन्तर्गत ग्राम समाज गौरीकलां में कुल कितनी जमीन है, उसमें कितनी जमीन काश्तकारों के नाम है और कितनी जमीन गांव समाज की सम्पत्ति के रूप में अभी पड़ती है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

ग्राम, गौरीकलां की कुल जमीन ५,६७९ एकड़ है, जिसमें से ४६८० एकड़ काश्तकारों के नाम है और ९९९ एकड़ गांव समाज की सम्पत्ति है।

*६—श्री उग्रसेन—

क्या सरकार को पता है कि उक्त गांव-समाज की सम्पत्ति के रूप में पड़ी हुई परती जमीन में से करीब १००० बीघा अनधिकृत रूप से कुछ असरदार लोगों द्वारा कर ली गई है और जोती बोई जा रही है ? यदि हां, तो सरकार इसके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

उपर्युक्त गांव सभा सम्पत्ति वाली भूमि में से ११६ एकड़ भूमि पर लोगों ने अनधिकार कब्जा कर लिया है। उनके विरुद्ध नियमानुकूल बेदखली की कार्यवाही की जा रही है।

*७—श्री उग्रसेन—

क्या सरकार इसकी जांच किसी उच्च विभागीय अधिकारी से कराकर गांव-समाज को होने वाली हजारों पयों की क्षति से बचायेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। अतः किसी विशेष जांच की आवश्यकता नहीं है।

---

†छापा नहीं गया।

रामपुर जिले में भूमि पर लगान

*८—श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—

क्या यह सत्य है कि सन् १९६४ ई० में १५० विधायकों ने राजस्व मन्त्री को और मुख्य मन्त्री को ऐसे प्रार्थना-पत्र दिये हैं कि जिला रामपुर के काश्तकारों पर लगान करीब १६ रु० एकड़ लिया जाता है, जबकि पड़ोसी जिलों में ६ रु० और ३ रु० एकड़ लिया जाता है, अतः पड़ोसी जिले बरेली, मुरादाबाद, नैनीताल, बदायूं जिलों के बराबर का लगान रामपुर के काश्तकारों के लिये भी कर दिया जावे ? यदि हां, तो उपरोक्त प्रार्थना-पत्र में क्या हुआ है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

श्री कल्याणराव तथा अन्य विधायकों के हस्ताक्षर से एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें कहा गया था कि चूंकि रामपुर में भूमि का लगान अन्य जिलों से अधिक था, अतः उसे समीपवर्ती जिलों के लगान के अनुसार निश्चित किया जाय। उसका उत्तर श्री कल्याणराव जी को १६ अगस्त, १९६४ को भेज दिया गया था।

टोल टैक्स

*९—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि इस वक्त प्रदेश में कौन-कौन से पुल हैं जिन पर टोल टैक्स वसूल किया जाता है और उन पर वसूल करना बन्द कर दिया गया है ? वहां उस सिलसिले में बनाई गई इमारतों का क्या प्रयोग किया जाता है ?

श्री जगमप्रसाद रावत—

इस सम्बन्ध में आवश्यक सूचना सदस्य महोदय की मेज पर रखी हुई †सूचियों में दी हुई है।

विद्यान्त कालेज, लखनऊ में श्री एच० सी० डे व श्री वी० सैन्याल की नियुक्ति

*१०—श्री बृजेश्वरसहाय (जिला मैनपुरी)—

९ अप्रैल, १९६५ प्रश्न ७ के उत्तर से सम्बन्धित क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री एच० सी० डे (विद्यान्त कालेज) का सेलेक्शन, किस तारीख को सेलेक्शन कमेटी की बैठक में हुआ था और उनका अप्रूवल यूनिवर्सिटी से कब और कौन-सी तारीख को हुआ ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जुलाई, १९५४ की सेलेक्शन कमेटी की बैठक में चुनाव हुआ और लखनऊ विश्वविद्यालय की इक्जीक्यूटिव कौंसिल ने सितम्बर ४, १९५४ की बैठक में अपनी स्वीकृति दी।

*११—श्री बृजेश्वर सहाय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकार ने उक्त कालेज के श्री वी० सैन्याल को जो सब्सीट्यूट लिखा है, तो सब्सीट्यूट का क्या अर्थ है, और उसका ग्रेड क्या है और उनका सेलेक्शन कब हुआ ?

---

†छापी नहीं गई।

श्री कैलाशप्रकाश—

श्री सान्याल को सबस्टीट्यूट नियुक्त नहीं किया गया बल्कि उनकी प्राशासकीय नियुक्ति पार्ट-टाइम लेक्चरार के रूप में की गई थी । पार्ट-टाइम लेक्चरार का कोई ग्रेड नहीं है । यह नियुक्ति अस्थाई थी अतः सेलेक्शन नहीं हुआ ।

*१२—श्री बृजेश्वर सहाय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त अध्यापकों ने इन्टर सेक्शन (विद्यान्त हिन्दू इण्टर कालेज) में कब से कब तक काम किया और डिग्री कालेज में कब से काम कर रहे हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—

श्री डे ने १७-७-१९३९ से १५-७-५८ तक इन्टर सेक्शन में काम किया और साथ ही साथ १-९-५४ से १५-७-५८ तक डिग्री सेक्शन में पार्ट-टाइम लेक्चरार के रूप में काम किया। १६-७-५८ से वे डिग्री सेक्शन में लेक्चरार हैं ।

श्री सान्याल ८-७-५९ से अब तक लगातार इन्टर सेक्शन में काम कर रहे हैं। १९-९-६२ से ३१-३-६५ तक उन्होंने डिग्री सेक्शन में भी पार्ट-टाइम लेक्चरार के रूप में काम किया ।

बस्ती जिले में नार्मल ट्रेनिंग में हरिजन

*१३—श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 'नामूल ट्रेनिंग' के लिये जो ४ जून से ८ जून तक बस्ती जिले की विभिन्न तहसीलों में उम्मीदवारों का इण्टरव्यू हुआ है, कुल कितने उम्मीदवार चुने गये और उनमें कुल कितने हरिजन हैं ?

श्री कैलासप्रकाश—

कुल चुने गये उम्मीदवार की संख्या १३१ ।

परिगणित उम्मीदवारों की संख्या २१ ।

पिंडरा ब्लाक में जूनियर हाई स्कूल का भवन विस्तार करने की प्रार्थना

*१४—श्री ऊदल—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय जूनियर हाई स्कूल, सिधोरा, ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी के छात्रों की तादाद अधिक होने की वजह से इमारत में कम जगह हो गई हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जूनियर हाई स्कूल के फीस का जो रुपया जमा है उसे लेकर तथा कुछ विभाग द्वारा देकर दो तीन कमरे और बनवाने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री कैलाशप्रकाश—

प्रश्नगत स्थान पर कोई राजकीय जूनियर हाई स्कूल नहीं है । वहां एक जूनियर हाई स्कूल परिषद् की ओर से संचालित है । उसका भवन छात्र संख्या अधिक होने के कारण अपर्याप्त हो गया है । भवन विस्तार के लिए शासन द्वारा इस समय अनुदान देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

वाराणसी में गंगा घाटों का पुनर्निर्माण

*१५—श्री ऊदल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वाराणसी में गंगा घाट के पुर्ननिर्माण के सम्बन्ध में अब तक कितना रुपया खर्च किया गया है और कौन-कौन से घाट बन चुके हैं और कौन-कौन बनने को बाकी हैं ? इसमें भारत सरकार ने कितना रुपया दिया है और प्रदेश सरकार ने कितना ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

वाराणसी में गंगा के घाटों के पुर्ननिर्माण में ३० जून, १९६५ तक ४८,७५,५८६ रुपये व्यय हो चुके हैं । जो घाट बन चुके हैं अथवा जो कार्य शेष रह गया है उसकी सूचना संलग्न है । इस कार्य पर व्यय के लिए धन केन्द्रीय सरकार से ऋण के रूप में प्राप्त हुआ है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४९६ पर)

अकबरपुर तहसील से लेखपालों का तबादला

*१६—श्री मंगलदेव (जिला आजमगढ़)—

क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजनैतिक दल से सम्बन्ध रखने के कारण तहसील अकबरपुर, जिला फैजाबाद के कितने लेखपालों का तबादला तहसील बीकापुर के लिये सन् १९६२ से १९६४ के बीच हुआ था जिनके लिये परगनाधीश, अकबरपुर क यह आदेश था कि उनको तहसील अकबरपुर में न रहने दिया जाय ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

किसी का नहीं ।

*१७—श्री मंगलदेव—

क्या यह सत्य है कि परगनाधीश के आदेशों के विरुद्ध वे अब भी अकबरपुर तहसील में कार्य कर रहे हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

प्रश्न नहीं उठता ।

*१८–१९—श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला वाराणसी), श्री विजयसिंह (जिला जालौन), श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

[हटा दिये गये ।]

नहर अनूपशहर की पटरी पक्की करने की प्रार्थना

*२०—श्री मुमताजमुहम्मद खां—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री को को ज्ञात है कि विकास खण्ड, ऊंचा गांव (जिला बुलन्दशहर) की क्षेत्र समिति ने एक विशेष प्रस्ताव द्वारा सरकार से अनुरोध किया है कि नहर अनूपशहर ब्रांच गंगा नहर की पटरी पर स्याने से अनीबास तक पक्की सड़क बनाई जायगी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उन्होंने क्या कार्यवाही की ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जी हां। प्रमुख, क्षेत्र समिति, ऊंचा गांव को सूचित कर दिया गया है कि धनाभाव के कारण क्षेत्र समिति द्वारा प्रस्तावित नहर की पटरी का पक्का कराना सरकार के लिए इस समय सम्भव नहीं है।

*२१—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जब सिंचाई विभाग को इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि उक्त मार्ग को यदि सार्वजनिक निर्माण विभाग पक्का करना चाहे तो पक्का कर ले, फिर सरकार के सामने क्या कठिनाई है जो उक्त मार्ग को पक्का बनाने के लिये अभी तक ध्यान नहीं दिया गया, जिससे यातायात के सम्बन्ध में पिछड़े हुये इस विकसित क्षेत्र को यातायात की सुविधा उपलब्ध हो सकती ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

उक्त मार्ग को अभी तक पक्का न बनवाने का मुख्य कारण धनाभाव है।

एटा जिले में सड़क निर्माण योजना

*२२—श्री वेदराम (जिला एटा)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला परिषद, एटा ने चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में किन सड़कों के निर्माण की सिफारिशें की हैं ? क्या उन सड़कों के सम्बन्ध में कोई वरीयता निर्धारित की है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जिला परिषद, एटा ने चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में जिन सड़कों के निर्माण की सिफारिश की है और उनको जो वरीयता प्रदान की है उसकी सूची सदस्य महोदय की मेज पर रखी है।

(*देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ४९७–५०० पर)

कासगंज तहसील में अमीनों को दण्ड

*२३—श्री वेद राम—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील कासगंज, जिला एटा में कुछ कलेक्शन अमीनों ने सन् १९६४ तक फर्जी रसीदें देकर किसानों से रुपया वसूल कर लिया था जिसकी शिकायत प्रश्नकर्ता तथा अन्य व्यक्तियों ने लिखित रूप से की थी और फर्जी रसीदें भी तहलीदार कासगंज को दी थीं ? यदि हां, तो उन व्यक्तियों के विरुद्ध जिन अमीनों ने फर्जी रसीदें देकर रुपया वसूल किया था, सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की तथा भविष्य में क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

तीन अमीनों के खिलाफ गबन की शिकायतें थीं जो सही पाई गई। दो नौकरी से अलहदा हो चुके हैं एक मुअत्तल हैं। मुकदमा पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया है। गबन की रकम जमानत से वसूल करने की कार्यवाही की जा रही है।

दीक्षा विद्यालय, फतेहपुर के चपरासियों से घरेलू काम लेने की शिकायत

*२४—श्री रघुवीरसहाय कंथवार (जिला फतेहपुर)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय दीक्षा विद्यालय, फतेहपुर के अध्यापकों व विद्यालय निरीक्षक द्वारा सरकार के आदेश संख्या ४६२२/२–बी–२६४–६०, दिनांक ११

फरवरी, १९६३ की उपेक्षा करके चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों से घरेलू काम लेने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का दिनांक १५ सितम्बर, १९६४ का पत्र उन्हें मुख्य मन्त्री और शिक्षा निदेशक को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी हां । जांच के उपरान्त आरोप निराधार सिद्ध हुआ ।

जौनपुर जिले में लड़कियों का स्कूल

*२५—श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले में लड़कियों को शिक्षित करने के लिये कितनी जूनियर हाई स्कूल व हाई स्कूल है और कहां-कहां हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जिला जौनपुर में लड़कियों की शिक्षा के लिये १० जूनियर हाई स्कूल तथा २ हायर सेकेन्डरी स्कूल हैं ।

स्थानों के नाम संलग्न तालिका में अंकित हैं ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ५०१ पर)

*२६—श्री जगन्नाथ राव—

क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि मड़ियाहूं तहसील में जूनियर हाई स्कूल लड़कियों के गत कितने वर्षों से प्रस्तावित हैं और अब तक जूनियर हाई स्कूल न प्रारम्भ करने के कारण क्या हैं? तथा उन कारणों को दूर करने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

मड़ियाहूं तहसील में एक राजकीय बालिका जूनियर हाई स्कूल खोलने का प्रश्न १९६३–६४ से विचाराधीन था । उसे इस सत्र से खोलने के आदेश दिये गये हैं ।

योजना के अन्तर्गत वार्षिक लक्ष्य सीमित होने के कारण उक्त स्कूल खोलने के आदेश अब तक न दिये जा सके थे ।

शिक्षा निदेशक एवं माध्यमिक शिक्षा परिषद कार्यालयों के कर्मचारी

*२७—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा निर्देशक एवं सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश कार्यालय में कुछ ऐसे स्थाई, अस्थाई कर्मचारी हैं जो इससे पूर्व अधीनस्थ शिक्षण कार्यालयों एवं विद्यालयों में कार्य करते थे ? यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी हां ।

कार्यालय का नाम			स्थायी	अस्थायी
शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश ..	..	..	३३	१३१
माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश	..	..	३२	२९

*२८—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

उक्त कर्मचारी पूर्व में जो वेतन भत्ता आदि प्राप्त कर रहे थे वही वेतन तथा पूर्व अवकाश का लाभ आदि उन्हें दिया जा रहा है अथवा नहीं ? यदि दिया जा रहा है तो क्यों और किस नियम से ?

श्री कैलाशप्रकाश—

उपर्युक्त कार्यालयों में जो अधीनस्थ कार्यालयों के स्थायी कर्मचारी हैं उनको पूर्व अवकाश तथा उनके उसी वेतन का लाभ अर्थ संहिता के द्वितीय खंड, भाग २ से ४ के एफ० आर० २२, २६, ३०, ३१ तथा ८१ बी के अन्तर्गत दिया जाता है। अधीनस्थ कार्यालयों के अस्थायी कर्मचारियों को यदि उनकी सेवायों क्रम-बद्ध हैं तो उन्हे केवल अवकाश का ही लाभ दिया जाता है।

जिला विद्यालय निरीक्षक, बस्ती तथा प्रधानाचार्य, इण्टर कालेज, मुंडेरवा द्वारा वसूल किया गया धन

*२९—श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)—

क्या शिक्षा मंत्री को यह ज्ञात है कि जिला विद्यालय निरीक्षक बस्ती ने १९६३–६४ के मार्च महीने में ५ रुपये प्रति प्रसार अध्यापक किसी मद में लिया था? यदि हां, तो यह धन किस विभागीय आदेश या अधिकार के अन्तर्गत लिया गया?

श्री कैलाशप्रकाश—

सूचना एकत्रित की जा रही है?

*३०—श्री श्यामलाल—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि गन्ना विकास इण्टर कालेज, मुंडेरवा, बस्ती के प्रधानाचार्य द्वारा गत मार्च, अप्रैल, १९६५ में गैरकानूनी ढंग से फर्जी रसीदों पर प्रति छात्र १० रुपये की रकम वसूल की गई है? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कुल कितने हजार रुपये इस तरह वसूल किये गये?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी नहीं। इस प्रकार की कोई फीस नहीं वसूली गई। उक्त स्थिति में प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

सुपरवाइजर कानूनगो सर्किल, बिठूर में बेदखली की कार्यवाही

*३१—श्री शारदानन्द (जिला सीतापुर)—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेंगी कि सुपरवाइजर कानूनगो सर्किल बिठूर, जिला कानपुर ने सन् १३७०, १३७१, १३७२, फसली में गांव सभा की भूमि पर अनधिकार कब्जा करने वाले कितने व्यक्तियों के नाम कितने क्षेत्रफल पर जिमिन ४ दर्ज किये हैं। और उससे प्रति वर्ष सरकार को कितनी लगान की आय का घाटा हुआ है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

सुपरवाइजर कानूनगो सर्किल, बिठूर, जि० कानपुर के सर्किल में १३७० फ० में १९९ व्यक्तियों के ३९७ बी० ११ बि० १० बि० भूमि पर, १३७१ फ० में २२२ व्यक्तियों के ४९७ बी० १५ वि० १० वि० भूमि पर तथा १३७२ फ० में ५४९ व्याक्तियों के ८८८ बी० ६ बि० भूमि पर अनधिकार कब्जा दर्ज किया गया। सम्बन्धित भूमि का निर्धारित दरों से लगान क्रमशः ८१० रु० ४२ पै०, ९९७रु० १९ पै० तथा १७३७ रु० ९५ पै० आता है। आय में घाटे का अभी कोई प्रश्न नहीं उठता क्योंकि बेदखली करते समय क्षति के लिये प्रतिकर निर्धारित करने का नियमों में प्राविधान है।

*३२—श्री शारदानन्द—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिन व्यक्तियों के नाम जिमिन ४ में कानूनगो महोदय ने दर्ज किये हैं, उन पर क्या कोई बेदखली की भी कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

इन व्यक्तियों को नियमानुकूल बेदखल करने की कार्यवाही की जा रही है।

कानपुर तहसील में भगवानदीन की आराजी पर गलत कब्जा की जांच

*३३—श्री गयाप्रसाद (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कानपुर तहसील के लेखपाल, रामगोपाल, सुपरवाइजर कानूनगो, जगन्नाथ शर्मा तथा नायब तहसीलदार, गोपाल भास्कर अवस्थी ने षड़यन्त्र करके एक अपाहिज व्यक्ति भगवान उर्फ भगवानदीन को झुठा मृतक दिखला कर उसकी ग्राम पर ही कछार स्थित आराजी संख्या ७३७, ७३९, ४४३ पर एक अन्य व्यक्ति गोरी, पुत्र भगवानदीन का नाम भ्रष्टाचार के बल पर अवैधानिक ढंग से अमल-दरामद कर दिया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

इस प्रकार के आरोप लगाये गये हैं जिसकी जांच जिला अधिकारी कर रहे हैं।

*३४—श्री गयाप्रसाद—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि भगवान उर्फ भगवान दीन द्वारा उक्त षड़यन्त्र के सम्बन्ध में दिनांक ५ मार्च, १९६५ को तहसीलदार, कानपुर, तथा ४ मई, १९६५ को माननीय मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश, जिलाधीश, कानपुर तथा परगनाधीश, कानपुर को शिकायती-पत्र प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो सरकार ऐसे अवैधानिक ढंग से कार्य तथा भ्रष्टाचार करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी हां, इन प्रार्थना पत्रों को श्री भगवान उर्फ भगवानदीन ने भेजा है। जैसा कि प्रश्न संख्या ३३ के उत्तर में कहा गया है इस मामले में जांच की जा रही है। जांच पूर्ण होने पर उचित कार्यवाही की जावेगी।

विधान भवन का पुनर्निर्माण

*३५—श्री ब्रजबिहारी (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विधान भवन के पुनः निर्माण में सरकार को कितनी धनराशि व्यय करनी पड़ी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

विधान भवन में छतों की मरम्मत का कार्य अभी चल रहा है। इस कार्य की अनुमानित लागत ७,५६,६०० रुपये है।

*३६—श्री ब्रजबिहारी—

क्या यह सही है कि इस पुनर्निर्माण में बुनियाद का ध्यान न देकर ऊपर दो मंजिलों की मरम्मत की गई है। यदि हां, तो ऐसा करने का कारण क्या है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी नहीं।

*३७—श्री राजेन्द्रसिंह—

[हटा दिया गया]

हल्द्वानी तहसील में ओला वृष्टि

*३८—श्री खुशीराम (जिला अल्मोड़ा)—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि विगत माह मार्च की २० तारीख को तहसील हल्द्वानी के किन-किन ग्रामों में ओला वृष्टि से भारी क्षति पहुंची है, इसकी ब्योरेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

कथित ओला वृष्टि से हल्द्वानी तहसील के किसी भी ग्राम में भारी क्षति नहीं पहुंची, अतएव सूची प्रस्तुत करने का प्रश्न नहीं उठता ।

*३९—श्री खुशीराम—

क्या यह सही है कि इस ओला वृष्टि के क्षति का निरीक्षण तहसीलदार, हल्द्वानी तथा क्षेत्र विकास अधिकारी, हल्द्वानी ने संयुक्त रूप से किया ? यदि हां तो इनकी निरीक्षण रिपोट क्या थी और इस पर अब तक यानी आज तारीख २० जून, १९६५ तक सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी हां, यह सही है, कि तहसीलदार हल्द्वानी एवं क्षेत्र विकास अधिकारी, हल्द्वानी साथ-साथ कतिपय क्षतिग्रस्त ग्रामों को गये । परन्तु नियमानुसार न संयुक्त रिपोर्ट की आवश्यकता ही थी और न ही संयुक्त रिपोर्ट लिखी गई । अतएव ऐसी रिपोर्ट पर कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता ।

लखनऊ में सचिवालय चपरासियों के क्वार्टर

*४०—श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरकारी सचिवालय, उत्तर प्रदेश (लखनऊ) के निम्न वेतन भोगी सरकारी कर्मचारियों के लिये क्वार्टर बनवाने के लिये दिनांक २८ अगस्त, १९६४ के द्वितीय सत्र के ४ थे शुक्रवार में प्रश्न संख्या ३—४ में यह आश्वासन सरकार द्वारा दिया गया था कि सचिवालय तथा अन्य सरकारी निम्न वेतन भोगी कर्मचारियों के लिये ६०० मकान और बनवाने की योजना स्वीकृति की जा चुकी है, तो क्या सरकार ने निम्न वेतन भोगी कर्मचारियों के लिये क्वार्टर बनवाने के लिये जगह तलाश करके कार्यवाही चालू कर दी है ? यदि हां, तो कब से और किस जगह पर कितने क्वार्टर बनाये जा रहे हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

२८ अगस्त, ६४ के प्रश्न संख्या ३/४ के उत्तर में जिस योजना की स्वीकृति की सूचना दी गई थी, उसके अन्तर्गत २७५ क्वार्टर बादशाहनगर कालोनी में बन रहे हैं । इन क्वार्टरों का निर्माण सन् १९६४ में प्रारम्भ हुआ था ।

*४१—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या सरकार यह देखते हुए कि निम्न वेतनभोगी सरकारी कर्मचारियों को जिनके पास क्वार्टर नहीं है यथाशीघ्र क्वार्टर बनवा कर देने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

उक्त योजना के बाकी क्वार्टर बनाने के लिए उचित भूमि प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है और यथासम्भव शीघ्र ही ये बाकी क्वार्टर बनवाये जायंगे ।

केरू ऐण्ड कम्पनी, रोज़ा, यू० पी० पर बिक्री कर बकाया

*४२—श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि carew & Co. Rosa, U. P. पर सेल्स टैक्स व अन्य सरकारी बकाया इस समय क्या है ?

*४३—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बकाया किन माली सालों की हैं और उसके वसूल न होने के कारण क्या हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ५०२ पर)

केन्द्रीय अनुदान

*४४—श्री कृष्णानन्द राय—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रथम, द्वितीय, तथा तृतीय योजनाओं में केन्द्रीय सहायता (अनुदान), उत्तर प्रदेश को कितना कितना प्राप्त हुआ है तथा केन्द्रीय सहायता का प्रति व्यक्ति औसत इन योजनाओं में इस प्रदेश का क्या रहा है, और है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में योजनागत और योजनेतर विकास मदों का स्पष्ट वर्गीकरण बजट अथवा लेखे में नहीं किया जाता था । अतएव उस अवधि में योजनागत व्यय पर प्राप्त केन्द्रीय सहायता के वास्तविक आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं हैं । योजना आयोग के प्रकाशन "रिव्यू आफ दि फर्स्ट फाइव इयर प्लान" के अनुसार भारत सरकार ने १०५.५ करोड़ रुपये की लागत की योजना के लिए २७.१ करोड़ रुपये की सहायता स्वीकृत की थी । इस सहायता के आधार पर प्रथम योजना काल में केन्द्रीय सहायता का प्रति व्यक्ति औसत ४.१ रुपया निकलता है ।

द्वितीय तथा तृतीय योजना काल में प्राप्त तथा प्रत्याशित केन्द्रीय सहायता सम्बन्धी वांछित सूचना इस प्रकार है ।

अवधि		प्राप्त केन्द्रीय सहायता (लाख रुपया)		कुल सहायता के आधार पर प्रति व्यक्ति औसत (रुपया)
		कुल	अनुदान	
द्वितीय योजना	..	१२,२४६	३,३०५	१७.२
तृतीय योजना	..	३५,.०४९ (प्रत्याशित)	८,३८५ (प्रत्याशित)	४५.६

अतारांकित प्रश्न

बाजपुर में भूमि पर अनधिकृत कब्जा

१—श्री खुशीराम—

विधान सभा की बैठक दिनांक ८ मई, १९६४ ई० को प्रश्न सं० २५ व २६ के उत्तर के क्रम पर क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जैसा मंत्री जी ने सदन में सूचना दी

थी कि भूमिहीन व्यक्तियों की भूमि, भूमिहीन को ही इस शर्त में दी जा सकती है कि संबंधित फरार काश्तकारों द्वारा देय सरकारी बकाया की अदायगी का उत्तरदायित्व लेना पड़ता है ? यदि कोई भूमिहीन ऐसा उत्तरदायित्व लेकर माननीय मंत्री जी को भूमि याचना के प्रार्थना-पत्र दे, तो क्या मंत्री जी उन्हें ऐसी भूमि प्रदान करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

भूमि का एलाटमेंट सरकार द्वारा नहीं किया जाता है बल्कि जिला अधिकारी द्वारा उन सिद्धांतों के अनुसार किया जाता है जिन्हें राज्य सरकार नियत करती है । उपनिवेश क्षेत्र में इस संबंध में प्रचलित नीति पहले बताई जा चुकी है । किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रार्थनापत्र दिये जाने पर जिलाधिकारी उस पर नियमानुसार विचार करेंगे ।

२—श्री खुशीराम—

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि बाजपुर में जो ३,७१५ बीघा भूमि में से अधिकांश भूमि, अनधिकृत व्यक्तियों के कब्जे में बतलाई गई, ऐसी कुल कितनी एकड़ भूमि किन-किन व्यक्तियों के अनधिकृत कब्जे में है ? इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

३—श्री खुशीराम—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो रिक्त भूमि के एलाट करने के लिये उचित कार्यवाही हो रही है कहा गया, इसमें अब तक कितने व्यक्तियों को भूमि एलाट की गई ? यदि नहीं की गई, तो इसका कारण क्या है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

चकबन्दी विभाग, एटा में पेशकारों की बर्खास्तगी

४—श्री गंगाप्रसाद वर्मा (जिला एटा)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि चकबन्दी विभाग, एटा में कितने सी० ओ० व ए० सी० ओ० के पेशकारों को १ जनवरी, १९६२ से अब तक सरकारी सेवाओं से मुक्त किया गया है और उन पर क्या-क्या आरोप थे और उनमें से कितने को पेशकारी के स्थान पर वापस लिया गया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

चकबन्दी विभाग, एटा में १ जनवरी, १९६२ से ए०सी०ओ० के पांच पेशकारों की सेवायें एक माह का नोटिस अथवा बदले में वेतन देकर समाप्त की गयीं और उनमें से किसी को चकबन्दी विभाग में पुनः वापस नहीं लिया गया । इनकी सेवायें आरोप लगाकर नहीं समाप्त की गई ।

सोरों-सहावर-गंजडुंडवारा सड़क

५—श्री राजेन्द्र सिंह, श्री गिरवरप्रसाद तथा श्री रामसिंह शाक्य (जिला एटा)—

क्या सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश शासन के आय-व्यय १९६५-६६ के खंड ५ के पृष्ठ संख्या ४३७ के क्रम संख्या २ में जो एटा जिले में सोरों-सहावर गंज-डुंडवारा सड़क का निर्माण अंकित किया है, वह सड़क कितने मील लम्बी है तथा कितने मार्ग का निर्माण पूर्ण कर दिया गया है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

प्रश्नगत सड़क की कुल लम्बाई १९।। मील है। इसमें से ५ मील का भाग पूर्ण हो गया है।

६—श्री राजेंद्रसिंह, श्री गिरवर प्रसाद, तथा श्री रामसिंह शाक्य—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया यह बतलायेंगे कि सोरों-सहावर-गंजडुंडवारा सड़क को गंजडुंडवारा तक पक्का कराने में अभी कितना समय लग जायगा ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

इस सड़क के निर्माण की अभी कोई योजना नहीं है।

गन्ना विकास इण्टर कालेज, मुंडेरवा में अनियमिततायें

७—श्री श्यामलाल—

क्या शिक्षा मंत्री को यह पता है कि गन्ना विकास इंटर कालेज, मुंडेरवा, बस्ती में अनेकों अनियमिततायें बरती जा रही हैं ? जैसा (अ) सर्वश्री राधेश्याम द्विवेदी तथा जनार्दन राय को अवैधानिक ढंग से १९६२ से प्राध्यापक पद का वेतन दिया जाना, और (ब) श्री सुरेन्द्रनाथ त्रिपाठी, जे० टी०सी० को जुलाई, सन् १९६४ से अवैधानिक ढंग से एल०टी० ग्रेड का वेतन दिया जाना, जबकि उन लोगों का जिला विद्यालय निरीक्षक, बस्ती द्वारा पदोन्नति संबंधी कोई अनुमोदन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

गन्ना विकास इंटर कालेज, मुंडेरवा, बस्ती में कुछ अनियमिततायें पाई गई हैं। उनकी पूरी देखभाल की जा रही है। उसमें से अधिकतर का निवारण हो चुका है।

(अ) सर्व श्री राधेश्याम द्विवेदी तथा जनार्दन राय को १९६२ से प्राध्यापक के पद का वेतन दिया जा रहा है लेकिन वह अवैधानिक नहीं है, क्योंकि वह उस वेतन के अधिकारी हैं।

(ब) श्री सुरेन्द्रनाथ त्रिपाठी का मामला अभी विचाराधीन है।

८—श्री श्यामलाल—

जिला विद्यालय निरीक्षक, बस्ती को इस संबंध में ज्ञान होने पर भी उन्होंने कोई कार्यवाही अभी तक क्यों नहीं की ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जिला विद्यालय निरीक्षक बस्ती ने मामले में पूरी कार्यवाही की है। इस वर्ष विद्यालय का अनुपालन अनुदान देना उस समय तक के लिये रोक दिया गया है जब तक अनियमिततायें समाप्त न हो जायें।

९—श्री होरीलाल यादव—

[हटा दिया गया]

रामनगर परगना में विस्थापितों का पुनर्वासन

१०—श्री गिरजाप्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जिलान्तर्गत, तहसील फतेहपुर के परगना रामनगर में स्थित ग्राम चांदामऊ और रामपुर महासिंह में कितनी-कितनी भूमि सरकार को अधिकतम जोत सीमा निर्धारण अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त हुई ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन—

गांव चांदामऊ में १८४ बीघा ५ बिस्वा ४ बिस्वांसी और गांव रामपुर महासिंह में ११५ बीघा १५ बिस्वा १५ बिस्वांसी।

*११—श्री गिरजाप्रसाद—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त ग्रामों में परगना बदोसराय के ग्राम देवरिया के लगभग एक सौ पचीस परिवारों को, जिनकी भूमि और मकान घाघरा नदी ने काट लिया है बसाने का निर्णय लिया गया है। यदि हां, तो उन ग्रामों में किन-किन लोगों को बसाया गया और प्रत्येक परिवार को कितनी-कितनी भूमि दी गई और उसका लगान कितना-कितना है?

श्री हुकुमसिंह बिसेन—

जी नहीं। गांव देवरिया के घाघरा नदी द्वारा भूमि कट जाने से, विस्थापित व्यक्तियों को उनकी इच्छानुसार शिशोंडा गांव के गोपी चमारन पुरवा में आबाद किया गया था। उन व्यक्तियों में इच्छुक ४६ परिवारों को खेती के लिये भूमि चांदामऊ और रामपुर महासिंह गांवों में दी गई है। कृषि के लिये दी गई भूमि का वांछित ब्योरा सदन की मेज पर रक्खा है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ५०३–५०४ पर)

इंडियन फारेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६५

सचिव, विधान सभा—

मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की स्वीकृति के लिये प्राप्त इंडियन फारेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६५, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, सदन की मेज पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ५०५–५१२ पर)

कतिपय विषय

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

मैं निवेदन करूंगा कि बलवानसिंह जी के प्रश्न संख्या ३ को नियम ५२ में आप स्वीकृति दें।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

मेरी सूचना है कि माननीय मंत्री जी ने इंजीनियर को बजाय तनज्जुली के तरक्की दी है। इसे आप अवश्य नियम ५२ में रखने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष—

वह लिखकर दें तब देखा जायगा, कायदे से।

श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)—

२,३ दिन से सदस्यों में भ्रम व्याप्त है कि आज से या दो एक दिन में सदन बन्द होने वाला है। जबकि हम लोगों को कार्यक्रम सितम्बर के अन्त तक का मिला है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय टम्बेश्वर प्रसाद ने भी पूछा था। मेरे पास कोई सूचना नहीं है।

रेण्ट कण्ट्रोल ऐक्ट के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश मकान मालिक संघ की याचिका**

श्री गिरधारीलाल (जिला वाराणसी)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से रेंट कंट्रोल ऐक्ट के संबंध में उत्तर प्रदेश मकान मालिक संघ के अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं। इसमें यह निवेदन है उत्तर प्रदेश राज्य में.....

श्री अध्यक्ष—

अगर सदन इसके लिये राजी हो तो इसे पढ़ा [समझ लिया जाय ? कार्यवाही में आ जायगी। यह ४ सफे की है।

(किसी के आपत्ति न करने पर)

श्री अध्यक्ष—

धन्यवाद।

[श्री गिरधारीलाल—

सेवा में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

द्वारा

विधान सभा की याचिका समिति,

लखनऊ।

महामान्य,

प्रस्तुत याचिका में निम्नलिखित निवेदन है:—

उत्तर प्रदेश राज्य में सन् १९४७ से प्रचलित उ०प्र० (अस्थायी) किराया और बेदखली नियंत्रण कानून ऐक्ट (३ आफ १९४७) में व्यापक संशोधन की आवश्यकता बहुत दिनों से अनुभव की जा रही है। राज्य के विभिन्न खाद्य मंत्रियों ने भी समय समय पर, वर्तमान कानून में खामियां होना तथा उसमें व्यापक सुधार की नितांत आवश्यकता अनेक बार स्पष्टतः स्वीकार किया है। इस अस्थाई कानून की अवधि समय समय पर बढ़ाने के लिए, पिछले अट्ठारह वर्षों की दीर्घावधि में, राज्य के विभिन्न खाद्य मंत्री जब कभी भी विधेयक लाये तभी-तब, विधायकों की आपत्ति पर, उन्होंने शीघ्रातिशीघ्र इस कानून में व्यापक परिवर्तन करने का आश्वासन विधान सभा को दिया। बल्कि यहां तक कहा सवस्तुतः एक संशोधित विधेयक बिलकुल तैयार रखा हुआ है, और चूंकि सुधार की धाराओं पर बहस के लिये सदस्यों को पर्याप्त समय चाहिये किन्तु कानून की अवधि शीघ्र समाप्त होने वाली है और उसे आगे कायम रखना जरूरी है इसलिये जल्दी जल्दी में केवल समय बढ़ाने का विधेयक लाये हैं। वह सुधारों का विधेयक जो तैयार रखा हुआ है शीघ्र ला रहे हैं। इसी संदर्भ में स्मरणीय है कि किराया नियंत्रण कानून की अवधि ३० सितम्बर को समाप्त हुआ करती है और अवधि बढ़ाने का विधेयक हमेशा अगस्त या सितम्बर मास के अंतिम सप्ताह में लाया गया है, ऐसी स्थिति में विधान सभा को बहस का पूरा समय कभी मिल ही नहीं सकता और समयाभाव के कारण जल्दी जल्दी में विधेयक लाने की सरकारी मजबूरी हमेशा कायम रहेगी।

[ ] आज्ञानुसार सदन में पढ़ी हुयी मानी गई।

उपर्युक्त आश्वासन कभी पूरा नहीं किया गया । प्रमाण के लिये विधान सभा की पिछली प्रोसीडिंग्स देखी जा सकती हैं। उदाहरणार्थ विधान परिषद की कार्यवाही पुस्तिका खंड ५९, अंक ५, बुधवार २२ श्रावण शक संवत् १८८८, १३ अगस्त, सन् १९५८ के पृष्ठ ३४८ से ३७२ तक छपा बहस का विवरण एवं २४ सितम्बर, १९६३ को विधान सभा में खाद्य मंत्री माननीय जगमोहन सिंह नेगी का भाषण तथा उसी दिन की प्रोसीडिंग्स। विशेष ध्यान देने की बात है कि, विभिन्न समय के विभिन्न खाद्य मंत्रियों के एतत संबंधी भाषणों की शब्दावली एवं शैली में भी आश्चर्यजनक साम्य है। ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसे अवसरों पर बोलने के लिये भाषण का एक मसविदा बहुत वर्षों पहले ही नौकरशाही द्वारा तैयार करके रख छोड़ा गया है तथा अवसर आने पर सभी खाद्य मंत्री उसे ही रटे हुये पाठ की तरह विधान सभा के सामने दुहरा जाते हैं। वस्तुतः उसके पीछे कोई गम्भीरता नहीं है।

हम चाहते हैं कि हमारी समस्याओं पर लोकतांत्रिक ढंग से विचार हो । विधान सभा की किसी प्रतिनिधि समिति के सामने हम तथा सरकार प्रतिपक्षियों के रूप में उपस्थित होकर सम्बद्ध विषय पर अपने अपने तर्क रखें एवं समिति को सत्य निर्णय पर पहुंचने में सहायता करें। यह समिति जो प्रतिवेदन करे उसके अनुसार किराया नियंत्रण कानून में तत्काल परिवर्तन कर दिया जाय।

उपर्युक्त तथ्यों एवं कारणों के आधार पर हम विधान सभा से प्रार्थना करते हैं कि किराया और बेदखली नियंत्रण कानून (ऐक्ट ३ आफ १९४७) में निम्नलिखित सुधार तत्काल कर दिये जायं:—

(१) मकानों को किराये पर उठाने (letting) पर लगा नियंत्रण समाप्त हो, अर्थात् एलाटमेंट प्रथा खत्म कर दी जाय। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त भारत के अन्य किसी राज्य में यह प्रथा नहीं है।

(२) गैर रहायशी (non Residentialy) मकानों (अर्थात् व्यापार आदि के लिये भाड़े पर लिये गये) को किराया नियंत्रण कानून से मुक्त कर दिया जाय। ये शुद्ध लाभ कमाने (money making) के उद्देश्य से लिये गये हैं।

(३) ऐसे मकान जिनके कुछ भाग में मालिक रहता हो इस कानून से मुक्त हो।

(४) बीस रुपये प्रतिमास किराये के भीतर तक के मकान तथा अस्सी रुपये प्रतिमास किराये से ऊपर के मकान कानून से मुक्त हों।

(५) इस कानून की धारा ३ में, बिना जिला मैजिस्ट्रेट की अनुमति के, सीधे दीवानी अदालत में बेदखली के लिये दावा दायर करने की सुविधा में निम्नलिखित कारण भी मान्य हों :—

क—यदि किरायेदार ने एक महीने का किराया बाकी लगा रखा है तथा मालिक की 'नोटिस आफ डिमांड' पर भी अदा नहीं करता।

ख—मकान मालिक को स्वयं अपने उपयोग के लिये अथवा अपने रिश्तेदारों के लिये मकान की आवश्यकता हो।

ग—मकान मालिक मकान का निर्माण, पुनर्निर्माण, व्यापक मरम्मत या भारी परिवर्तन-परिवर्द्धन करना चाहता हो, या किसी सार्वजनिक कार्य के लिये देना चाहता हो।

घ—यदि किरायेदार ने मकान बनवा लिया हो, खरीद लिया हो अथवा अन्य प्रकार किसी से किसी मकान का स्वामित्व उसे, उसकी स्त्री अथवा नाबालिग संतान के नाम से प्राप्त हो गया हो।

ड०—यदि किरायेदार एक से अधिक मकान पर कब्जा किये हो ।

च—यदि रहायशी मतलब के लिये मकान का उपयोग किसी दूसरे कार्य में होता हो ।

क—यदि गैररहायशी (non Residental) अथवा व्यवसायोपयोगी मकानों (इस याचिका की धारा २ में उल्लिखित) पर से सम्पूर्ण नियंत्रण न हटे तो वर्तमान किराये का पांचगुना तक बढ़ाने की अनुमति हो ।

टिप्पणी—स्मरण रखना चाहिये कि मकानों का वर्तमान किराया युद्धपूर्व-काल के किराये का केवल सवाया है, जब कि मूल्य सूचनांक दर गुना से अधिक है। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार केवल मुद्रास्फीति ही पांचगुना से अधिक है। उपर्युक्त वृद्धि करने पर भी किराया वास्तविक बाजार दर से नीचा ही रहेगा, अर्थात् वह "कंसेशनल रेन्ट" अथवा 'सोशलिस्टिक रेन्ट' ही होगा। सन् सन् १९४७ से अब तक किराये में एक पैसे की भी वृद्धि नहीं हुई है, जब कि अन्य सेवाओं के 'पे स्केल' अनेक बार सुधारे जा चुके हैं एवं विधायकों के वेतन भत्ते, अन्य सुविधाओं में भी इस बीच कई बार वृद्धि हुई है।

(७) कानून की धारा ७ (बी) की कार्यवाही में 'एलाटी' तथा 'नान एलाटी' किरायेदार का भेद समाप्त कर दिया जाय और सभी किरायेदार को सम्मिलित माना जाय तथा इस धारा का क्षेत्र बढ़ा कर कानून की धारा ३ (याचिका की धारा ५) में वर्णित इन निम्न कारणों को भी इस धारा की कार्यवाही के अन्तर्गत शामिल किया जाय

क—१ जनवरी, १९५१ के बाद से बने हुये नये मकान जिन किरायेदारों ने बनवा लिये हों ।

ख—जो किरायेदार एक से अधिक मकान पर कब्जा किये हो ।

(८) धारा ८ के अन्तर्गत उल्लिखित सजा घटा कर केवल जुर्माना तक ही रखा जाय। जेल की सजा का प्राविधान हटा दिया जाय। जुर्माने की रकम भी ५,००० से कम कर १००० रुपये कर दी जाय।

२४ सितम्बर, १९६३ के खाद्यमंत्री श्री नेगी के भाषण तथा समाचार पत्रों से विदित होता है कि, अभी १ जनवरी, १९५१ के बाद बने हुए नये मकान जो किराया नियंत्रण कानून से बाहर छूटे हुए हैं उन्हें भी कानून की सीमा के भीतर समेट लेने का सरकार का इरादा है। वस्तुतः नये मकानों पर इस कानून को लागू करने से कोई लाभ नहीं है। उल्टे नये मकानों का बनना और उनका किरायेदारों को मिलना बन्द हो जायगा। इससे आवास समस्या अधिक जटिल होगी। नये मकानों की जो छूट अभी है उसे कायम रखा जाय।

याचिका समिति द्वारा प्रस्तुत याचिका पर विचार के समय हमारे प्रतिनिधि को उपस्थित रहने एवं अपना पक्ष प्रस्तुत करने, तर्क देने की अनुमति एवं अवसर प्रदान किया जाय।

विनीत

उत्तर प्रदेश मकान मालिक संघ

ह: रामकृष्ण
महामंत्री,
२ अगस्त, १९६५

ह: बृजपाल दास
सभापति,

प्रमाणित

ता० २४-८-६५

ह: गिरधारीलाल, एम०एल०ए०
वाराणसी।

प्रमाणित
ह: गिरधारीलाल, एम०एल०ए०]

गाजीपुर जिले में लेखपाल ट्रेनिंग स्कूल में जूनियर हाई स्कूल योग्यता के लड़कों को कमिश्नर के कथित आदेश द्वारा निकाले जाने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष--

नियम ५२ के अन्तर्गत माननीय कमलासिंह जी की सूचना को केवल वक्तव्य के लिये मैंने स्वीकार किया है । वह इस प्रकार है कि "गाजीपुर जिले में लेखपाल ट्रेनिंग स्कूल में बस्ती, बलिया, गाजीपुर, देवरिया, वाराणसी, जौनपुर, आदि जिलों के लड़के भरती किये गये हैं । नियमावली के अनुसार उनकी योग्यता कम से कम जूनियर हाई स्कूल होनी चाहिये । इसी योग्यता के आधार पर सभी जिलों के कलेक्टर (जिलाधीश) ने चुनाव करके ट्रेनिंग के लिये भेजा है । इन विद्यार्थियों के नाम लिख जाने के बाद गोरखपुर कमिश्नरी के कमिश्नर ने जिलाधीश, गाजीपुर को आदेश दिया है, जिसकी प्रतिलिपि प्रधानाचार्य, लेखपाल ट्रेनिंग स्कूल, गाजीपुर के पास भेजी गई है, जिसमें जूनियर हाई स्कूल की योग्यता वाले लड़कों को निकालने की बात कही गई है और खासकर जिला बस्ती के लड़कों के लिये ।"

(माल मंत्री से) इसके ऊपर आप वक्तव्य कब दीजियेगा ?

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)--

मन्डे को ।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है ।

नियम ५२ के अन्तर्गत अन्य ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

एक माननीय लखपतराम शर्मा की सूचना है नियम ५२ में । मैं इसे नियम ५२ में स्वीकार नहीं कर रहा हूं । इसमें यह मांग की गई है कि ललितपुर की स्थिति इतनी गम्भीर हो गई है कि उस एरिया को अकाल-ग्रस्त माना जाय । इसे विशेष ध्यान के लिये मैं माननीय राजस्व मंत्री के पास भेज रहा हूं ।

नियम ५२ की शेष सूचनायें अस्वीकृत हैं ।

श्री मुकुटबिहारी लाल (जिला बाराबंकी)--

एक मैंने भी दिया है । सारे प्रदेश में जबरदस्ती वसूली की जा रही है और रसीद भी नहीं दी जा रही है ।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)--

एक मैंने भी नियम ५२ में दिया है । श्री एच० वी० कामथ की मीटिंग के लिये लाउड स्पीकर की इजाजत नहीं दी जा रही है ।

श्री अध्यक्ष--

साधारण प्रशासकीय बातों का विषय नियम ५२ के अन्तर्गत नहीं आता है ।

पंचवर्षीय योजनाओं से हुई प्रगति की जांच एवं सुझाव देने हेतु एक कमेटी की स्थापना के संबंध में संकल्प†

श्री अध्यक्ष--

माननीय शारदाभक्तसिंह के संकल्प पर श्री श्रीपालसिंह जी बोल रहे थे । वह अपना भाषण जारी रखें ।

*कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)---

अपना भाषण शुरू करने से पहले मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे सेक्रेटेरियेट के एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जितने टेलीफोन के सब्सक्राईबर्स इस सचिवालय के ह उनके पास एक परिपत्र आया है अंग्रेजी में । चाहे और कहीं वह जाय लेकिन मेरा निवेदन है कि कृपया आप अपने सचिवालय से उसे वापिस करा दें । सरकार तो अंग्रेजी-परस्त है ही ।

श्री अध्यक्ष---

मेरे पास भेज दीजिये, मैं देख लूंगा ।

कुंवर श्रीपालसिंह---

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस संकल्प में कई बातें हैं । पहली तो यह है कि अब तक राज्य के सामान्य जन के जीवन-स्तर में वृद्धि करने, आर्थिक क्षेत्र में बढ़ती हुई विषमता, बेकारी, और केन्द्रीयकरण को रोकने , यानी योजनाओं द्वारा सरकार ये-ये बातें करेंगी जो वह नहीं कर पाई । इसका प्रमाण यह है कि यदि हम देखने का प्रयत्न करें कि हमारी योजनाओं से कितनी उत्पादन में वृद्धि हुई, हम किस स्थान पर पहुंचे हैं, हमारे प्रदेश के और अन्य प्रदेशों के मुकाबले में हमारा प्रान्त किस स्थान पर है, तो इससे हमें अन्दाजा हो सकता है कि हमारी योजनाओं ने हमें किस स्थान पर पहुंचाया है । हम किसी दूसरे देश से अपना मुकाबला करें तो यह कह दिया जा सकता है कि वहां की परिस्थितियां यहां की परिस्थितियों से भिन्न हैं और वहां से मुकाबला नहीं किया जा सकता है । इसलिये मैं अन्य देशों की बात कहने की कोशिश नहीं करूंगा । यह सब जानते हैं कि उन्नति के लिये सड़कों का होना अत्यन्त आवश्यक है । किसी भी देश, प्रदेश, गांव, तहसील, जिला, जहां की सड़कें अच्छी होंगी, संचार साधन जहां के अच्छे होंगे, उतनी ही उसकी अधिक प्रगति होगी । हमारे यहां सड़कों का जो निर्माण तीन पंचवर्षीय योजनाओं में हुआ है उसमें प्रति-मील ६४९ व्यक्ति पड़ते हैं, जब कि अखिल भारतीय स्तर पर ३७० व्यक्ति पड़ते हैं । श्रीमन्, कृषि को छोड़ कर बकिया चीजों में हमारे प्रदेश का स्तर निम्नप्रकार है ---

			उत्तर प्रदेश में	अखिल भारतीय स्तर पर
कृषि मजदूर	..	..	११.३०	१६.७१
खान मजदूर	..	..	.७	२.७५
गृह उद्योग	..	..	६.२४	६.३९
मेन्युफैक्चरिंग	..	..	२.७८	४.२२
निर्माण कार्य	..	..	.७४	१.०९
व्यापार और वाणिज्य	..	..	३.६८	४.०५

†३०अप्रैल, १९६५ की कार्यवाही से ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[कुंवर श्रीपालसिंह]

केवल कृषि मात्र ऐसा है जिसमें हम भारतीय स्तर से ऊंचे हैं, शेष चीजों में हम पीछे हैं। हमारे यहां कृषि में लगी हुई जनसंख्या ६३.८९ है जब कि भारतीय स्तर पर ५२.८२ है। यह सिद्धान्त है कि जो भी प्रदेश या देश कृषि पर आधारित रहता है वह और प्रदेशों के मुकाबले में गरीब होता है। इन आंकड़ों से मालूम होता है कि हम अपनी ही योजनाओं के द्वारा अपने ही देश में किस स्तर पर हैं। हमारे यहां प्रति व्यक्ति आय २४० रुपया है जब कि अखिल भारतीय स्तर पर ३३० रुपया है। इस २४० में शहरी लोगों की आय भी सम्मिलित है।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है। जिस प्रस्ताव पर हम बहस कर रहे हैं ठीक वैसी ही बहस चतुर्थ पंचवर्षीय योजना पर जब बहस होगी, तब हो जायगी। इसके आगे ही एक और प्रस्ताव है इसी सचिवालय के कर्मचारियों के वेतन के संबंध में। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि उसको पहले ले लिया जाय क्योंकि वह हमारे विधान सभा के कर्मचारियों से संबंधित है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय उपनेता विरोधी दल और माननीय नेता संसोपा भी साथ-साथ बैठे हैं। वे आपस में तय कर लें। मैं इतना जरूर कहूंगा कि माननीय कृष्णानन्द राय जी ने जो सुझाव रखा है उसको सहानुभूतिपूर्वक विचार कर लिया जाय।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

उसी पर विचार हो रहा है। श्रीमन्, जब आप कुछ बात कहते हैं तो हम विचार करने पर मजबूर हो जाते ह।

कुंवर श्रीपालसिंह—

नेशनल कौंसिल आफ एकोनामिक अफेयर्स ने एक सर्वे करायी और उसके द्वारा वे इस नतीजे पर पहुंचे कि सारे भारत में २९ जिले पिछड़े हुये समझे जा सकते हैं और उनमें ११ जिले उत्तर प्रदेश में हैं। उसने अपने प्रतिवेदन में यह भी बताया है कि देश में सबसे गरीब ५८ जिले हैं और श्रीमन्, उन ५८ जिलों में सबसे गरीब २२ जिले उत्तर प्रदेश के हैं। हमारे मुकाबले में बिहार जिसके लगभग आधे खेत पहाड़ी और जंगली हैं, उसमें १२ गरीब जिले हैं। उड़ीसा जैसा छोटा सा प्रान्त और मध्य प्रदेश जैसा बहुत बड़ा प्रान्त, इनमें केवल ५–५ जिले आते हैं। उस रिसर्च सर्वे में गरीब जिलों के खाने के अन्दर हमारे उत्तर प्रदेश के २२ जिले आते हैं, इस बात से भी यह बिलकुल सिद्ध होता है कि हमारी जो योजना यहां बनी वह कागज पर बनी और कागज के ऊपर ही चलायी गयी जिससे जिस रुपये को जहां लगाना चाहिये वहां तो वह लगा नहीं और अगर लगा तो गलत जगह पर लगा। जैसा कि सार्वजनिक विभाग के मंत्री ने बतलाया कि हमारे पूर्वी यू० पी० के ४ जिलों के लिये जो पटेल आयोग बना था उसके सदस्यों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पटेल आयोग जिन ४ जिलों की तरक्की के लिये बनाया गया था, वहां जाकर सर्वे किया गया, जांच की गयी, जिन-जिन चीजों की संस्तुति उन सदस्यों ने दी वह सरकार के खरीते में आकर पड़ी रह गयी और आज तक उसके ऊपर काम शुरू नहीं हुआ, क्या कारण है? हमारी ज्यादा योजनायें खतम हो गयीं, उनका प्रभाव कई जगह जितना चाहिये नहीं हुआ। उसका एक मात्र कारण यही है कि मैं क्षमा चाहूंगा श्रीमन्, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि सरकार मंत्री स्तर पर अपनी पार्टी के झगड़े में उलझी हुई है और सचिवालय स्तर पर सचिव लोग केवल मंत्रियों को प्रसन्न करने में लगे हुये हैं और जिला स्तर पर यानी सचिवालय से नीचे के ये अधिकारी उन सचिवों को प्रसन्न करने में लगे हुये हैं और तहसील के अधिकारी जिला अधिकारियों को प्रसन्न करने में लगे हुये हैं और इस तरह से किसी भी विभाग की बात ले ली जाय, वह अपने से ऊपर वाले आफिसर को खुश करने में लगा हुआ है। प्रदेश किस प्रकार से तरक्की करे, और प्रदेश में जो जो योजनायें

बनायी गयी हैं उनको किस प्रकार से लागू किया जाय, उससे जितना वांछित लाभ हो वह लिया जा सके, इस बात की तरफ किसी का ध्यान नहीं है । मैं तो किसी मंत्री को भी चैलेंज करता हूं कि यदि वे अपने इसी सचिवालय में अपने कमरे को छोड़ कर जरा उठें और माननीय किदवाई साहब की तरह से भेष बदलें और फटा हुआ कुर्त्ता या फटी हुई शेरवानी पहन कर निकल जायं, सचिवालय के किसी दूसरे विभाग में चले जायं जहां पर कि लोग उनको पहचानते न हों, उसमें जरा जाकर देखें कि सचिवालय में किस प्रकार से काम चल रहा है । श्रीमन, जितने सेक्रेटरी हैं उनकी मेज के दोनों तरफ फाइलें गंजी रहती हैं और वे कुर्सी पर बैठ कर उन फाइलों पर अपने हाथ भी नहीं रखते, वे केवल ट्रांसफर डील करते हैं । मंत्री लोग केवल अपनी कुर्सी सम्भालने के लिये अपने गुट की कुर्सी सम्भालने के लिये, किसी भी गुट के मंत्री हों इससे मेरा कोई मतलब नहीं, वे केवल यही आर्डर दिया करते हैं कि इस व्यक्ति का यहां से ट्रांसफर करो, इस व्यक्ति का वहां से यहां ट्रांसफर करो । और इस तरह से वे अधिकारी अपने विभागीय काम में न लगकर इस तरह के कार्य में लगे हुये हैं । यही कारण है कि हमारे यहां जो योजनायें बनी हुई हैं वे भी कार्यान्वित नहीं हो रही हैं । जब सेक्रेटरी फंस गया तो पूरा विभाग ही फंस गया । जो एक फाइल ४ दिन में चल सकती है तो वह ४ मास तक पड़ी रह जाती है और उस विशेष कार्य पर जितना रुपया व्यय होना चाहिये था वह सारा काम ही रुक जाता है और अन्त में जल्दी जल्दी मार्च के महीने में उस सब को पूरा करना पड़ता है और फर्जी तौर पर रुपये का खर्च भर दिखा दिया जाता है । इस का कोई नतीजा नहीं निकलता । इसी तरह से जीवन-स्तर में वृद्धि करने, आर्थिक क्षेत्र में बढ़ती हुई विषमता को दूर करने और बेकारी और केन्द्रीयकरण को रोकने में यह योजनायें असफल हुई हैं । बेकारी की हालत यह है कि, आंकड़े इस समय मेरे पास नहीं हैं वर्ना मैं उपस्थित करता, बेकारी की रफ्तार इस कदर बढ़ रही है कि अपढ़ लोगों की तो बात ही क्या, पढ़े लिखे लोगों तक की बेकारी इस कदर ज्यादा है कि बराबर उन की संख्या बढ़ती जाती है ।

अब अभाव, महंगाई कर और कर्जा, परावलम्बन और परानुकरण की भावना को लीजिये । यह चीजें कम नहीं हुई हैं बल्कि बराबर बढ़ी हैं । कहा जाता है कि इसी उद्देश्य से यह योजनायें चलाई जा रही हैं । अभाव का अर्थ यह है कि श्रीमन्, आप मुझ से उम्र में बड़े हैं, लेकिन मैं अपने ही बचपन की बात बताता हूं आपके, बचपन में तो इस से भी आगे चीज रही होगी । मेरे अपने में बचपन में मुझे अच्छी तरह से याद है कि एक रुपये का गल्ला कोई आदमी अगर खरीदता था तो उस को ऊंट पर लाद कर ले जाता था, वह आदमी से नहीं जा सकता था और आज एक रुपये का गल्ला लोग पाकेट में, थैले में, रखकर ले जा सकते हैं, बोरे की कोई जरूरत नहीं है । पहले अनाज मनों में बिकता था, फिर सेरों में बिका, फिर पावों में बिका और अब छटांकों में बिक रहा है और अगर योजनाओं की ऐसी ही प्रगति रही और इस तरह से ही वह कार्यान्वित की गई तो वह दिन दूर नहीं है जब अन्न तोला, माशा में बिकने लगेगा । कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिस का अभाव योजनाओं से कम हुआ हो । इस का कारण क्या है कि अभाव बढ़ रहा है ? अगर योजनायें सफल हैं और अगर उन के द्वारा हम सफलता की ओर बढ़ रहे हैं तो अभाव क्यों होता जाता है । बेकारी के लिये मैं निवेदन कर ही चुका । महंगाई के बारे में कुछ कहने वाला नहीं है । जितने वेतन पर पहले लोग मुलाजिम होते थे आज उस की ड्योढ़ी महंगाई वह पाते हैं, वेतन की ड्योढ़ी दुगुनी महंगाई है, सरकार जो बहुत नापजोख कर पैसा देती है और कम से कम कर के देती है उस को भी मजबूर होकर यह करना पड़ा है कि महंगाई के नाम पर ड्योढ़ा दुगुना किया जाय, उनके अंकों से ही सिद्ध है कि कम से कम महंगाई दुगुनी तो जरूर ही हो गई है यद्यपि बढ़ी तो वह दस बारह गुनी से भी अधिक है । पहले का तो कोई मुकाबला ही नहीं लेकिन जब से योजनायें चली हैं तब से रुपया ६ पैसे का ही रह गया है ।

कर्जे की हालत अगर देखी जाय देश के स्तर पर तो हम देखेंगे कि तृतीय पंच वर्षीय योजना के अंत में वह लगभग २० हजार २ सौ १० करोड़ रुपया हो जायगा । अब हम अगर यह देखें कि एक एक योजना पर कितना खर्च हुआ तो २०,२१०करोड़ रुपया तो वह हो गया और अभी

[कुंवर श्रीपालसिंह]

प्रतिवर्ष की आय जो करीब १,७०० करोड़ के लगभग है, उसको भी जोड़ें उस समय से जब से कि हमारी पंचवर्षीय योजनायें चली हैं तब से वह भी लगभग उतना ही हो जाता है। अर्थात् ४४ या ४५ हजार करोड़ रुपया हमने खर्च किया है। इतना खर्चा करने के बाद परिणाम जो निकला है वह आपके सामने है, जो मैंने पहले ही कह दिया है कि हमारे यहां पर महंगाई १० या ११ गुना बढ़ गयी है। आवश्यकता की जरूरी चीजें बाजार से गायब हो गयी हैं। किसी भी व्यक्ति को यह निश्चय नहीं रह गया है कि फलां सामान वह पा ही सकता है। तो इस तरह से आप देखें कि इन योजनाओं के प्रतिफल जो हैं वह कितनी बुरी तरह से हमारे सामने आये हैं।

परावलम्बन का जहां तक सम्बन्ध है, हम देश के स्तर पर ही इसको देखें तो पता चलेगा कि जब चीन ने हमारी सीमाओं पर आक्रमण कर दिया तो हम अमेरिका के सामने घुटने टेकते हैं और जब पाकिस्तान ने हमला किया तो हम रूस के सामने घुटने टेकते हैं। हम अपने पैरों पर खड़े होने के काबिल नहीं हैं। हम लोग दूसरों के आधार पर चलने वाले हैं क्योंकि अपने आधार पर चलने के लिये हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे नेतागण कहते हैं कि हमारी स्वतंत्र नीति है और हम स्वतंत्र नीति पर ही चलेंगे पर यह नहीं समझते हैं कि हम स्वतंत्र नीति पर अपने पैरों के बल पर ही चल सकते हैं। योजनाओं के द्वारा वे हमारे उद्देश्य बिलकुल फेल हुये हैं। हमारे देश में एक इस्पात का कारखाना लगाने में ५ अरब रुपया लगता है और इस ५ अरब रुपये को अगर हम और जगह पर लगायें तो देश की कितनी प्रगति हो सकती है। मगर नहीं, इस्पात का कारखाना लगाया जाता है कि इससे दुनियां में हमारा नाम हो कि हम सबको स्पात सप्लाई कर रहे हैं। आज पाकिस्तान जैसा देश जिसकी हैसियत खटमल की भांति है हमारी सीमाओं पर अतिक्रमण करने की हिम्मत करे और जब चाहे घुस आये उसका कारण केवल यह ही है कि हम दूसरों का मुंह देखते हैं। यह परावलम्बन नहीं है तो क्या है। हमारी फौज ने जब पाकिस्तान की ३ चौकियों को जो काश्मीर के उस हिस्से में जहां पर पाकिस्तान ने बदमाशी से, गुंडई से कब्जा कर रखा है, तो अंग्रेजी सरकार ने वहा से तुरन्त सलाह मश्विरा की बात चलायी है। तो मैं समझता हूं कि यह योजनाओं को चलाने वाले कांग्रेसी सरकार बहुत जल्दी ही उनके सामने घुटने टेक देगी कि सुलह को हम मानते हैं। तो मैं समझता हूं कि परावलम्बन इन योजनाओं द्वारा बढ़ा ही है, किसी भी रूप में घटा नहीं है।

दूसरों का अनुकरण करना। इसमें आप देखें कि अधिक न कह कर आप संविधान को ही उठा कर देखें तो ज्ञात हो जायगा कि हम दूसरों का अनुकरण करने में कितने तेज हैं। हम अपना संविधान बना सकते थे। भारतीय परम्परा के आधार पर, अपने वातावरण, अपने रहन सहन, अपने चरित्र तथा अपने इतिहास के अनुकूल हम अपने संविधान का निर्माण कर सकते थे लेकिन वैसा न करके भानुमती का पिटारा बना दिया। थोड़ा इंग्लैण्ड का, थोड़ा अमेरिका का, थोड़ा आस्ट्रेलिया का, थोड़ा कनाडा का कहीं का, ईंट कहीं का रोड़ा जोड़ कर यह संविधान बना दिया गया है। यह परानुकूल के लिये ज्वलंत उदाहरण है।

अब भाषा में भी देख लीजिये। अंग्रेजी के पीछे पड़े हुये हैं, यह परानुकूलन नहीं है तो क्या है? संविधान में लिखा है कि १५ साल के बाद अंग्रेजी समाप्त हो जायगी, पर १५ साल के उपरान्त कानूनी अड़चनें लगा दी गयीं और कहा जाता है कि दक्षिण वाले विरोध करते हैं। टंडन जी ने जब हिन्दी की बात कही थी तो राजाजी ने उनको सपोर्ट किया था और मदरास में कई लोगों को हिन्दी के विरोध में पकड़वा कर जेल भिजवा दिया था लेकिन दिल्ली की सरकार ने उसे रख लिया। वही दूसरों का अनुकरण करने की भावना से उन्होंने अंग्रेजी को जीवित रखा जो राक्षसी के रूप में हमारे सामने है और सुरसा जैसी उसकी हालत हो गयी है। जैसे जैसे हिन्दी के लिए कुछ कहा जाता है उसका मुंह वैसे ही वैसे बढ़ता जाता है। तो योजनाओं के द्वारा अनुकरण बढ़ा है घटा नहीं है।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)--

अध्यक्ष महोदय, यह माननीय शारदा भक्त सिंह द्वारा जो संकल्प इस सदन में प्रस्तुत है, उस की भाषा से मैं किसी प्रकार सहमत नहीं हूं लेकिन एक खुशी की बात यह है कि इस प्रस्ताव के पढ़ने से ऐसा प्रतीत जरूर हुआ कि दिन प्रति दिन विरोधी पक्ष का और खास कर भारतीय जनसंघ के साथियों का योजना में विश्वास बढ़ता जा रहा है । यह वेलकम साइन है और इसका हम स्वागत करते हैं क्योंकि कभी यह कहा गया है कि योजनाओं में विश्वास नहीं है । मैं भी अपनी निजी शिकायतें कुछ आपके माध्यम से सरकार के सामने रखना चाहता हूं और वह यह हैं कि यह स्टेट ५ जोन्स में बाटी गयी है। इस प्रदेश का पुराना नाम था संयुक्त राज्य आगरा व अवध। यह अवध जो है इसको एक जिला एक जोन में, दूसरा जिला दूसरे जोन में और तीसरा जिला तीसरे जोन में जोड़ दिया गया । अवध ताल्लुकेदारों का इलाका था और जिस प्रकार अवध के काश्तकारों को कुचला गया वह माननीय गिरधारी लाल जी से, माननीय जयराम जी से और उत्तर प्रदेश सरकार से छिपा नहीं है । जिस तरह का दमन इस अवध के ताल्लुकेदारों के जरिये से हुआ वह यह है कि किसानों की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई । मैं मंत्री जी के सामन सफाई से कहना चाहता हूं कि यह वही अवध है जिसकी वजह से प्रदेश की सरकार और कांग्रेस कायम है। रायबरेली के किसान आन्दोलन ने और हरदोई के किसान आन्दोलन ने कांग्रेस का झंडा ऊंचा किया है । श्रीमन्, अवध के हरदोई, सीतापुर, सुल्तानपुर, बाराबंकी तथा प्रतापगढ़ आदि वे जिले हैं जिनकी ओर बदकिस्मती से सरकार की दृष्टि नहीं गई है । जितना हमने त्याग किया है उसके लिये हमें क्या मिला है ? हमारे प्रदेश में ५ जोन हैं, मैं मांग करता हूं कि छठा जोन और बनाया जाय क्योंकि हमें तकलीफ है और हमें दिक्कतें हैं । छठा जोन बनाकर जो भी अलाटमेंट हों वह हमें दिया जाय ।

श्रीमन्, चौथी योजना बहुत बड़ी है और हर शख्स आर्थिक विषमता दूर करने के लिये प्रयत्नशील है । हम चाहते हैं कि हमें भी पानी, रास्ते और वे सब साधन मिलें जो अन्य लोगों को मिले हुये हैं । माननीय शारदाभक्त सिंह जी ने जो प्रस्ताव पेश किया है वह अवध के दृष्टि-कोण के सामने रखकर ही किया है । मैं समझता हूं कि वे भी हमारी बात का समर्थन करेंगे क्योंकि जिस जिले में हम हैं वह भी उसी जिले के हैं । चौथी योजना साढ़े इक्कीस हजार करोड़ की है। यही ६।७ बदकिस्मत जिले हैं जिनकी तरफ सरकार की तवज्जह नहीं है । यह प्रस्ताव तवज्जुह दिलाने के लिये ही लाया गया है । यदि इसकी भाषा ठाकुर साहब ठीक कर लें तो मैं इसका समर्थन करने के लिये तैयार हूं । लेकिन इसकी भाषा सरकार को सेंसर करने की है, इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं । माननीय अशोक मेहता जी ने जो कल आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत की उस भावना से ओत प्रोत होकर, यहां यदि बहस हो तो मैं समझता हूं कि सरकार को बहुत मुनासिब सलाह मिल सकती है । लेकिन हम शिकायत करेंगे और हमारी शिकायत जायज है । चौधरी साहब जानते हैं और वे हर महकमें में रह चुके हैं और सारे महकमों की उनकी जानकारी है । मैं उनसे मांग करता हूं कि हमारे यहां छठा जोन स्थापित होना चाहिये वरना हम बहुत पीछे चले जायेंगे । प्रदेश एक योजना पीछे है और अवध ढाई योजना पीछे है । हम अपनी दिक्कतों और परेशानियों को आपके सामने रखना चाहते हैं ।

श्रीमन्, चौथी योजना को पढ़कर हमें बड़ा खेद हुआ । इस योजना में इन जिलों का कोई जिक्र ही नहीं है । आर्थिक विषमता दूर हो इसमें हम भी आपके साथ शामिल हैं । लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप विकास करें और हम दो योजना पीछे चलते चले जायं ।

उत्तर प्रदेश एक योजना पीछे, अवध दो योजना पीछे है । हमारा भी खयाल रखा जाय । दिक्कत यह है कि हमारी अवध की आवाज इस सरकार में कम से कम है। हमारे अवध के केवल एक उपमंत्री डाक्टर रामनारायण पांडेय हैं और कोई हमारी आवाज उठाने वाला सरकार में नहीं है । अगर हम कुछ कहें तो नाखुश हो जाते हैं । मैं मांग करता हूं कि अवध का छठा जोन बनाया जाय और छठे जोन का चार्ज अध्यक्ष जी आपके पास हो तभी इंसाफ हो पायेगा नहीं तो इंसाफ नहीं हो पायेगा । आप भी श्रीमन, अवध के लेजिस्लेटर्स की मीटिंग में थे । उनके

[श्री जे० पी मिश्र]

दुख की कहानियां आपने भी सुनी हैं। आपको भी हम से हमदर्दी है। आपका भी दिल दिमाग हमारी तरफ है। इसलिए अवध के उद्धार के लिए श्री अध्यक्ष, माननीय मदन मोहन वर्मा, अगर चार्ज ले लें तो भी यह सरकार सुनेगी नहीं तो हमारी सुनवाई की कोई गुंजाइश नहीं है। आप मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर या पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी न बनाइये लेकिन अवध की एक काउंसिल बना दें लेजिस्लेटर्स की। हम सब लोग आपसे सहयोग करने के लिये तैयार हैं। अगर हम चौथी योजना में भी पीछे रह गये तो हमारा सर्वनाश हो जायगा। आप घूमते हुए रायबरेली से चल कर उन्नाव, हरदोई तक चले आइये, बीच में प्रतापगढ़ खपरैल वाला छूट जाता है, बाकी लगातार फूंस के छप्पर मिलेंगे। जेठ वैसाख में लड़के खेलते हैं, आग लग जाती है, तो छप्पर, लकड़ी, कपड़ा और दो चार नोट जो छप्पर मे लगे रहते हैं सब जल जाते हैं। हम लोग इस दशा मे रहने वाले लोग हैं। इस पर पंचवर्षीय योजना पर बहस के समय ब्योरेवार कहूंगा। हमारा हक है। हम भी आपके अंग हैं। हमारा भी पुराना इतिहास है। उसके साथ हमारी मांग है कि अवध के जिलों को दूसरे जोन्स से निकाल कर उनकी एक कंटीगुअस यूनिट बनायी जाय।

श्रीमन्, एक बात और आपके माध्यम से कहनी है। तनख्वाहों की मांग चारों तरफ महंगाई के कारण बहुत तेजी से उठती जा रही है। कहीं भूख हड़ताल कहीं प्रदर्शन। फीस बढ़ाओ, तो स्टेशन जला दें, पटरी उखाड़ कर फेंक दें, गल्ला न पहुंचे तो बाजार लूट लें, गल्ले के डिपोज लूट लिये जायं। महंगाई के कारण इसमें शक नहीं है कि १९५० के रुपये की कीमत १९५६ में १५ नये पैसे बराबर रह गयी है। अगर इस तरह से रुपये की कीमत घटती गयी और महंगाई जोर पकड़ती गयी तो वह समय आ सकता है कि वह आगे चलकर रुपये की कीमत नहीं के बराबर रह जाये। अतः मै जिस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं वह यह है कि पूरा सदन यह चाहता है कि उत्पादन में वृद्धि की जाये और उत्पादन में वृद्धि किन उपायों से हो, इसलिये इनकी योजना जो बनी है, जो बनकर प्लानिंग कमीशन तक पहुंच गई है और एप्रूव भी हो गयी, इसके सिलसिले में जो डिटेल हैं, ऊपर यदि उत्पादन को बढ़ाने के लिये विधान सभा के सदस्यों की तरफ से कुछ वाजिब सुझाव आयें तो उनको भी सरकार को स्वीकार कर लेना चाहिये। जैसा कि प्रधान मंत्री ने बहुत सफाई के साथ कह दिया है कि कृषि में यह प्लान काटी नहीं जायगी। मैं चाहता हूं कि १९६६-६७, और १९६७-६८ के ५ वर्षों के लिये जो धन एलाट हुआ है, उस धन पर हमको कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिये हर साल हमारी राय ले ली जाया करे।

आखिरी बात मुझे बहुत सफाई से आपके माध्यम से कहना है कि कांग्रेस पार्टी में और मेरे तमाम साथी इस राय के हैं कि अब कामन मैन की पीठ पर करों का बोझ और ज्यादा न बढ़ाया जाय। इस देश की ८० प्रतिशत और ८५ प्रतिशत जनता आज किसी तरह का टैक्स प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष देने के काबिल नहीं है। इसलिये रिसोर्सेज जुटाने में और नये करों के इंतजाम में सरकार को एक बात निश्चित कर लेना चाहिए कि किसान का लगान किसी कीमत में भी सरकार छुवेगी नहीं, चाहे वह १० एकड़ हो, चाहे ८ एकड़ हो या १ एकड़ हो। गल्ला आप उनसे अवश्य मांग सकते हैं, जो १२ एकड़ से ऊपर क काश्तकार हों। हां माननीय भानुप्रताप जसे जो किसान हैं उनसे सरकार ले सकती है, उनके लिये सरकार को छूट है जिन्होंने हजारो और लाखों एकड़ भूमि अपने कब्जे में कर ली है। ऐसे लोगों से लेवी ले लिया जाये तो कोई अनुचित बात नहीं है, ठीक ही है, लेकिन गरीब छोटे किसान के ऊपर किसी प्रकार का भी कर न बढ़ाया जाय। एक्सा-इज है, रेल है, तार है, आदि आदि तमाम साधन है जिनसे जाने कितना रुपया केन्द्रीय सरकार को जाता रहता है, रेल के किरायों मे जो वृद्धि होती रहती है उसको भी धनराशि बराबर बढ़ती हुई केन्द्र सरकार को मिला करती है। करोड़ों रुपया उत्तर प्रदेश से केन्द्रीय सरकार को पहुंचा करता है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है इसलिये केन्द्र की सरकार को इसका सबसे ज्यादा कान्ट्री-ब्यूशन है। उसने पिछली तीन योजनाओं में बहुत ज्यादा कान्ट्रीब्युशन सेन्ट्रल को दिया है, इसलिये अब इसको करों से छूट मिलनी चाहिये। इसलिये हमें एक योजना के बराबर पैसा नई और पुरानी कान्ट्रीब्युशन में से मिलना चाहिये।

*श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संकल्प माननीय शारदा भक्त सिंह जी ने रखा है सदन के सम्मुख वह बहुत सामयिक है और इसकी बहुत आवश्यकता है। संकल्प में मांग यह की गयी है कि सरकार एक ऐसी कमेटी का निर्माण करे और वह हमारे प्रदेश में जो तीनों योजनायें बनीं उनका जितना प्रभावकारी रुप होना चाहिये था वह नहीं हो सका और मैं भी यह समझता हूं कि इस तरह से कमेटी बनने से सरकार का और इस प्रदेश की जनता का ही बहुत बड़ा हित होगा। शिकायत यह रही है कि तीन योजनायें बीतने के बावजूद जहां करोड़ों रुपया इन योजनाओं पर लगाया गया जिनके लिये यह योजनायें बनीं उनसे लाभ के बजाय हानि हुई। मैं सही रूप से कह सकता हूं कि इसका एकमात्र कारण केवल यही है कि योजनायें बनाने वाले और चलाने वाले वे लोग रहे हैं जो अव्यावहारिक थे जो इस प्रदेश में खास तौर से गांवों और गरीबों की समस्याओं से अनभिज्ञ रहे हैं। अगर यह कमेटी इस तरह की बनी तो उसके दो बड़े फायदे होंगे। एक तो बड़ा फायदा होगा कि जो परिणाम योजनाओं का हुआ है एक तरह से उनकी जांच हो जाय और उसके बाद जो सबसे बड़ा फायदा होगा कि जो आगे योजना हमारी चौथी बननेवाली है, उसमें अगर सरकार ने सावधानी बरती और इस कमेटी के जो व्यावहारिक सुझाव हुए उनको सही रूप में लाग किया गया तो प्रदेश का बहुत बड़ा हित होगा।

प्लानिंग कमीशन जो है जो सारे देश की योजनाएं बनाता और चलाता है उसमें एक भी मेम्बर ऐसा नहीं है जो गांव की आबोहवा में रहा हो, जो गांव की हालत को जानता हो। वह सही रूप से कागजी योजनाओं पर चलता रहा। कागज पर हिसाब लगाया और हमारे सरकारी अधिकारी लखनऊ में बैठकर सारी स्थिति को कागज पर बनाकर देते रहे हैं। मेरी शिकायत यही है कि वे आंकड़े हेड क्वार्टर्स पर और लखनऊ में बनाते हैं। उदाहरण स्वरूप सिंचाई विभाग का एक मामला है। चूंकि सिंचाई मंत्री जी यहां पर मौजूद हैं। जब यह पूछा गया कि कितनी सिंचाई हुई और वास्तव में आज जो शिकायत है वह यही तो है कि नहरें बड़ी, ट्यूबवेल्स बढ़े लेकिन सिंचाई का क्षेत्र नहीं बढ़ा। उसका एकमात्र कारण यही है कि सिंचाई विभाग के कर्मचारीगण ने एक हिसाब लगाया कि कितना रुपया खर्च में लगेगा और उन्होंने हिसाब लगाया कि इतनी सिंचाई बढ़ जायगी। उसका एक फार्मूला बना है और सेक्रेटेरियट से लेकर इंजीनियर तक ने उस रुपये से हिसाब लगाकर रख लिया कि इतने रुपये से इतनी सिंचाई बढ़नी चाहिये और चाहे उस रुपये से डाक बंगला बना हों, चाहे उससे ट्रक खरीदे गये हों, चाहे पुल बना हो उन्होंने हिसाब लगा दिया कि सिंचाई इतनी बढ़ गयी और हमारी सरकार उनपर विश्वास करती है और रुपये के हिसाब से सिंचाई बढ़ा दी गयी। आज तक इस बात की जांच नहीं हो सकी कि कितनी सिंचाई हुई। सिंचाई मंत्री मौजूद हैं, उनसे विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि व्यावहारिक जांच आप करायें कि ऐसी स्थिति सिंचाई की क्यों है कि इधर आपके यहां सिंचाई बढ़ी लेकिन उधर किसान के यहां सिंचाई नहीं हुई।

हमने एक ओर अपने विकास कार्यों के लिये इतना कर्जा लिया है कि उस कर्जे के सूद को चुकाने के नाम पर फिर हम कर्जा ले रहे हैं तो अन्दाज नहीं लगाया जा सकता। पता नहीं कि कर्जे को कब, किसको और किस शक्ल में देना पड़ेगा। योजनाओं के परिणाम में भुखमरी की शक्ल है जिनके लिये योजनाये बनाई गई वह आज भूखा है। वह किसान जो पैदा करता है वह भूखा है। पूर्वी जिलों की बात मैं कहता नहीं लेकिन २, ३ पंचवर्षीय योजनाओं के बाद भी पश्चिमी जिलों का खेती करने वाला किसान आज भूखा है। पिछली जनवरी, फरवरी में जिसने देखा है, मैं दिल्ली के बहुत नजदीक रहता हूं, मैं कह सकता हूं कि भूखे मरने के अपेक्षा कितने ही लोगों ने कानून तोड़ कर दिल्ली की जेल में रहन पसन्द किया। छोटे छोटे बच्चे औरतें, इधर से उधर यमुना के पार चीजों के लाने ले जाने में जेल गए। भूख ऐसी चीज है जिसके लिये हर चीज आदमी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामचन्द्र विकल]

कर सकता है । जब हमारी तीन योजनाओं पर करोड़ों रुपया खर्च किया गया और उसके परिणाम स्वरूप जो खेती से सम्बन्धित मजदूर और मेहनत करने वाले लोग हैं वे यदि भूखे रहते हैं तो मैं यह कह सकता हूं कि यह योजनायें अभी तक निरर्थक रही हैं । इस निरर्थक फल के परिणाम स्वरूप यदि सरकार ने पिछले अनुभव से लाभ नहीं उठाया तो ये अगली योजनाएं भी नुकसानदेह साबित होंगी । जब राष्ट्रीय संकट है, जब चीन और पाकिस्तान की हरकतों से रोजमर्रा हमारे देश के अन्दर एक खतरा बना हुआ है और हमारे बहुत सी जमीन पर उन्होंने कब्जा कर रखा है तब यह बहुत जरूरी हो जाता है कि सरकार को और खासतौर से प्रदेशीय सरकार को एक एक पाई बचानी चाहिये और उस टैक्स को, जो कमर टूटी हुई जनता से वसूल किया जाता है, उसको न बढ़ाया जाय । यह टैक्स जिसकी आप बात करते हैं, कहां जायगा ? इसका असर उसी गरीब के ऊपर जाकर पड़ेगा । क्या आप इस टैक्स को बड़े लोगों पर लगायेंगे ? हरगिज उनके ऊपर इसका असर नहीं जायगा । ये बड़े सरकारी कर्मचारी अधिकतर बड़े बाप के बेटे होते हैं । वे फर्जी योजना बनाकर और फर्जी ड्राफ्ट बनाकर मन्त्रियों के सामने रख देते हैं और उनसे दस्तखत करा लेते हैं । लेकिन यह टैक्स का भार वहीं जाकर पड़ेगा जो परेशान हैं और दुखी हैं । जिन के ऊपर टैक्स का भार पड़ना चाहिये वे बच जाते हैं । यहां पर रोज सवाल उठता है कि कानपुर के लोगों से टैक्स वसूल क्यों नहीं किया गया । वे बच जाते हैं ? वे होशियार लोग हैं । वे बचने के लिए सब तरह के उपाय करते हैं । इसलिये मैं निवेदन यह करता हूं कि इस कमेटी का निर्माण बहुत उपयोगी सिद्ध होगा और सरकार को इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मान लेना चाहिये । पिछली योजनाओं से जो अनुभव प्राप्त हुआ है उससे अगली योजनाओं के लिये काम करना लाभप्रद होगा ।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि अगली योजनाएं आपकी सफल नहीं हो सकतीं, अगर पिछली योजनायें जो गलत नीति के आधार पर बनी हैं उनसे आगे के लिये लाभ न उठाया गया । पिछली योजनाओं में बहुत सी योजनायें लाखों रुपया लगाने पर भी बेकार साबित हुई हैं । मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उन योजनाओं की बिलकुल जरूरत नहीं थी । ऐसे कितने ही डैम हो सकते हैं और दूसरी चीजों हो सकती हैं जिनकी बिलकुल जरूरत नहीं थी और जिनकी वजह से नुकसान हुआ है । उनमें रुपया खराब हुआ और सरकार को उन योजनाओं को रोकना पड़ा । जिन लोगों ने अव्यावहारिक योजनाएं बनाईं उनको आज तक दंडित नहीं किया गया । अगर कोई योजना गलत होगी तो उसके परिणाम भी गलत आयेंगे । लिहाजा इन तीन योजनाओं में जो गलत योजनाएं हुई हैं, जो फिजूल योजनाएं बनी हैं, चाहे वे ट्यूबवैल्स की हों, चाहे नालियों की हों, और चाहे कोई भी हों, उन सब योजनाओं का चेकिंग होनी चाहिये । अगर यह कमेटी बन जाय तो यह उन सब कामों की छानबीन करेगी जो पिछले प्लान के अन्दर हुए हैं । मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं और समझता हूं कि यह कमेटी बनना जरूरी है । सरकार इसको मान लें । फिर ऐसी योजनायें बने जिनमें किसानों की भी राय हो और मजदूरों की भी राय हों । अगर योजनाएं किसान और मजदूर की राय से बनाई जातीं तो मैं समझता हूं कि कम से कम रुपया खर्च होता और लाभ भी उसका ज्यादा से ज्यादा होता । आज हुआ यह है कि पानी की तरह से रुपया बहा दिया गया और जिस बेरहमी के साथ सरकार ने टैक्स लगाये उसका उतना लाभ नहीं हुआ है ।

आज भी मैं देखता हूं कि रुपया बहाया जा रहा है । मैं कहना चाहता हूं कि इस सेक्रेटेरियट के फर्श जब इतने मजबूत हैं तो यह क्यों तोड़े जा रहे हैं ? यहां की छत क्यों तोड़ी जा रही है ? यह जो इस तरह का काम किया जा रहा है क्या यह इस भूखे प्रदेश की उस हालत को साबित करता है जिसको हम और सब यहां पर रोया करते हैं । यहां पर मारबिल का फर्श लगाया जा रहा है जिन पर लोग चलते हुये गिरते हैं, क्या इनकी जरूरत है ? ये छत यहां पर अब क्यों तोड़ी जा रही हैं ? कोई खतरा किसी मिनिस्टर को नहीं था । सेक्रेटेरियेट के कमरों को सजाया जाता है । यह सब फिजूलखर्ची है जो आज भी हम देखते हैं कि किस तरह से हो रहा है । बहुत सा रुपया आज

भी बचाया जा सकता है जो उन किसान और मजदूरों के पेट भरने के काम आ सकता है जो आज मेहनत करने पर भी अपना पेट भर नहीं पाते हैं। मैं हरगिज उस समाजवाद का हिमायती नहीं हूं जिसमें मेहनत करने वाले गरीब, मजदूर और किसान को भूखा रहना पड़े। केवल बुद्धिजीवी, होशियार लोग जब तक मजे में रहेंगे तब तक प्रदेश के अन्दर पैदावार नहीं बढ़ सकती है। मैं हृदय से इस संकल्प का समर्थन करता हूं और सरकार से प्रार्थना करता हूं कि वह इस कमेटी के निर्माण की बात को मान लें और इससे जो भावी परिणाम निकलेंगे उससे प्रदेश की जनता का बहुत लाभ होगा।

*श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस प्रस्ताव के लिये माननीय शारदा भक्त जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। श्रीमन्, यह प्रस्ताव ऐसा है कि जो उत्तर प्रदेश की समस्याओं पर चिन्तन करने की ओर खींचता है और प्रदेश में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय योजनाओं में कार्य हुए हैं उनको अगर देखा जाय तो हम इसी निर्णय पर पहुंचेंगे कि उनकी जांच के लिये तथा आगे एक सीधा रास्ता बनाने के लिये एक कमेटी का निर्माण होना ही चाहिये जो सरकार को हर विषय पर अपने सुझाव दे सके। इस बात को कांग्रेस के अधिकांश सदस्य तथा मन्त्रिगण मानते भी हैं।

(इस समय १ बज कर १ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री कमला सिंह यादव पीठासीन हुए।)

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—

आन ए प्वाइन्ट आफ आर्डर। यह बात मैं समझता हूं कि सब की जानकारी में आ गयी है कि एक इवैलुयेशन बोर्ड बन गया है जिसके डिप्टी चैयरमैन नारायण दत्त तिवारी जी हैं और जो मांग इस प्रस्ताव में है उसे सरकार ने इस प्रकार मान लिया है फिर इस प्रस्ताव की क्या आवश्यकता है, यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

आप ने जो बयान किया है उसकी घोषणा सरकार तो करे, उसके बाद यह मामला तय हो जायगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

पहले यह देश पराधीन था। स्वतंत्र होने के बाद यह आवश्यक था कि इस पिछड़े देश को उन्नत करने के लिये योजनायें बनायी जायं। इसके अतिरिक्त योजना बनाते समय हमें खास तौर का दृष्टिकोण रखना पड़ेगा और वह यह कि योजनायें गांव से उठें और गांव से उठ कर शहरों के बड़े बड़े स्थानों तक जायं और फिर इसका फायदा देश के हर प्राणी को मिले। अगर इस तरह की योजनाएं बनें तो देश का निर्माण सही तौर पर हो सकता है। किन्तु यदि योजनाओं से व्यक्ति विशेष को ही लाभ पहुंचता है तो वे योजनायें देश के लिए नहीं होतीं। अपने देश में जो योजनायें बनीं वह गांव से नहीं बनीं। गरीब की झोपड़ी से नहीं बनीं। यह योजना उत्तर प्रदेश के बड़े, विशालकाय सचिवालय से बनीं और मानी हुई बात है कि जो योजना, नियम, कानून, सचिवालय की उच्च अट्टालिका से बनेगा, इन लोगों के विचारों से बनेगा, जो हजारों रुपया तनख्वाह पाते हैं, जो गरीबों की समस्याओं से परिचित नहीं हैं, वे योजनाएं देश में तो सफलता नहीं प्राप्त कर सकतीं। हमें दुख है कि उत्तर प्रदेश की जितनी योजनायें बनीं, वह सचिवालय से बनीं हैं और ऊंचे ऊंचे अधिकारियों का दृष्टिकोण ही उन योजनाओं में है। वे ग्रामीणों की योजनायें नहीं हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

श्रीमन्, आप बेकारी की समस्या को ही लें, स्वास्थ्य को लें, सार्वजनिक निर्माण विभाग को लें, पैदावार को लें, सामान के मूल्यों को लें, सारे स्थानों का आप सिंहावलोकन करें तो आप देखेंगे कि हमारा फैलाव सब जगह हुआ है। जहां हम गरीब की मेहनत की कमाई का पैसा लेते हैं भूखे रह करके, नंगे रह करके, पेट काट करके और खून पसीना एक करके जो गरीब लोग कर्जे के बहाने या टैक्स के बहाने जो पैसे खजाने को देते हैं कि यह पैसा हमारे गाढ़े वक्त में काम आयेगा, हमारी तकलीफ के दिनों में काम आयेगा, परन्तु ऐसा होता नहीं है। श्रीमन्, आपको याद होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक कमेटी संसद सदस्यों की बनाई जिसने सर्वेक्षण किया कि इन प्रथम और द्वितीय योजनाओं के ऊपर इतना रुपया व्यय हुआ पर इनकी आमदानी कहां गई। तो श्रीमन्, आपको याद होगा कि कमेटी ने रिपोर्ट दी कि जो लोग हरिजन हैं, पिछड़े हुए हैं या भूमिहीन हैं, जो लोग बुभुक्षित हैं या हर माने में पिछड़े हैं उनकी जेबों में, उनके पेट में योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचता। इन योजनाओं का लाभ पहुंचता है कुछ व्यक्तियों के हाथ में। श्रीमन्, संसद की ओर से जब इस प्रकार की रिपोर्ट है तो इसमें कोई संकोच की बात नहीं होनी चाहिये, सीधे सीधे उसे मंजूर करना चाहिये कि इन योजनाओं से अपने देश में रहने वाले पिछड़े लोगों को लाभ नहीं पहुंचता है। जब आपने पिछड़े लोगों को लाभ नहीं पहुंचाया है तो उसको स्वीकार कर लेने में सरकार को दिक्कत नहीं होनी चाहिये और सरकार का फर्ज था कि जिस दिन माननीय शारदा भक्त सिंह ने भाषण दिया, ऐजेन्डे में आया, उनके भाषण के बाद ही फौरन स्वीकार कर लेना चाहिये था कि पंचवर्षीय योजनायें जो बनी हैं उनसे लाभ नहीं हुआ है। परन्तु यह सरकार ऐसी नहीं है। यह सरकार अपनी की हुई गलतियों को जल्दी मानती नहीं है। गांधी जी के उपदेशों की बात तो करती है लेकिन उनके उपदेशों पर आचरण की बात नहीं करती है।

मैं आपको १९४४ की एक बात बताना चाहता हूं जब सम्पूर्णानन्द जी इस मंत्रिपरिषद् के सदस्य थे। सम्पूर्णानन्द और गान्धी जी में मतभेद हुआ सत्याग्रह के सम्बन्ध में। सम्पूर्णानन्द जी ने कहा कि यह व्यक्तिगत सत्याग्रह जो चलाया है यह लोगों के दिलो दिमाग को अंग्रेजी सरकार से हटा देने के लिये है। गांधी जी और सम्पूर्णानन्द जी में इस पर विवाद भी हुआ। और जब व्यक्तिगत सत्याग्रह से लाभ नहीं हुआ और देश उस जीवन और कड़ाई से लड़ने के के खिलाफ था तो गांधी जी ने स्वीकार कर लिया कि सम्पूर्णानन्द जी का कहना सही है। हमने गलती की, हम उसका परिमार्जन करेंगे। लेकिन गांजी जी की बात को क्या यह सरकार स्वीकार कर सकती है। लेकिन खुद गलती करें, उसे फिर स्वीकार न करें, इसी में यह मान मर्यादा समझती है। मैं चौधरी जी को याद दिलाऊंगा कि अगर आप गांव में रहते हैं, गांव में जाते हैं, जिस परिवार में, जाते हैं उसकी क्या दशा है। हमारे यहां उत्तर प्रदेश में श्रीमन्, खासकर पूर्वी जिलों में, जहां से आप आते हैं, हरिजनों की और गरीबों की आबादी ३५–४० फीसदी है। मैं पूछना चाहता हूं चौधरी जी से आपकी पंचवर्षीय योजनाओं से क्या ऐसे लोग जो भूमिहीन हैं और जो लोग पिछड़े हुए हैं और जिन लोगों को अंग्रेजी राज में अगर एक या दो वक्त में खाना मिलता था, उनको आप दोनों वक्त खाना देने में समर्थ हो सके हैं ?

श्रीमन्, मैं याद दिलाऊं उधर बैठने वाले एक माननीय सदस्य, श्री महीलाल जी आज नहीं हैं, सन् १९५२ में वह इस सदन के सदस्य थे। १९५२ में मैं पहली बार चुनकर आया था। तो मैंने इस हाउस में कहा था कि पूर्वी जिलों का हरिजन चैत के महीने में जबकि हर किसान के घर में कुछ गल्ला आ जाता है और दूसरी जगहों के हरिजनों के घर में मजदूरी वगैरह से कुछ न कुछ गल्ला आ जाता है, लेकिन पूर्वी जिलों का हरिजन उन दिनों में भी गोबरहा खाता है और उस वक्त श्री महीलाल ने हमारे कहने पर आश्चर्य प्रकट किया था। दो तीन साल के बाद उनको मैं अपने जिले आजमगढ़ में ले गया और शहर के पास के गांव को दिखाया। फिर उन्होंने इसी हाउस में स्वीकार किया कि रामसुन्दर पांडेय का कहना सही है। वह पूर्वी जिलों का हरिजन आज भी गोबरहा खाता है। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि पूर्वी जिलों के वह हरिजन जो कि

अंग्रेजी राज में गोबरहा खाते थे, उनमें से कितने ऐसे हरिजन हैं जिनको नौकरी देकर, रोजी देकर आपने खोबरहा खाने से वंचित किया है। स्पष्ट निश्चित तालिका सदन में पेश होनी चाहिए। लेकिन यह सरकार नहीं कर सकी।

उसी प्रकार बड़े-बड़े उद्योगोधन्धों की बात तो छोड़िये, छोटे-छोटे उद्योगधन्धों को ही लीजिए। आपका गाजीपुर जिला है, बलिया है, आजमगढ़ है, जौनपुर है, ये जो चार-पांच जिले हैं इन जिलों की हालत क्या है, सरकार बताये स्पष्ट रूप से। करोड़ों अरबों रुपये खर्च किये गये। कोई भी उद्योगधन्धा इन जिलों म सरकार ने ऐसा नहीं खोला जिससे कि हजारों आदमियों को काम मिल और अपने देश में सामान पैदा करके लोगों को सस्ता दिया जा सके। जब मुख्य मंत्री सम्पूर्णानन्द जी थे तो इस हाउस में आश्वासन दिया था उन्होंने कि मऊ में एक बड़ा सूती मिल खोला जायगा। कहां गया आश्वासन, कहां गयीं योजनायें? कुछ नहीं हो सका। एक छोटा सा कारखाना चीनी का आपके पड़ोस में खुला है रसड़ा में, उसको लाइसेंस उत्तर प्रदेश की सरकार आज तक नहीं दिला पायी। यह सरकार ऐसी निकम्मी है कि क्रोध आता है, तकलीफ होती है, इच्छा होती है कि कौन सी ऐसी ताकत पदा की जाय कि इस सरकार को उखाड़कर फक दिया जाय। पटल कमीशन की ओर से कई करोड़ रुपये पूर्वी जिलों के कामों को बढ़ाने के लिए, उद्योगधन्धे खोलने के लिए, सड़कों का निर्माण करने के लिए, बिजली ज्यादा पैदा करने के लिये, शिक्षा में प्रगति करने के लिए, दिये गये। लेकिन हुआ क्या? आपके जिले गाजीपुर को कितने लाख रुपये मिले सड़के बनाने के लिए लेकिन अभी उसम से एक पैसा सरकार नहीं खर्च कर सकी है। हम चिल्लायें उत्तर प्रदेश पिछड़ा हुआ है, हम गरीब ह, हमारी आबादी तथा हमारे पिछड़ेपन के मुताबिक हमको पैसा दिया जाय लेकिन अगर केन्द्रीय सरकार हमारे लाख-लाख चिल्लाने पर पैसा देती है तो वह लैप्स होता है, खर्च नहीं हो पाता। पटेल कमीशन से रुपया लेकर जो आज तक सरकार ने खर्च नहीं किया, उसका क्या कारण है? सरकार बतायें। आज जनता का तकाजा है निर्माण मंत्री को इस्ताफा देकर अपने आप अलग हो जाना चाहिए। लेकिन मैं जानता हूं कि उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री, सुचता कृपालानी क पास ताकत नहीं है। शक्ति नहीं है, उनके दल में इतना बिखराव आपस में है कि वे ऐसे मंत्रियों को, ऐसे अधिकारियों को, ऐसे विभागों को झक-झोर कर उनसे काम नहीं ले सकतीं। यह हमारे प्रदेश की बदकिस्मती है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि योजनाओं का बनाव नीचे से हो। सरकार उसको करे।

शिक्षा के बारे में संविधान में लिखा है, और चौधरी साहब उसके बनाने वालों में से रहे हैं, कि ११ वर्ष तक के लोगों को मुफ्त शिक्षा दी जायगी। मैं पूछना चाहता हूं कि १८ वर्ष तक के कितने लोगों को सरकार ने गांवों में शिक्षा का प्रबंध किया? सरकार १८ वर्ष तक के कितने लोगों को शिक्षित कर पायी जब कि उनको ११ वर्ष तक के लोगों को ही शिक्षित करना था। आप जानते हैं प्राइमरी स्कूलों की क्या हालत है? वहां मास्टर नहीं रहेगा, टाट नहीं रहेगा, भवन नहीं रहेगा और तालिकाएं एक के बजाय १०० बना दी जायंगी। यही कारण है कि पढ़ाई का स्तर नीचे गिरता जा रहा है। इसके लिए सरकार दूसरों को दोष देती है लेकिन है स्वयं दोषी।

संविधान ने अधिकार दिया है कि पिछड़े लोगों को, हरिजनों को, पढ़ाया जाय लेकिन आप कितने लोगों को पढ़ा पाये हैं? दिल्ली की सरकार ने यहां के हरिजन कल्याण विभाग को पैसा दिया। तालिका मंगा कर देखी जाय कि पिछड़े वर्ग और हरिजनों के अतिरिक्त कितने और जाति के लोगों ने उस पैसे से लाभ उठाया है। आपने संविधान में जो प्रतिज्ञा की थी, उसका आपने उल्लंघन किया है। हमसे ज्यादा आपको कांग्रेस के प्रस्तावों को मानना चाहिए था। जब स्वराज्य नहीं हुआ था, मैं भी कांग्रेस का मेंबर था, छोटा सा सिपाही था, अब तो उधर नये मुखड़े बहुत से दिखायी देते हैं। यही कारण है कि कांग्रेस के प्रस्ताव कार्यान्वित नहीं हो रहे हैं। जब सन् ४२ में हमारा जन आन्दोलन शुरू होने वाला था, एक अमेरिकन लुई फिशर यहां आया और गांधी जी से पूछा कि आप मुल्क के किसानों को जमीन किस प्रकार से बांटेंगे।

[श्री रामसुन्दर पाण्डेय]

गांधीजी ने कह दिया कि किसानों को जमीन मुफ्त दे दी जायगी। सन् ४२ में गांधीजी ने कहा कि अंग्रेज इस देश को छोड़कर चले जायें और उन्होंने यह भी कहा कि अंग्रेजों के चले जाने के बाद देश की हुकूमत ऐसे लोगों के हाथ में दे दी जायगी जो मेहनत करने वाले हैं। आपने भी प्रस्ताव पास किया था कि मंत्री लोग ५०० रुपया से ज्यादा नहीं लेंगे लेकिन आजकल आप राष्ट्रपति को कितनी तनख्वाह देते हैं? मंत्रिपरिषद् के सदस्यों पर एक वर्ष में कितना खर्चा होता है? उसका हिसाब जोड़ा जाय तो मालूम होगा कि सारा पैसा ऐसे लोगों की जेब में चला जाता है जो सही मानी में कमाने वाले नहीं हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं कि इस पंचवर्षीय योजना से देश के लोगों का पेट भरने वाला नहीं है। अशिक्षितों को शिक्षित बनाना पड़ेगा, इस देश को हर तरह से आगे बढ़ाना होगा ताकि दूसरे देशों के मुकाबले में हम खड़े होकर कह सकें कि यह काम हमने किये हैं। इन पंचवर्षीय योजनाओं को आपको नये सिरे से बनाना पड़ेगा, लोगों की आमदनी बांधनी पड़ेगी। यह क्या बात है कि इस प्रदेश के अन्दर ही कुछ लोग हजार रुपए माहवार लें और इसी सचिवालय का एक छोटा सा चपरासी ५०–६० रुपये तनख्वाह पावे? ऐसी हालत में इस योजना का लाभ उसके लिए क्या हुआ? योजना का लाभ तो कुछ व्यक्तियों को ही हुआ।

सीमा की रक्षा की बात मैं आपसे क्या सुनाऊं। सीमा की रक्षा तो यह सरकार कर ही नहीं सकती है। जब कश्मीर का सवाल आया था तो गांधी जी ने मना किया था कि कश्मीर का सवाल राष्ट्रसंघ में मत भेजो लेकिन गांधी जी की बात ठुकरा दी गयी। हमारी पार्टी ने इतना आन्दोलन किया, प्रदर्शन किया और कहा कि कच्छ समझौता मत करो लेकिन यह सरकार नहीं मानी। आज डाक्टर लोहिया जैसे नेता और दूसरे हजारों आदमी जेल के सीखचों में बन्द हैं। इस संबंध में मुझे अकबर की यह कहावत याद आती है "हंसी तो हंसी, हुमौवां के सार कुछ खोय खाय के"। अगर कच्छ का समझौता यह नाकाबिल सरकार नहीं करती तो आज काश्मीर पर हमला करने की पाकिस्तान की जुर्रत नहीं होती। इस सरकार ने समझौता कर मान मर्दन किया है और कश्मीर पर हमला करने के लिए पाकिस्तान को एक रास्ता दे दिया है। आज देश में व्यक्ति स्वातंत्र्य क्या है? इन सारी चीजों को देखने के बाद मैं इसी नतीजे पर पहुंचा हूं कि आज हर तरह की स्वतंत्रता में गिरावट है। व्यक्ति स्वातंत्र्य में गिरावट है, शिक्षा में गिरावट है, खेती बारी में गिरावट है, स्वास्थ्य में गिरावट है, आमदनी बांधने में गिरावट है, दाम बांधने में गिरावट है। इस तरह से सारी चीजों को आप देखें, तो उसमें गिरावट ही गिरावट है। यह बात सही है कि पसा खर्च होता है, लेकिन जहां करोड़ों रुपये खर्च करने के लिए आपका बजट बनता है उसमें से आधा रुपया मैं समझता हूं कि काम पर खर्च होता है और आधा रुपया बीच के दलालों की जेबों में चला जाता है। इसलिए सही माने में आज सरकार उनके हाथों में खेल रही है जो सही माने में देश को बनाना नहीं चाहते हैं और जो सही माने में समाजवाद के दुश्मन हैं।

मैं आपसे पूछता हूं कि समाजवादी समाज बनाने का आपने संकल्प भुवनेश्वर में लिया है, आवाड़ी में लिया है, लेकिन आज जो आपका चीफ सेक्रेटरी है क्या वह समाजवादी है? आपने योजना इसलिए बनायी कि समाजवादी समाज बने, लेकिन उस योजना को चलाने वाले आपके आई० ए० एस० और पी० सी० एस० आफिसर होते हैं। आपका प्लांनिग आफिसर पी० सी० एस० होता है जो प्लानिंग के बारे में कुछ जानता ही नहीं है। पी० सी० एस० को आप कोआपरेटिव सोसाइटीज का निबंधक बना देते हैं, आखिर जो आदमी प्लानिंग की बात जानता नहीं वह काम क्या करेगा? उसे घर-घर में घूमना पसन्द नहीं है और वह एक ऐसे ही पद पर रहता है तो इसके मानी यही है कि नियोजन का काम वह बिलकुल ही नहीं कर सकेगा। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि इस पर आप नये सिरे से सोचें, सारी योजना को सोचें कि आज जो कुछ लोग इन योजनाओं से लाभ उठाते हैं, उनके हाथों से काम छीन कर देहाती क्षेत्रों में उद्योगधंधे फैलावें जिससे ग्रामीणों का स्तर ऊंचा हो सके और वे योजना का लाभ उठा सकें।

माननीय नवलकिशोर जी चले गए, उन्होंने कहा कि अब इस प्रस्ताव की अहमियत कम हो गयी क्योंकि अब तक मूल्यांकन समिति बनायी गयी है। लेकिन मैं उनको बतलाऊं कि मूल्यांकन समिति में और इस प्रस्ताव में काफी अन्तर है। मूल्यांकन समिति सिर्फ यही देखेगी कि योजनाओं के ऊपर जो पैसा खर्च हुआ उसका असर क्या हुआ। लेकिन इस प्रस्ताव में और बहुत-सी बातें हैं। उन सारी बातों पर विचार करने के लिए माननीय शारदाभक्त सिंह जी का यह प्रस्ताव आया है। मैं आपके जरिये माननीय गिरधारी लाल जी से यह साग्रह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी भावना है, हार्दिक इच्छा है और यदि आप सही मानों में चाहते हैं कि सूबे का उत्थान हो, यदि आप चाहते हैं कि योजनाओं के द्वारा जनजीवन पनपे, यदि आप चाहते हैं कि बेकारों को काम मिले तो आज करोड़ों आदमी जो भूख से तड़प रहे हैं, जो रोटी चाहते हैं तो सही मानों में इस चीज के मूल्यांकन के लिए एक कमेटी आप बनायें जो रिपोर्ट तैयार करे। आप उस के बाद उस के द्वारा अपनी पंचवर्षीय योजना लागू करें तब सूबे में कुछ उन्नति हो सकती है। इन शब्दों के साथ में श्री शारदाभक्त सिंह के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, वास्तव में जो संकल्प प्रस्तुत है और उसमें दी हुई जो भावनायें हैं वह आज समय की पुकार है, समय की मांग है। इसमें इधर का या उधर का कोई सवाल नहीं है। इसमें हमारी मौलिक नीतियों का प्रश्न है, हमारे देश को आगे बढ़ाने का सवाल है। हमने जो तीसरी पंचवर्षीय योजना देश में चलाई उसमें हम कहां तक सफलीभूत हुए, किन-किन क्षेत्रों में हमने क्या-क्या प्रगति की और २०० साल पहले जिस तरह से अंग्रेज इस भूखे नंगे देश को छोड़कर हमें दे गए थे हमने उसमें १८ साल में कितनी तरक्की की जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में और तरक्की करने में। यह उचित ही मांग है कि एक उच्चस्तरीय कमेटी इस तरह की बनाई जाय जो विस्तृत तरीके से इन चीजों की जांच करे और एक नियोजित ढंग से सरकार को अपने सुझाव दे। इसमें मैं नहीं समझता कि कोई बुरी बात है। जहां तक मौलिक सिद्धांत का सवाल है मैं विश्वास करता हूं और आज तो और भी अधिक विश्वास करने लगा हूं क्योंकि हमने और कांग्रेस ने समाजवादी समाज की रचना का दावा किया है अपने विभिन्न प्रस्तावों में।

आज हम देखते हैं कि खाद्य स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही है। तीन योजनाओं के बाद भी हमारे प्रदेश में अन्न भरपूर नहीं है, आज भी किसान आसमान की तरफ देखता है कि बारिश हो जाय तो फसल बोये और किसी तरह आत्मनिर्भर हो सके। आज हमारा जो किसान है जिस की तादाद ८० प्रतिशत है और जो धरती के पेट को चीरता है उसके सामने सवाल कृषि नीति का है जो सरकार ने स्थापित की है। जो किसान १८ घंटे और २४ घंटे काम करता है, एक समय भी भर पेट खाना नहीं पाता और भूखा सोता है, लाखों और करोड़ों की संख्या में ऐसे खेतिहर मजदूर हैं जिनके पास खेती नहीं है और जिन्होंने आशा की थी कि जब जनतांत्रिक सरकार होगी, जनता की सरकार होगी तब उसे भी कृषि के लिए खेती मिलेगी। आपने तमाम भूमि सुधार के कानून बनाये, जमींदारी विनाश कानून बना, सीलिंग का ऐक्ट बना, लैंड यूटिलाइजेशन ऐक्ट बना और एक बड़े पुलन्दे के रूप में नाना प्रकार के कानून सूबे और देश के सामने आये, हमने जनता के सामने एक ढोंग रचा कि हम इन तमाम कानूनों के द्वारा जनता को सुखी बनाना चाहते हैं, हमने कहा कि हम ऊपर वाले जो आदमी हजारों बीघे जमीन के मालिक हैं उनका स्तर कुछ नीचे आये और नीचे वाले ऊपर उठें लेकिन हमारी जो आकांक्षाएं थीं वह नहीं फली फूलीं, सारी योजना कागज पर रखी रह गई। लैंड यूटिलाइजेशन ऐक्ट बना उस का लाभ

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नरसिंहनारायण पांडेय]

कुछ बड़े लोगों ने जिनके पास क्षमता थी, जो भूमि तोड़ सकते थे, ट्रैक्टर खरीद सकते थे, कर्जा ले सकते थे केवल उन्हीं ने उठाया। जो भूमिहीन थे उन के लिए वहां भी व्यवस्था नहीं की गई, जो आसमान की तरफ देखता था और समझता था कि अब हमारी यह सरकार हमारी भी सुध लेगी लेकिन उसकी आशा फलीभूत नहीं हुई। आज उसके सामने स्वराज्य का नक्शा है। ये हमारी कमियां हैं, कमजोरियां हैं, जिनको हमें महसूस करना होगा। जो लाखों करोड़ों जनता हमारी गांवों में रहती है और जिनके आर्थिक ढांचे को हमें बनाना है अगर आपके कानून उनको रोजी रोटी नहीं दे पाते हैं तो निश्चय ही आपकी योजनाओं में कहीं न कहीं और कुछ न कुछ कमी जरूर है।

आज बच्चों की पढ़ाई को देखिए। एक तरफ तो यह कहा जाता है कि फीस हमने माफ कर दी है लेकिन अगर आप स्कूलों की फीस देखें तो पता चल जायगा कि वास्तविक परिस्थिति क्या है। श्रीमन्, हमने देखा है कि एक मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल के विद्यार्थी से ४ आने लिए जाते थे और मिडिल स्कूल, जिसे आप जूनियर स्कूल कहते हैं, उसमें ८ आने फीस ली जाती थी आज वहां पर ५ या ६ रुपए फीस ली जाती है। यही नहीं, श्रीमन्, आज किताबें भी बढ़ गयीं और कागज भी बढ़ गया क्योंकि सारी किताबों का आपने आधुनीकरण किया, शिक्षा का आधुनीकरण किया। क्या आपने कभी यह भी सोचा है कि जो ८० प्रतिशत किसानों और मजदूरों के लड़क हैं वे शिक्षा पायेंगे या नहीं। आपने तो शिक्षा को भी लेकर बड़े लोगों के हाथों में कर दिया जिनके लड़के लामार्टिनियर कालिज में पढ़ते हैं ताकि वे अच्छी तरह से शिक्षा प्राप्त कर सकें क्योंकि उनके पास धन है, उनके पास दौलत है।

जहां तक आपकी कृषि का संबंध है उसमें भी कमी देखी गयी है। कहीं पर सूखा पड़ रहा है, कहीं पर भुखमरी फैल रही है। उसके लिए आप भगवान पर दोषारोपण कर रहे हैं। आज हमारे देशवासियों का मौरेल टूट रहा है और जिस देश में नैतिकता टूट रही है उसके अन्दर आपको सोचना पड़ेगा कि क्या व्यवस्था होगी। आज हमारे दुश्मन हमारे सिरों पर मंडरा रहे हैं। अगर हमारी प्लानिंग और आर्थिक नीति में आमूल परिवर्तन न हुआ, हमारी समाजवादी नीति न हुई, अगर हमारी नीति का परिणाम यह हुआ कि देश के अन्दर जो १० लाख आदमी हैं, जिनके हाथ में देश की सारी एकोनामी है और अगर उनकी पूंजी बढ़ गयी तो हमारा समाजवाद केवल कोरी कल्पना ही होगी। दूसरे समाजवादी देशों को हमने देखा है। रूस को हमने देखा है और चीन को भी हमने देखा है वहां पर मौलिक क्रांतियां हुई हैं जिनसे देश की करोड़ों जनता में आस्था हुई है। प्लानिंग के युग में हमारी आस्था न हो तो बड़े दुख की बात है। आज जैसा कि माननीय राम सुन्दर पांडेय जी ने कहा सिंचाई विभाग का मंत्री उसे बना दिया जाता है जो सिंचाई की ए बी सी डी भी नहीं जानता हो। कृषि मंत्री अगर यह भी न जाने कि कब धान बोये जाते हैं तो मेरी समझ में नहीं आता है कि वह कृषि विभाग का कैसे काम चला सकता है। वास्तव में हमारे यहां पर टैक्निशियन्स की इज्जत नहीं है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी प्रगति नहीं हो सकती है। अगर आपने डायरेक्टोरेट्स को सिर्फ आई० सी० एस० और आई० ए० एस० व्यक्तियों के ही हाथों में रखा तो जो आर्थिक स्थिति है वह खराब होती जायगी। आज जितना धन है उसका ३/४ धन अफसरों की जेबों में जाता है केवल १/४ ही धन है जो विकास के कार्य में लगाया जाता है। अगर ऐसा ही रहा तो आपकी स्थिति संभल नहीं पायेगी। इसलिए यह मौलिकता का तकाजा है, नैतिकता का तकाजा है कि सरकार चेते और ऐसा कोई आमूल परिवर्तन करें जिससे सही तरीके से समाजवादी नीतियां कार्यान्वित हो सकें खेतों और खलियानों पर जिससे करोड़ों-करोड़ों जनता के जीवन को खुशहाल बनाया जा सके और उसके अन्दर नैतिकता की बात कही जा सके।

*श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं शारदाभक्त सिंह को बधाई देता हूं कि उन्होंने एक मौलिक प्रस्ताव ला कर प्रदेश की जनता का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि योजनाओं से क्या लाभ हुआ है और उसमें क्या परिवर्तन किया जाना चाहिए ।

श्रीमन्, यह तो निर्विवाद सत्य है ही कि योजनायें जिस कार्य के लिए बनी थीं वह उद्देश्य पूरा करने में असमर्थ रहीं। अगर और बातों को छोड़ दिया जाय और एक खाद्यान्न ही ले लिया जाय तो वह भली भांति सब को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश के ८५ फीसदी आदमी खेतों पर काम करते हैं । उत्तर प्रदेश में जबकि और प्रदेशों से अधिक जमीन है वहां भी आज ३ योजनाओं के खत्म होने के बाद खाने भर का अन्न पैदा नहीं हो पा रहा है और नित्य प्रति हमारे प्रदेश की सरकार तथा जनता दिल्ली की ओर अपनी आंखें लगाये रहती है ताकि अमेरिका से आने वाला सड़ा गेंहूं हमारे यहां गांव गांव में बांटा जा सके और यहां के आदमी को जिन्दा रखा जा सके और इस प्रकार उसे मरने से बचाया जा सके । ऐसी हालत में यह कहा जाय कि योजनायें ठीक हैं, उनसे लाभ हो सकेगा, वे व्यावहारिक हैं, यह निर्मूल बात है । इस उदाहरण से यह निर्विवाद सिद्ध होता है कि अन्य क्षेत्रों में भी जो योजनायें हैं, चाहे उद्योग के क्षेत्र में अथवा शिक्षा के क्षेत्र में हमारे प्रदेश की स्थिति किसी से छिपी नहीं है । आज यह मौलिक प्रश्न है कि ये योजनायें जो हमारे यहां बनती हैं उनमें सफलता क्यों नहीं मिलती ।

कल मैंने अशोक मेहता जी का भाषण सुना था और यह ठीक है कि देश के और प्रदेश के प्र त्येक व्यक्ति का योजनाओं में विश्वास होना चाहिए और उनको कार्यान्वित करने का प्रयास क रना चाहिए । यह बिलकुल सिद्धांत की बात है और भारत के प्रत्येक नागरिक की यह इच्छा है कि वह विकास करे, उन्नति करे, अपनी स्थिति सुधारे परन्तु पहली बात जो देखने को मिली है हमको वह यह है कि हमारी जनता का विश्वास योजना के अन्दर नहीं है । उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि योजनाओं का महत्व जनता को नहीं समझाया जाता है और न योजनायें जनता के द्वारा ही बनाई जाती हैं । योजनायें दिल्ली में बनीं । उनका एक हिस्सा प्रदेश सरकार ने बना दिया । फिर जो लक्ष्य निर्धारित किय प्रदेश के स्तर पर उनको जिला स्तर, तहसील तथा ग्राम के स्तर पर लेखपाल, ग्राम सेवक के द्वारा बांट दिये । पहली बार सरकार ने यह कोशिश की है कि इन योजनाओं को गांव स्तर पर जनता बनाये । इस बार अपने जिले की १० गांव सभाओं में हिस्सा लेने का मौका मिला । अध्यक्ष जिला परिषद् साथ थे, ग्राम सेवक या अन्य लोग भी वहां थे । पहली बैठक में कोरम पूरा नहीं हुआ । दूसरी बार जो बैठक हुई उसकी कार्यवाही मान ली गयी लेकिन जनता का कोई भी सहयोग नहीं था । लेखपाल ने अपनी पुस्तक में लिख लिया कि कितने गांव में कुए होंगे, कितने खाद के गड्ढे होंगे । ये चीजें होती हैं । आज तो जो योजनायें बनाई जाती हैं उनके ऊपर जनता का विश्वास नहीं होता है और इन योजनाओं से जनता में जागरण नहीं हुआ है । उसके बारे में देखने में आता है कि इन योजनाओं में जनता का किसी तरह का विश्वास नहीं है । गांवों के अन्दर एक गलत धारणा फैलती चली जा रही है और गांवों के अन्दर ऐसा लगता है कि योजना के नाम पर पैसा लिया जायगा लेकिन उसका क्या होगा ? वह खास खास लोगों के लिए ही उपयोग में लाया जायगा । जो आज विकास खण्डों में सहायता या अनुदान दिए जाते हैं या विकास कार्य होते हैं उसमें भी पक्षपात होता है । पैसे का बटवारा किस तरह से होता है इसका नंगा चित्र समाज के सामने रखा हुआ है और देहात के आदमी देखते हैं कि जो अनुदान विकास खण्डों में आता है वह प्रमुख के आदमियों को ही मिल जाता है । जिनको आवश्यकता है उनको नहीं मिल पाता है, जिनको सहायता मिलनी चाहिए उनको नहीं मिल पाती है, उसका उपयोग

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री रक्षपाल सिंह]

सही ढंग से नहीं हो पाता है। आज देहात के लोग विचित्र स्थिति में हैं। वे समझते हैं कि हमसे जो टैक्स लिया जाता है वह विशेष प्रकार के लोगों के ऊपर खर्च करने के लिए ही लिया जाता है

अभी सहकारिता के ऊपर बातचीत हुई है। आज गांव-गांव में लोगों के अन्दर यह दुर्भावना फैलती चली जा रही है कि सरकार की तरफ से जो रुपया आता है वह बांटने के लिए ही आता है और उसकी कभी भी वसूली नहीं होगी और पेपर एंट्री वाली बात तो बिलकुल सत्य ही है। आज कोआपरेटिव सोसाइटीज के द्वारा पैसा दिया जाता है। उसके संबंध में आज से साल छः महीने पहले स्थिति यह थी कि सुपरवाइजर जाता था और ५ प्रतिशत घूस लेता था। बैंक से रुपया आता था। रुपया जमा न कराकर पेपर ऐंट्री करके सब काम बराबर बन जाता था। लेकिन अब सरकार ने यह कर दिया है जब तक रुपया जमा न हो तब तक रुपया न दिया जाय। ऐसी स्थिति होने पर ५ प्रतिशत घूस के अलावा कर्जे का सारा रुपया जमा करना पड़ता है। इसलिए भ्रष्टाचार का एक नया सोर्स कायम हो गया है। सरपंच और सुपरवाइजर किसी खास आदमी से ज्यादा सूद पर रुपया लेकर जमा करा देते हैं और नए कर्जे का रुपया निकाल लिया जाता है और ५/७ दिन के लिए जो पैसा रहता है उसका उस खास आदमी को लाभ मिल जाता है जिसको खत्म करने के लिए ही यह सोसाइटीज बनाई गई है। वह मकसद ही खत्म हो जाता है।

दूसरी चीज यह हो गई है कि एक ए० डी० ओ० क मातहत ५० सोसाइटीज हैं। उन्होंने कार्यक्रम बना लिया है कि एक सोसाइटी के लिए रुपया लिया और जमा कर दिया और रुपया निकाल लिया और यहां दिखाया नहीं गया। इस तरह से रुपया बंटता रहता है। जो रुपया पहले महाजन से किसान लेता था उसी तरह से आज घूस देकर उसका काम चलता है। आज यह गलत भावना जनता में हो गई है कि जितना भी रुपया बांटा जायगा वह कभी देना नहीं पड़ेगा। सिर्फ घूस देकर ही काम चल जायगा। इस चीज को सरकार को खत्म करना चाहिये।

आज ऐसी बात है कि जितनी सरकार की योजनायें वे सब अव्यावहारिक हैं और वे लक्ष्य लेकर नहीं बनाई गई हैं। जैसा कि माननीय अशोक मेहता जी ने कहा कि पैसा बचाओ और योजनाओं में लगाओ। आज मैं देख रहा हूं कि हमारे प्रदेश में श्रम का कोई भी उपयोग नहीं हो रहा है। केवल पैसा बचाओ और योजनाओं में लगाओ ऐसी योजनायें बनाई जा रही हैं। इधर भारतीय जन संघ ने आंदोलन चलाया कि योजनायें बदली जानी चाहिये और इसके कारण जनता में प्रभाव भी हुआ है और जनता में चेतना पैदा हो गई है कि अव्यावहारिक को खत्म किया जाय। जनता चाहती है कि अब ऐसी योजनाएं चलाई जायं जिससे लोगों योजनाओं को खाना मिल सके।

एक बात श्रीमन्, और कही गई है कि ढाई एकड़ से ऊपर वाले किसानों को भी टैक्स देना पड़ेगा। इसके लिये, मैं कहना चाहता हूं कि योजनाओं के जो विशेषज्ञ हैं और जो वे कहते हैं कि इस महंगाई में किसानों की हालत अच्छी हो गई है और उसके ऊपर टैक्स बढ़ाया जा सकता है। मैं कहता हूं कि यह बहुत खराब बात है। जिला परिषद् को भी लगान में वृद्धि करके टैक्स लगाने की बात कही गयी है। सरकार खुद लगान बढ़ाना चाहती हैं। यह किसान को बरबाद करने वाली बात है। सरकार को ऐसे कोई विचार टैक्स लगाने का नहीं करना चाहिये।

श्री बंशीलाल (जिला इलाहाबाद)—

माननीय अधिष्ठाता जी, आज मुझे उम्मीद थी कि हमारे विरोधी भाई सैद्धांतिक और ठोस सुझाव सरकार को देंगे लेकिन हमने देखा कि वे हमेशा आलोचनात्मक दृष्टि से बात ही करते हैं। यह कहते हैं कि सरकार की योजनाएं असफल हुईं। सरकार की योजनाएं उतनी

सफल नहीं हुई जितना हमारा लक्ष्य था। मैं गांव का रहने वाला हूं। ज्यादातर वही लोग आलोचना करते हैं, जो शोषण करते हैं। गांव में खुद जमीन लिए हुए हैं, सब रोजगारों पर कब्जा किये हुए हैं, आज वही आलोचना करते हैं। विरोधी लोग नहीं बतलाते कि मेहनत करके आगे बढ़ने की कोशिश करें। मैं अपने ब्लाक फूलपुर में गया हुआ था। एक जर्मन व्यक्ति से बात की तो मालूम हुआ कि वह १८ घंटे काम करता है। किन्तु यहां के विरोधी लोग जनता को यह मार्ग नहीं बताते हैं कि मेहनत करो। मैं मानता हूं कि कुछ लोगों के सामने कठिनाइयां हैं, उनके पास साधन नहीं हैं, जैसे हरिजन हैं। लेकिन यह सही नहीं है कि सब लोग साधनहीन हैं। इतना रुपया सरकार ने दिया कोआपरेटिव से, उद्योग विभाग से, कितना रुपया जाता है। लेकिन वही ले लेते हैं जो सरकार की आलोचना करते हैं और काम कुछ नहीं करते। गांवों में लोग चार-चार मील तक पानी भरने के लिए जाते थे, अब कम से कम उनके पीने के लिए पानी की व्यवस्था तो कर दी गयी। यहां तक कि मकानों के रहने की भी कुछ व्यवस्थायें कर दी गयी हैं। लेकिन यह पर्याप्त नहीं हैं। यह मैं मानता हूं। सरकार को योजनानुसार कार्य करने नहीं दे रहे हैं। विरोधी लोग खुद मेहनत न करेंगे और न करने देंगे और आये दिन सरकार को गालियां दिलवाते हैं। गांधी जी की दुहाई देते हैं लेकिन उनके आदर्शों पर कितना अमल करते हैं? कितना चर्खा चलाते हैं, कितने छोटे-छोटे कुटीर उद्योगों पर ध्यान देते हैं? यहां आलोचना इस लिए करते हैं कि अखबारों में निकल जायगा। उससे यह हो जायगा कि जनता की तरफ से बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर वह आप जनता के सही हितैषी हैं तो उसको सही रास्ता बताइये।

आज कश्मीर में दुश्मन की फौजों से मुकबला पड़ा है, उधर चीन से मुकाबला पड़ा है। जो लोग बाहर से आये हैं उनके खाने पीने की समस्याएं हैं। इधर दैवी प्रकोप है। कहीं अनावृष्टि और कहीं घोर वृष्टि। ईश्वर भी साथ नहीं दे रहा ह। ऐसी अवस्था में खाना कम हो जाय या पैदा न हो तो क्या वह सब सरकार की जिम्मेदारी है? रचनात्मक ढंग से बात करें तो आप के खिचाव में जनता खुद आ जायगी। सदन में आलोचना करने से जनता काबू में नहीं आयेगी। हम समझते थे कि देश आजाद होने के बाद खुशहाली आयेगी लेकिन पार्टीबन्दी और गुटबंदी से आज देश का क्या हाल हो रहा है, देश किस रास्ते पर जा रहा है। आज हमें चाहिये कि हम सरकार से मांग करें पानी के साधन दिये जायें, खाद के साधन दिये जाये, हल हमको अच्छे दिये जायें। लेकिन दैवी प्रकोप और अपने लोगों के निकम्मेपन और काहिली-पन के होते हुये इन सबका कुछ नहीं होगा। हम मांग करें यह बहुत ठीक है, लेकिन हमकों भी कड़ी मेहनत करनी चाहिये, यह नहीं कि हम ठाठ से हाथ पर हाथ रखे बैठे रहें। हमें तो ऐसी निश्चित करना चाहिये कि वही व्यक्ति खाना पायेगा जो मेहनत करेगा। आज जो खेतिहर मजदूर हैं, कड़ी मेहनत करते हैं और करना चाहते हैं, किन्तु कुछ लोग हैं जो देश का ठेका लिये हुये हैं वे उन्हें मेहनत नहीं करने देना चाहते हैं। ऐसे लोग उनको परेशान करते हैं उनका शोषण करते हैं और जिससे उनको तनिक भी मेहनत करने के लिये उत्साह नहीं मिल पाता है। बड़े-बड़े लोग बड़ी बड़ी जमीनें दबाये बैठे हैं, जिन्हें वे अपने बेटे पतोहू आदि के नाम से लिखाये हुये हैं जो कि खुद मेहनत नहीं करते हैं दूसरों की मेहनत से मौज करते हैं और आनन्द मनाते हैं। विरोधी सदस्य कभी इस तरह की बातों पर सुझाव नहीं देते कि किसी तरह से जमीन मेहनत करने वालों के हाथ में जाय जिससे हमारा उत्पादन बढ़ सके और वह भी जो गिरे हुये हैं, ऊपर उठ सकें। जसा कि सरकार ने नियम बनाया कि अधिक जोत वालों पर लगान बढ़ायेंगे और सरकार उनकी जो ज्यादा जमीन है उसको लेने के लिये कानून बनायेगी। किन्तु यह सदस्य लोग तो उन्हीं लोगों के साथ हैं यदि सरकार कोई ऐसी नियम मनाना चाहती है तो यह लोग उन लोगों को पहले ही बता देते हैं और उल्टा भड़का देते हैं जिससे वे लोग तरह तरह के उससे बचने के ऊपाय खोज निकालते हैं। मेरा मंत्री जी से सुझाव है जो ऐसा वर्ग है, जिसके पास पैसा नहीं है, रोजी नहीं है और जो समाज द्वारा दलित हैं, जिनका राजनैतिक सामाजिक

[श्री बंशीलाल]

उत्थान नहीं हो पा रहा है और समाज में घोर विषमता बनी हुई है उसको दूर करने के लिये माननीय मंत्री जी कदम उठायें ।

इसके साथ-साथ मुझे इससे हार्दिक तकलीफ होती है जब वे छात्रों पर आते हैं। मालूम पड़ता है सारे छात्रों के वही ठेकेदार हैं और उन्हें ही उनसे सबसे ज्यादा प्रेम है । किन्तु यही कहकर, इसी तरह की बातें कहकर यह विरोधी दल के लोग उन छात्रों का दुरुपयोग करते हैं । हमारे कुछ छात्र ऐसे हैं जो बिलकुल अनुशासनहीन हो रहे हैं, फर्स्ट क्लास के डिब्बे में बिना टिकट चलते हैं टिकट वाले यात्रियों को बैठने नहीं देते हैं और जो अधिकारी और कर्मचारी उन्हें रोकते हैं उनको वे मारते पीटते हैं। यह असर उन पर विरोधी दल के सदस्यों द्वारा उनका अनुचित पक्ष लेने और अपने हित में उनको गलत रास्ते पर ले जाने के कारण पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त आजकल आदमी कर्त्तव्यहीन हो रहे हैं, वे अपना कर्त्तव्य नहीं करना चाहते हैं तनिक भी मेहनत नहीं करना चाहते हैं । केवल दूसरों का शोषण करना चाहते हैं, कोटा परमिट और राशन की दूकानें आदि लेकर मजा करना चाहते हैं। कोई काम नहीं करना चाहते हैं केवल अच्छी अच्छी नौकरी पा लेना चाहते हैं, जिसमें कुछ काम न करना पड़े। और इन लोगों को जब सरकार द्वारा इस तरह की छूट और इस तरह की छूट और इस तरह का अवसर नहीं मिलता है तभी यह लोग सरकार को गाली देते हैं और जनता को भड़काते हैं। अन्त में मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि जो सुझाव मैंने दिये हैं उन्हें मंत्री जी मानने की कृपा करेंगे ।

*श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)—

अधिष्ठाता महोदय, हमारे देश और प्रदेश में योजनायें बनीं और उनके द्वारा आजादी मिलते ही हमने सोचा कि हम देश के जन जन की चतुर्मुखी उन्नति करेंगे। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जितने भी देश साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण करके अपने देश के लोगों के करेक्टर को उठाते हैं वे आगे बढ़े हैं और हमारे देश और प्रदेश की स्थिति दूसरी है। इधर और उधर के सभी लोग जानते हैं कि दूसरे देश की समस्याओं में और हिन्दुस्तान की समस्याओं में बहुत बड़ा अन्तर रहा है । वहां केवल आर्थिक असमानता रही है लेकिन हिन्दुस्थान में सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, शैक्षिक, सभी प्रकार की असमानतायें रही हैं । इस मुल्क और इस प्रदेश के अन्दर करोड़ों इन्सान ऐसे हैं जिन्हें जानवर की तरह जिन्दगी व्यतीत करना पड़ता है। भोली भाली जनता और उससे सम्बन्धित सभी लोगों को बुरी तरह से दबा करके रखा गया है। उनको न आर्थिक क्षेत्र में, न सामाजिक क्षेत्र में,न धार्मिक क्षेत्र में और न शिक्षा के क्षेत्र में बराबरी के दौड़ में दौड़ने दिया गया है । जानबूझ कर उसके पैरों को बांध कर, उसके सामने खाईं खोद कर उसको उन्नति के मार्ग से रोका गया है। यही कारण है कि आज इन योजनाओं में असफलता हो रही है । जो लोग सही माने में श्रमजीवी और निर्माणकर्त्ता हैं और योजनाओं के द्वारा देश को बनाते हैं उनको वास्तविक लाभ मिलेगा नहीं, मिलेगा ऊपर के लोगों को, जिन लोगों को सही रूप में योजनाओं में विश्वास ही नहीं है। और उसका परिणाम यह निकला है कि हमारी योजनायें कामयाब नहीं हुई हैं।

हमने यहां नये उद्योग पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में कायम किये । जो पब्लिक सेक्टर में बने उनमें हमने यह देखा कि उनका मैनेजमेंट बहुत गड़बड़ है। मैं सरकार पर यह आरोप लगाये बिना न रहूंगा कि हमारी सरकार में जो निर्माता हैं, जो मंत्री हैं उन्होंने पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया है । उन्होंने अपने रिश्तेदारों और मिलने जुलने वालों को उन प्राइवेट सेक्टरों में कहीं मैनेजर, कहीं डाइरेक्टर बना रखा है एम० ए० पास मंत्री जी का मिलनेवाला ३ हजार रुपये पर डाइरेक्टर हो सकता है लेकिन एक एम० ए० पास २ सौ रुपये की क्लर्की के लिये भटकता फिरता है । आज हमारे मंत्रीगण जिन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ाने के लिये शपथ ली थी कि हम देश को आगे बढ़ायेंगे वे आज इस तरह कर रहे हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आज हमारे देश पर अरबों रुपये का कर्जा हो गया है, हम विदेशों से कर्जा लेते चले जा रहे हैं और योजनाओं को चलाते जा रहें हैं और उनके कारण जो विकास हुआ है वह हमारे सबके सामने है। मैं आपके सामने सरकारी आंकड़े रखना चाहता हूं। माननीय उपमंत्री चिकित्सा विभाग ने यह बताया था कि पहली पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में ५ लाख आदमी टी० बी० के पेशेंट्स थे और आज टी० बी० के १६ लाख पेशेंट्स हैं यानी ११ लाख टी० बी० के पेशेंट्स बढ़ गये। माननीय चतुर्भुज शर्मा जी ने कल्पनाथ सिंह जी के एक प्रश्न पर मेरे अनुपुरक प्रश्न के उत्तर में बताया था जब मैंने पूछा था कि क्या आप बता सकेंगे कि कब तक आप पूरे प्रदेश की जनता को स्वच्छ पीने का पानी दे सकेंगे, कि मैं इसको नहीं बता सकता कि कब तक वह हो पायेगा। इधर दूसरी ओर हम समाजवादी एकानमी लाना चाहते हैं।

कल माननीय अशोक मेहता जी ने बताया कि हम ऐसी वस्तुओं का प्रोडक्शन करना चाहते हैं जिनमें लोगों को पैसा इस्तेमाल करने का मौका मिले। उन्होंने बताया कि छोटी कार बनाने के लिये जब लोगों ने कहा तब उन्होंने उसका कई बार विरोध किया और ऐसी चीजें बनवाना चाहते हैं जिससे प्रोडक्शन बढ़े लेकिन अशोक मेहता जी भूल गये कि पिछले दिनों बिड़ला जी को कार बनाने का ठेका दिया गया था कि ९ हजार में कार तैयार हो ऐम्बेसेडर लेकिन वह गाड़ी आप मार्केट में यहां लखनऊ के मार्केंड में पूछ लीजिए कि १८ हजार रुपये उसकी प्राइस है, बिल्कुल डबल है। बिल इस वक्त दुगुना हो गया है। इस तरह से यह सरकार पूंजीपतियों को पनपाने के लिये प्लान कर रही है। आज वे लोग समाज में व्यापारी के रूप में दिखाई देते हैं लेकिन समाज को लूट रहे हैं और समाज के दुश्मन हैं। उन लोगों ने देश को गुलाम बनाने के लिये हमेशा विदेशियों का साथ दिया है। इस तरह के लोगों को बढ़ावा देने की इस सरकार की कोशिश है। मैं दावे के साथ यह कह सकता हूं कि जिस देश के अन्दर ९० फीसदी लोग पेट भर खाना नहीं पाते हों, जिस देश में हरिजनों को पीने के लिये पानी भी नहीं मिलता है, जिस देश में सरकार हरिजन बच्चों को पानी-पीने के लिये नहीं दे सकती, उनके बच्चों को एजुकेशन नहीं दे सकती, उनकी बीमारियों का इलाज नही कर सकती तो वह देश कभी तरक्की नहीं कर सकता है। उसकी तरक्की कुछ लोगों तक ही सीमित रह जाती है। वे लोग सरकार के बनाने में मदद करते रहते हैं। चुनाव में और दूसरे मौको पर कुछ रुपये से मदद करके वे अपना निजी लाभ उठाते हैं। बिड़ला, टाटा, डालमिया, सिंहानिया, जयपुरिया आज इस सरकार के ऊपर पूरी तरह से हावी हैं। इन लोगों से सम्बन्ध रखने वाली ही यहां पर योजनायें बनती हैं और योजनाओं के नाम पर वे लोग अपना निजी लाभ उठाते हैं। कुछ सरकार की मदद करके वे अपना अधिक लाभ उठाते हैं किन्तु वे अपना रुपया विदेशी बैंकों में जमा करके रखते हैं। उनको हिन्दुस्थान में खतरा है और वह समझते हैं कि यहां पर उनका रुपया सेफ नहीं है। इस वजह से वे अपना रुपया बाहर के देशों में जमा करके रखते हैं।

सरकार को मालूम होना चाहिये कि सन् १९४७ से आज १९६५ होने जा रहा है परन्तु हमारी पर केपिटा इन्कम गिरी है। इससे इस प्रदेश के जनसाधारण की स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि कितनी गिरी हैं। एक योजना पूरी हुई, दूसरी योजना पूरी हुई और अब तीसरी योजना का अन्त होने जा रहा है लेकिन इन तीन योजनाओं के बाद भी हम प्रदेश के हरिजनों को कोई पीने के लिये पानी का इन्तजाम करके नहीं दे सके हैं। पानी जीवन की एक ऐसी आवश्यकता है जिसके बिना कोई मनुष्य जिन्दा नहीं रह सकता। इसी के साथ यहां पर हरिजनों के नाम पर और पिछड़े वर्ग के नाम पर तरह तरह के ढोंग रचे जाते हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आज कोई सरकार का ऐसा कुआं हैं जहां पर हरिजनों को पानी भरने की इजाजत हो? कोई भी इस तरह का इलाका हैं जहां पर हरिजनों का सही माने में संरक्षण होता हो? पूरे प्रदेश में हरिजनों को २ करोड़ रुपया देकर खरीद लिया जाता है लेकिन श्रीमन्, एक पूंजीपति को १० करोड़ रुपया लोन के रूप में दे दिया जाता है और उससे केवल ६ आने परसेन्ट सूद लिया जाता है। दूसरी तरफ आप यह देखें कि किसानों को उनकी तरक्की के लिये

[श्री भगवानदास यादवेन्दु]

रुपया दिया जाता है जिनसे ६ रुपया परसेन्ट और ७ रुपया परसेन्ट सूद लिया जाता है। दूसरे प्राइवेट सेक्टर में इंडस्ट्रीज लगाने के लिये १, १ करोड़ और २, २ करोड़ रुपया नाम-मात्र के व्याज पर दे दिया जाता है। और हमारे किसान और मजदूर गरीबों के साथ इस सरकार का यह बरताव है। इस तरह से इन योजनाओं के द्वारा जो लोकतन्त्रीय समाजवाद आप इस देश में लाना चाहते हैं वह कुछ समझ में नहीं आता है। मैं योजनाओं का विरोधी नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि पूंजी का विकेन्द्रीकरण हो। मैं चाहता हूं कि डिसेन्ट्रलाइजेशन हो लेकिन पूंजी को इस तरह से डिसेन्ट्रलाइज होना चाहिये जिससे छोटे और गरीब मजदूर लोगों को उसका लाभ हो। इस तरह से धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर उसका विकेन्द्रीकरण नहीं होना चाहिये।

आज हमारे देश में पिछड़े वर्ग की यह दशा १०० वर्ष पीछे है। अगर इसी तरह से उस पिछड़े वर्ग की प्रगति होती रही तो उनको और उनकी महिलाओं को शिक्षित होने में १०० वर्ष लग जायेंगे। जिस तरह से आज देश की अवस्था हम देखते हैं उससे यह दिखाई देता है कि पिछले १९ वर्ष में हम देहाती क्षेत्र में भूमिहीन किसानों के लिये कुछ नहीं कर पाये हैं। कल अशोक मेहता जी ने कहा कि हमको टैक्स देना चाहिये। मैं यह पूछना चाहता हूं कि यदि आप हरिजनों को पानी पीने के लिये नहीं दे सकते, उनके बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकते, मौत के मुंह में जाते हुये उनको दवा नहीं दे सकते तो उनसे टैक्स लेने का आपको क्या हक है? क्या वे आपको टैक्स देकर आपकी आली शान बिल्डिंग में १० हजार रुपये का कारपेट मंगाने में मदद करें? इस प्रकार से गरीब लोगों से टैक्स लेना और अशोक मेहता को हवाई जहाज से सफर कराना आपको शोभा नहीं देता है। अगर सरकार ने अपने आपको नहीं बदला तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस देश के अन्दर एक दिन ऐसा आयेगा कि डिक्टेटरशिप आयेगी और सरकार को पता भी नहीं लगेगा और जबतक इस देश में डिक्टेटरशिप नहीं आयेगी तब तक देश का विकास नहीं हो सकता। आज की वर्तमान स्थिति में मिलिटरी डिक्टेटरशिप जिन लोगों के हाथ में आयेगी वह वही होंगे जिन के हाथ में आज शक्ति है। राजे महाराजे हैं, बड़े क्लास के लोग हैं। वे लोग गरीब, अछूतों को पीस डालेंगे। मेरा अपना विश्वास है और जैसा कि पहले लोगों ने कहा है मुई खाल की हाय से लोह भस्म होई जाय, तो अगर इनको सुधारा न गया, इनकी तरक्की न की गयी तो सब भस्म हो जायगा।

श्री जिया रहमान (जिला उन्नाव)---

श्रीमन्, जो प्रस्ताव आज हमारे सामने हैं उसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं कि यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। योजना के इस युग में जब हम योजनाएं बना कर मुल्क को धीरे धीरे आगे बढ़ाना चाहते हैं तो कोई न कोई मौका ऐसा अवश्य होना चाहिये, कोई न कोई फोरम अवश्य होना चाहिये कि जो इस बात को असेस कर सके कि हम इन योजनाओं के जरिये कितना आगे बढ़े हैं और अगर आगे नहीं बढ़ सके तो उसमें कोताहियां और खराबियां कहां पर हैं। मैं श्रीमन्, ऐसा नहीं मानता कि योजनाओं में कोई बहुत बुनियादी खराबी है, लेकिन मैं ऐसा जरूर समझता हूं कि इन के इंप्लीमेंटेशन में जरूर कोई न कोई खराबी है। जितनी तरक्की की हम आशा करते थे वह पूरी नहीं हुई।

अधिष्ठाता महोदय, आज इस रेजोल्यूशन के जरिये से दो मांगें की गयी हैं। एक तो यह कि पिछली योजनाओं के सिलसिले में जो कार्य हुए हैं उन को देखें और उन में जो खामियां और खराबियां हैं उनकी रिपोर्ट एक कमेटी करे और आइन्दा के लिये वह अपने सुझाव दे। मैं ऐसा समझता हूं कि इवेलुएशन कमेटी की स्थापना के बाद इस प्रस्ताव का महत्व बहुत कम हो गया है बशर्ते कि इवेलुयेशन कमेटी के सामने सदन के सदस्यों की भावनायें पहुंच जांय और यह उसके स्कोप में हो कि वह इन चीजों पर विचार कर सके। इसकी बहस के सिलसिले में विषमता के होने और उसे दूर करने की चर्चा भी की गयी है। अधिष्ठाता महोदय, मैं खुद

ऐसा समझता हूं कि आज भी हम अपने ख्वाबों को पूरा नहीं कर सकें जो हमने देखे थे । इस मुल्क के इंसानों को बराबरी का दर्जा दिया जायगा, इसे हम पूरा नहीं कर सके । जब इस सूबे कि योजना पर अमलदरामद होता है तो देखा जाता है कि कुछ हिस्से को तो बहुत कुछ मिलता है और कुछ हिस्से को कुछ भी नहीं मिलता । वह पिछड़े रहते हैं और कुछ हिस्से बहुत आगे बढ़ जाते हैं । हमारा यह दृष्टिकोण बुनियादी तौर पर गलत है । जब तक एक एक अंग को बराबरी से न बढ़ाया जायगा, तब तक यह तरक्की के रास्ते पर नहीं जायगा, ऐसा मैं समझता हूं । इस नजरिये से हमें इस चीज को देखना है ।

हरिजनों और बैकवर्ड क्लासेज के सिलसिले में दो राय नहीं हो सकतीं कि वह बहुत पिछड़ा हुआ तबका है । लेकिन अधिष्ठाता महोदय, खाली इस सदन में भाषण देने से ही या हरिजनों की समस्या का उल्लेख कर देने से ही इस समस्या का हल होने वाला नहीं है। मैं साफ साफ कह देना चाहता हूं कि इसके लिये हमें अपने बुनियादी दृष्टिकोण को ही बदलना पड़ेगा । यह हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि ८० फीसदी का वह वर्ग जो मेहनतकश है, गरीब है, वह आज नेग्लेक्टेड है । हमेशा उसमें इन्फीरियारिटी काम्पलेक्स पैदा किया गया है । जिस मुल्क की ८० फीसदी जनता में इन्फीरियरिटी काम्पलेक्स हो, जिस वर्ग को नीच समझा जाता हो, जिनको इसी वजह से कोई ऊंचा स्थान न मिलता हो कि यह शद्र हैं, जिनको हमेशा ताड़न का अधिकारी समझा जाता रहा हो, वह मुल्क तरक्की नहीं कर सकता । आज ८० फीसदी इन्सान इन्फीरियरिटी काम्पलेक्स के शिकार हैं और इसी वजह से तरक्की नहीं कर पा रहे हैं । जो २० फीसदी बचे हैं, अपने अन्दर सुपीरियारिटी महसूस करते हैं, वे इस वजह से और कोई तरक्की नहीं करते क्योंकि वे समझते हैं कि वे तो ऊंचे उठे हुये ही हैं, उनको और मेहनत करके क्या करना है । उनको तरक्की की जगह मिली हुई है, वे क्यों मेहनत करें । और क्यों अच्छे आचरण पैदा करें जब वे यों ही पूजने योग्य हैं । इसलिये मैं कहता हूं कि यह बड़ा अहम सवाल है । लेकिन सिर्फ तकरीरों से काम नहीं चलेगा, इसलिये कि बकौल शायरे—

"वाएजान की जलवा पर,
महराब-व-मेम्बर में कुन्द ।
चूं ब खिलवत में रवन्द,
ओ कार-ए- दीगर में कुन्द ।।

बड़े बड़े मन्च पर से, प्लेटफार्म पर से खड़े होकर यह उपदेश तथा अच्छे-अच्छे भाषण देते हैं लेकिन तन्हाई में कोठरी में बैठ कर दूसरे ही काम करते हैं । मंच के ऊपर सभी यह कहेंगे कि समानता होनी चाहिये, हरिजनों के साथ यह व्यवहार होना चाहिये, उनको यह सुविधायें मिलना चाहिये, किन्तु जब वे तनहाई में, कोठरी में काम करते हैं तो वह सब भूल जाते हैं । जब तक आप इन ८० फीसदी लोगों को उठाने की कोशिश नहीं करेंगे, आपकी योजनायें कागज पर बनी रह जायेंगी, सब फेल हो जायेंगी । जब तक आप हरिजनों को ऊपर नहीं उठायेंगे, उनका इन्फीरियारिटी काम्पलेक्स दूर नहीं करेंगे, उस वक्त तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा । और उसके लिए हमें अपने बुनियादी नजरिये बदलने होंगे ।

एक बात मैं और इस रिजोलूशन के बारे में कहना चाहता हूं । इसमें कुछ करों और कर्जों की बात कही गयी है । यकीनन कर और कर्जा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई शख्स यह कहे कि यह अच्छी चीज है। अगर सारा ढांचा और सारा काम बगैर करों के चल जाय और किसी के हाथ में अलादीन का चिराग आ जाय जिसकी एक रगड़ से एक जिन पैदा हो और उसको कह दिया जाय कि वह सारे नकश को बदल दे तो यकीनन हम इस बात को ऐसे ही करेंगे कि सारे कर खत्म कर दिये जायं और कोई कर्जा न लिया जाय । लेकिन अधिष्ठाता महोदय, अगर इस प्लानिंग के दौर में हमें मुल्क को आगे ले जाना है तो हमको उसके साधन सोचने होंगे और यह सोचना होगा कि वे कहां

[श्री जियाउर्रहमान]

से आयेंगे। बिला शुबा, मैं इस बात के हक में हूं कि कर लगाते समय उन्हीं लोगों को टैक्स किया जाना चाहिये जिनमें कर देने की क्षमता हो। उन गरीबों को जिनमें कर देने की क्षमता न हो, टैक्स करना मैं समझता हूं कि ऐसा कर उसी तरह का एक्प्लाईटेशन होगा जैसा एक्स्प्लाईटेशन इस जनतांत्रिक सरकार से पहिले होता रहा है। अधिष्ठाता महोदय, मैं इन अल्फाज के साथ, जो इस रेजोलूशन के मूवर हैं, इवैल्यूएशन कमेटी के फारमेशन के बाद इस प्रस्ताव का स्कोप बहुत कम रह गया है और मैं उम्मीद करता हूं कि वे अपने-अपने विचार व्यक्त करके इस रेजोल्यूशन को वापिस लेंगे।

श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय शारदाभक्तसिंह जी को इस संकल्प के लिये बधाई देना चाहता हूं। आज के समय की मांग के ऊपर यह रेजोल्यूशन आया है जब कि सरकार की अक्ल बिगड़ी थी और यह सरकार बौखलायी हुई है चारों ओर अंधेरा होने पर, जिसको कोई रास्ता ही नहीं दिखलाई पड़ रहा है, शारदाभक्त सिंह जी ने सरकार को एक अच्छा रास्ता बताया है कि हमारे नियोजन के अन्दर क्या-क्या गलतियां हैं। श्रीमन्, हम लोग सब देहात से चुनकर आये हैं और बहुत से इनमें किसानों के ही लड़के हैं। इसमें राजा लोग भी हैं, वकील भी हैं और इनमें किसान भी आये हैं। किसानों की हालत की हम लोगों को ज्यादा जानकारी है और माननीय पांडेय जी ने तो हमारे जिले का दौरा भी किया है। श्रीमन्, इनको भी हमारे जिले की जानकारी है। नियोजन में राजनीति का भेदभाव नहीं होता। देश की तरक्की के लिये कभी भेदभाव नहीं हो सकता है। मगर मैं आपके द्वारा बता देना चाहता हूं कि नियोजन विभाग में राजनैतिक भेदभाव करते हुए, जिस देहाती क्षेत्र से मंत्री आता है उस संबंध में श्रीमन्, मैं अपने जिले की बात बता देना चाहता हूं। नियोजन अधिकारी वहां के बी०डी०ओ०, वहां के ग्राम सेवक का यह रवैया है कि जिन क्षेत्रों से विरोधी जीत कर आता है वहां कोई भी काम करने के लिये वह तैयार नहीं।

मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं माननीय बंशीधर के क्षेत्र इलाहाबाद में गया था और फूलपुर के चुनाव में मुझे वहां दो महीने लगातार काम करने का मौका मिला और वहां दो महीने मैंने लगातार काम किया। मैंने वहां के हरिजनों को देखा। श्रीमन्, मैं अभी भी गया हुआ था। यह जो गूलर का पेड़ होता है, उसका फल हरिजनों की औरतों को तोड़ते हुए देखा और पूछा कि इसका वे क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि इसमें नमक, मिर्चा, मिलायेंगे और खायेंगे। तो श्रीमन्, जिस नियोजन के यग में लोग गूलर पीपल और पत्ते खाकर जी रहे हों और श्री बंशीधर जी सरकार की योजनाओं का समर्थन करें तो ये हरिजन लोग बेचारे कहां जायेंगे? श्रीमन्, मेरे क्षेत्र में हरिजन हैं, उस जिले में कम से कम ४४–४५ स्टेट्स हैं जो कि तीन तीन चार चार और पांच पांच लाख रुपये की स्टेट थी। उस जिले से मैं आया हूं और मैं अपने जिले के हरिजनों की हालत जानता हूं। १०० में ८० हरिजन वहां ऐसे हैं जिनके पास नाखून बराबर भी जमीन नहीं है। इस नियोजन में न उन्हें जमीन मिली है और न मिलने की आशा है। यह सरकार नहीं दे सकती है। श्रीमन्, गांव समाज की सम्पत्ति के लिए गांव सभा के सभापति को आपने पंचायत राज के अन्तर्गत अधिकार दिया कि वह हरिजनों और भूमिहीनों को जमीन देगा। लेकिन वह जमीन किसको मिली? मैंने कई पंचायतों को देखा है। वह जमीन उन लोगों को मिली जिनके पास आज भी पचास बीघे का फार्म है, उनके मैनेजर के नाम, उनकी औरतों और लड़कों के नाम वह जमीन दे दी गई। हरिजन को कहीं जमीन नहीं मिली। चकबन्दी भी मेरे इलाके में हुई। जितनी जमीन बची चकबन्दी में वह सारी की सारी जमीन गांव के बड़े बड़े आदमियों ने हड़प ली और एक भी इंच जमीन हरिजनों को नहीं मिली। बंशी लाल जी ने हरिजनों की बड़ी दुहाई दी। मैं सरकार से और माननीय सदस्य से बता देना चाहता हूं कि १८ साल के अन्दर आज भी हरिजनों

की झोपड़ी उसी तरह तर ऊपर बनी हुई है। एक के ऊपर दूसरी चारपाई लगाकर वह सोते हैं। ऊपर बाप सोता है, नीचे बेटा सोता है, उसके नीचे लड़की सोती है और इसी तरह का मचान उनका बना हुआ है। आप देखना चाहें तो इसी दारुलशफा के बगल में देख सकते हैं कि उनकी क्या दशा है।

सारा फायदा आज इस नियोजन का बड़े आदमियों को होता है। वह ट्रैक्टर के लिए पैसा ले सकते हैं, पंपिंग सेट के लिये पैसा ले सकते हैं, बैल के लिए पैसा ले सकते हैं, गाय भैंस के लिए पैसा ले सकते हैं। मगर गरीब किसानों और हरिजनों को न यह पैसा मिला और न मिल सकता है। उनसे कहा जाता है ढाई सौ रुपया ले जाओ और सूअर का बाल खरीदकर ले आओ, उसे बेचो, यह चार सौ रुपये ले जाओ और जूता खरीदकर लाओ और बेचो। इस तरह सुअर का बाल और जूता बेचकर उनकी रोजी नहीं चल सकती है। बीस-बीस आदमियों का उनका परिवार होता है, अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, पढ़ाई-लिखाई की सुविधा, अच्छे मकान उनके लिए सुलभ करने की तो कोई बात नहीं है, यह ढाई सौ रुपये और चार सौ रुपये देकर उनकी समस्या आप हल करना चाहते हैं, उससे उनका क्या भला होगा, यह मेरी समझ में नहीं आता है। हरिजनों के लिए आप यह व्यवस्था करें कि जहां हरिजनों के पास जमीन नहीं है, वहां जो बड़ा आदमी अपनी जमीन बेचना चाहे और उसकी जमीन हरिजन खरीदना चाहे तो वहां के सभापति के द्वारा काफी रुपया उसे दिलाकर वह जमीन उसे खरीदवा दी जाय। तब उसकी तरक्की हो सकती है।

जहां तक देश का सवाल है, इसी नियोजन के समय में हमने देखा कि हमारे ऊपर चीन का और पाकिस्तान का हमला हुआ। सन् १९५४ में मेरा ख्याल है डाक्टर लोहिया का पहला स्टेटमेंट हुआ था और दूसरे लोगों का भी हुआ था कि पाकिस्तान कच्छ में अपनी सड़कें बनाने जा रहा है और चीन हमारे इलाके में अपनी सड़कें बनाने जा रहा है। इसी विधान सभा में एक बहादुरी का संकल्प आया था और उस पर इधर के बैठने वाले और उधर के बैठने वाले सब एक मत होकर तैयार हुए थे। आज देश की भावना है कि जब से यह सरकार आई है इसने देश का मनोबल गिराया है और देश को कमजोर किया है और सारा देश आज पूंजीपतियों के हाथ में खेल रहा है कि हमको खाना दो, कपड़ा दो, मकान दो। नियोजन के युग में देश की तरक्की होना बहुत जरूरी है। हमारी समाजवादी पार्टी नियोजन में विश्वास करती है। मगर इस कांग्रेस के नियोजन पर हमारा विश्वास नहीं है। यह सरकार १८ साल में न तो कुछ कर पाई है और न कर सकेगी। इसके सारे नौकर, चाहे चपरासी हो या पुलिस हो, बगावत करने को तैयार हैं। न तो वे भोजन कर सकते हैं, न कपड़ा पहन सकते हैं और न वे अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। सरकार का एक आदेश गया है कि किसानों के ऊपर ४० फीसदी लगान बढ़ाया जा रहा है और ५०० से ऊपर के मकान पर टैक्स बांधने जा रहे हैं। अगर सरकार किसान पर टैक्स बढ़ाने की बात सोचेगी तो हमारी समाजवादी पार्टी इसका विरोध करेगी और इसके लिये हम सब कुछ बरदाश्त करने के लिये तैयार हैं।

*श्री राजनारायण सिंह (जिला मिर्जापुर)—

अधिष्ठाता महोदय, यह संकल्प जिन भावनाओं से प्रस्तुत किया गया है उनसे मैं सहमत हूं लेकिन मैं समझता हूं कि जब एक इवैल्युएशन कमेटी बन चुकी है तो इसकी आवश्यकता नहीं रह जाती है। मैं आशा करूंगा कि इसे पेश करने वाले महाशय वापिस लेने की कृपा करेंगे।

जहां तक नियोजन के बारे में आलोचना की गई है, मैं नहीं समझ सका कि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो सभी पार्टियों के अच्छे विद्वान नियोजन कमेटी में रखे गये और उनसे सलाह ली गई। इतना ही नहीं, इस देश के विशेषज्ञों की भी राय ली गई थी और जितने महान संसद

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजनारायणसिंह]

के सदस्य थे उनकी राय भी ली गई थी। इस देश की आर्थिक स्थिति को देखकर इस नियोजन को बनाया गया है। अब उसके बारे में इतनी आलोचना होना मैं नहीं समझ सका। लेकिन हमको यह जरूर देखना है कि बावजूद तीन योजनाओं के जो उन्नति होनी चाहिये थी, जिस लक्ष्य पर हमें पहुंच जाना चाहिये था, उस पर हम पहुंचे या नहीं, मेरा कहना है कि उस पर नहीं पहुंचे हैं और कहीं न कहीं कमजोरी अवश्य है। नियोजन के बनाने में तो कमजोरी नहीं है लेकिन जिस तरीके से उस पर अमल किया जाता है उसमें जरूर खराबी है। हमको इस संकल्प से इतना वजन अवश्य मिला है कि इधर हमारी सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है और हम अपने कार्य को इस प्रकार से करें कि जिस लक्ष्य पर हम पहुंचना चाहते ह वहां पहुंचें। मिसाल के तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि हमारा देश कृषि प्रधान होते हुए और ८० फीसदी लोग कृषि में लगे हुए होने पर भी, और उस पर काफी रुपया खर्च करने पर भी सफलता नहीं मिलरही है। नियोजन के जरिये से ब्लाक और सभाओं में जो काम हो रहा है और उनमें जो रुपया दिया जा रहा है उसे यदि हम ईमानदारी के साथ खर्च कर सकें तो लघु सिंचाई में काफी सफलता मिल सकती है। लेकिन ब्लाक के स्तर पर कैसे इस रुपये का दुरुपयोग हो रहा है, वह कहा नहीं जा सकता है। मैं अपने जिले मिर्जापुर के बारे में ढाई वर्ष से लगातार सरकार के सामने और ब्लाक के सामने हमेशा कहता चला आ रहा हूं कि दुद्धी परगने में करीब ३०, ४० गांव हमेशा जलमग्न रहते हैं जो बहुत उपजाऊ हैं। अगर वहां की यह समस्या हल कर दी जाय तो इससे उत्पादन को बहुत बल मिल सकता है। माननीय पार्लियामेंटरी सचिव जी, बंशीधर जी, वहां की हालत से काफी जानकारी रखते हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वह वहां की वाटर-लागिंग की समस्या को हल करने का थोड़ा बहुत उपाय करें जिससे उन गांवों का जल-मग्न होना दूर हो जाय। वहां बड़े बड़े काश्तकार हैं और जमीन बहुत उपजाऊ है और हम समझते हैं कि पूरे जिले की पैदावार बढ़ाई जा सकती है।

मैं समझता हूं कि सरकार की नीति तो अपनी जगह पर ठीक है, कि पब्लिक सैक्टर में भी काफी पैसा दिया जाता है और उसी तरह से प्राइवेट सैक्टर में भी जिन लोगों को मदद दी जाती है उनसे काफी रुपया टैक्स के रूप में वसूल किया जाता है। तो हमारी योजना में कोई कमी नहीं है लेकिन उसके इम्पलीमेंटेशन में कमी है और उसे दूर करना आवश्यक है। इसी तरह से आरामबाजार की ओर ५१–५२ में मैंने गुप्ता जी का ध्यान आकर्षित किया था। वहां पर सरकार की तरफ से कुछ काम हुआ भी है नियोजन का, लेकिन जहां शुरू हुआ था वहीं ठप्प पड़ा हुआ है। वहां स्माल इंडस्ट्री के जरिये हजारों लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। रेशम के कीड़े पाल कर गरीबों को सहकारिता के जरिये रेशम बनाने का काम मिल सकता है। काफी कड़ाई के साथ इस पर निगरानी की जरूरत है और जो रुपया दिया जाता है वह यदि नैतिकता के साथ खर्च किया जाय तो हम जल्दी अपने लक्ष्य पर पहुंच सकते हैं।

इसी तरह से चकबन्दी के लिये कोई नहीं कह सकता है कि उसके नियम गलत हैं या उससे जनता को फायदा नहीं पहुंच सकता है। लेकिन जिस प्रकार चकबन्दी का काम लापरवाही से कर्मचारियों ने किया वह सबको मालूम है। उस पर काफी जोर दिया गया और जब यहां से इनक्वायरी निकली, वहां के डिप्टी महोदय का जो काफी रिश्वत लेते थे, तबादला हुआ और उनके खिलाफ इनक्वायरी जारी है।

हजारों वर्ष की गुलामी के बाद हम आजाद हुये हैं तो हमारी नैतिकता का तकाजा है कि हम न केवल प्लान के जरिये से भौतिकवाद की उन्नति करें बल्कि हमें मौरेलीटी भी पैदा करनी चाहिये जो कि बहुत आवश्यक काम है। हम समझते हैं कि उसके लिये इस संकल्प के लाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करता हूं। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी को इसे स्वीकार कर लेना चाहिये। नियोजन का जो कार्य हमारे प्रदेश में चल रहा है, उसका मूल्यांकन होना नितांत आवश्यक है। नियोजन का कार्य आज भी केन्द्रीयकरण के तरीके से चल रहा है। तभी वह सफल नहीं हो पा रहा है। पिछली पंचवर्षीय योजना के संबंध में यद्यपि इस प्रकार के सिद्धांत को अपनाया गया लेकिन नीचे से केवल राय मात्र ही ली गयी। किसी भी स्तर गांव सभा, क्षेत्र समिति और जिला परिषद् को इस प्रकार का अधिकार नहीं दिया गया कि वे मौलिक योजना में कोई परिवर्तन या परिवर्द्धन कर सकें। इस चौथी पंचवर्षीय योजना में भी वही भूल की जा रही है। यदि योजनाओं का निर्माण नीचे से न होगा तो उसमें जन भावना का समावेश नहीं होगा। अगर स्थानीय परिस्थितियों का ख्याल न रखा जायगा तो योजनायें कैसे सफल होंगी। एक मापदंड का निर्माण किया जाता है और उसी के अनुसार पूरे देश और प्रदेश में योजनाओं के कार्यान्वियन की कोशिश की जाती है, इसी का कारण है कि सामाजिक विषमता दिनों-दिन बढ़ती जा रही है हम महसूस करते हैं कि योजनायें अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो रही हैं। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस प्रस्ताव के अनुसार किसी ऐसी कमेटी का गठन करें जो इस संकल्प के भाव के अनुसार हो और उसकी भावनाओं की पूर्ति कर सके। हमारे देश में और कई प्रदेशों में नियोजन के कार्य का मूल्यांकन हुआ है। पंचायती राज्यों के मूल्यांकन के लिये भी समिति की नियुक्तियां हुई हैं और उन समितियों ने अपने-अपने प्रदेशों के बारे में अपनी सम्मतियां दी हैं। मैं समझता हूं कि यदि माननीय मंत्री जी इस संकल्प के अनुसार किसी आयोग की स्थापना कर देते हैं और पिछली तीन योजना के कार्यों का मूल्यांकन इस सदन के सामने प्रस्तुत हो जाता है उससे हमारे प्रदेश को बहुत से मौलिक सुझाव मिल सकेंगे और उनसे हम अच्छे सुधार योजना में कर सकेंगे।

आज हमारी हालत बहुत ही दयनीय है। पिछली तीन पंचवर्षीय योजनाओं के चलने के बावजूद भी विकास खंडों में कहीं भी विकास नजर नहीं आता है। एक एक विकास खंड में १२-१२ लाख रुपया व्यय हो जाने के बाद भी उनका कोई भला नहीं हुआ। क्योंकि उसका अधिकतर भाग वेतन और टी०ए० आदि में ही खर्च हो गया है। इस अवसर पर मैं सरकार के उस निश्चय का स्वागत करता हूं जिसमें उन्होंने वेतन पर व्यय होने वाले खर्चे में कमी करने का निश्चय किया है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिये जो हमारे प्रदेश में पौने नौ सौ के करीब विकास खंड थे, उनको कम करने का विचार सरकार के सामने है। मैं समझता हूं कि इससे काफी लाभ हमारे प्रदेश को होगा।

कहा जाता है कि एक करोड़ की बचत होगी, उस पैसे को जनता की अन्य सुविधाओं के काम में व्यय किया जा सकता है। इसी प्रकार विकास खंडों में जितने अनावश्यक पद हैं उनको भी समाप्त किया जाना चाहिये। विकास खंडों में ए०डी०ओ० डबल्यू० और ग्राम सेविकाओं के जो पद हैं वे अनर्थ की मूल हैं, इनको अलग करना चाहिये। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी और उनकी सरकार इस बात पर भी गौर करेगी। साथ ही साथ ग्राम-सेविकायें जहां-जहां नियुक्त होती हैं, सहायक विकास अधिकारी महिलायें जहां-जहां नियुक्त होती हैं, वहीं कोई न कोई उस ब्लाक में अनर्थ का कांड होता है। इससे विकास कार्य में काफी अवरोध पैदा हो रहा है। मैं चाहता हूं कि इन पदों को विकास खंडों से समाप्त करके, इनको और किसी समाजसेवा के काम हेतु या ग्रामीण महिलाओं की शिक्षा हेतु शिक्षा विभाग को हस्त-गत कर देना चाहिये ताकि वे दूसरे रूप में समाज की सेवा कर सकें। विकास खंडों से अलग ही इनका ढांचा हो।

दूसरी बात यह कि ए०डी०ओ० कम्पोस्ट, सहायक विकास अधिकारी के एक पद का सर्जन हुआ है। मैं समझता हूं कि यह पद बिलकुल ही निरर्थक और अनावश्यक है। श्रीमन्,

[श्री मैनेजरसिंह]

मुझे मूल्यांकन समिति में रहने का अवसर मिला है और मैंने अपने जिले के अन्दर देखा है कि कम्पोस्ट के जो आंकड़े हैं वे ९० फीसदी हैं और इसलिये फर्जी आंकड़े तैयार करने वाले विकास कार्यकर्त्ता के पद को अविलम्ब समाप्त होना चाहिये। आप यदि चाहते हैं कि कृषि कार्यक्रम पर अधिक बल दिया जाय, उसमें अधिक लोगों को लगाया जाय, कृषि की उन्नति में विकास खंडों का योगदान अधिक हो तो सरकार को चाहिये कि वह सहायक विकास अधिकारी, कम्पोस्ट और ए०डी०ओ० (महिला) के पद को समाप्त कर दे तथा ग्राम सेवकों के पदों में बढोत्तरी कर दे। ग्राम सेवकों के पदों में बढ़ोत्तरी करके अगर सरकार प्रत्येक गांव सभा में एक-एक ग्राम सेवक दे दे और सारी जिम्मेदारी चाहे पंचायत की हो, चाहे कृषि कार्यक्रम की हो, चाहे कम्पोस्ट की हो, उसके ऊपर डाल दे कि वह पंचायतों के सहयोग से उस काम को संचालित करे तो मैं समझता हूं कि काम में एकरूपता होगी और कार्य करने की दृष्टि से भी काम सरल होगा। आज हालत यह है कि गांव सभाओं के और विकास खंडों के ढांचे अलग-अलग हैं। एक पंचायत मंत्री है, एक ग्रामसेवक है, एक एग्रीकल्चरल सुपरवाइजर है, एक कोआपरेटिव सुपरवाइजर है, मैं कहता हूं कि इन सारे पदों को समाप्त करके सरकार को केवल एक ग्राम सेवक का पद रखना चाहिये तथा सारे पदों का विलीनीकरण किया जाना चाहिये। यदि आप प्रत्येक गांव में एक ग्राम सेवक कर दें तो उससे विकास कार्यक्रम और अच्छी तरह से चल सकेगा। यदि आपने इस ढांचे में आमूल परिवर्तन नहीं किया और इसको इसी तरह से चलने दिया तो मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि आपका विकास कार्यक्रम नहीं चलने वाला है और उसकी तरफ गांव की जनता का कोई आकर्षण नहीं होने वाला है और इस तरफ आम जनता का कोई लगाव नहीं होगा। इसलिये आपसे मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि आप कोई ऐसा उपक्रम करें कि विकास खंडों के ऐसे अनावश्यक पदों ए०डी०ओ० कम्पोस्ट और ए०डी०ओ० (महिला), एग्रीकल्चरल सुपरवाइजर कोआपरेटिव सुपरवाइजर को समाप्त कर दे और प्रत्येक ग्राम सभा में एक ग्राम सेवक दे दे। इसके लिये ग्राम सेवकों के पदों में बढ़ोत्तरी कर दें। और उसी के ऊपर इन सारी जिम्मेदारियों को डाल दें, तभी मैं समझता हूं कि ज्यादा कल्याण हो सकेगा और विकास का कार्य हो सकेगा।

मैं एक दूसरा निवेदन और करूंगा कि हम विकेंद्रीकरण के पक्षपाती हैं और इसी आधार पर पंचायती राज के काम को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैं स्वयं पंचायती राज के काम म रुचि रखता हूं और इस देश में जो लोग पंचायत राज के जनक हैं और जिन्होंने इस को दृष्टि दी है उनके सम्पर्क में रहने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। मुझे खेद है कि पंचायत राज का काम जब से अपने सूबे में चालू हुआ है तब से विकास के कार्यक्रमों पर काफी धक्का पहुंचा है। अब इस दृष्टि से भी मूल्यांकन समिति की आवश्यकता है कि पंचायत राज के काम को हम जितना आगे बढ़ाते हैं उतना ही हम को सतर्क रहना होगा कि हमारे विकास के कार्यक्रम में किसी तरह की आंच न आये। मैं विशेषकर मुख्य मंत्री जी को याद दिलाऊंगा कि हमारे सूबे में पंचायत राज का कार्यक्रम इसलिये नहीं चलाया गया था कि संविधान की धाराओं में उसका उल्लेख था या निर्देशन था बल्कि दिल्ली या लखनऊ की सरकार जैसे है उसी तरह की एक समानान्तर दृष्टि से गांधी जी की जो पंचायत राज की कल्पना थी उसके वशीभूत होकर इस कार्यक्रम को अपनाया गया था। इसके श्रीगणेश पर अगर आप ध्यान देंगे तो मालूम होगा कि विकास के कार्यक्रमों के मूल्यांकन के लिये एक मेहता समिति का निर्माण हुआ था स्वर्गीय नेहरू जी की आज्ञा से। उस मेहता समिति में हमारे माननीय सदस्य श्री फूलसिंह जी को भी एक सदस्य की हैसियत से भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ था। उस कमेटी ने पूरे प्रदेश का दौरा किया और अपनी रिपोर्ट दी उसका निष्कर्ष यह था कि विकास कार्यों की ओर जनता की रुचि नहीं है और विकास कायक्रम सफल नहीं हो रहे हैं। इसलिये उन्होंने सुझाव दिया कि जनता के प्रतिनिधियों के ऊपर विकास के कार्यक्रम का भार डाला जाय। उसके बनाने में उसके कार्यान्वियन में जब तक जनता का हाथ न होगा तब तक यह कार्यक्रम सफल नहीं होगा। इस बात को ही

दृष्टि में रखकर यह निर्णय हुआ कि पंचायत राज का काम देश में चलाया जाय। इस उद्देश्य को लेकर ही यह काम यहां चलाया गया। मैं भी पंचायत राज का समर्थक हूं और चाहता हूं कि यह काम आगे बढ़े। मैं कहूंगा कि पंचायत राज के चलने के बाद विकास के कार्यक्रमों को चलाने में कोई गति नहीं आई है बल्कि अवरोध ही पैदा हुआ है। इसलिये जरूरी है कि एक मूल्यांकन समिति का निर्माण किया जाय जो देखें कि कहां गड़बड़ी है, कहां रुकावट पैदा होती है, किस चीज की कमी वहां है। इस भावना से यह आवश्यक है कि एक मूल्यांकन समिति का निर्माण हो। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री राजाराम (जिला फैजाबाद)—

अधिष्ठाता महोदय, माननीय शारदा भक्त सिंह ने जो संकल्प सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया है वह इतना निर्दोष और आवश्यक है कि उसको मानने में सरकार को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। सरकार अभी तक तीनों योजनाओं के कार्यान्वियन पर लगभग १,००० करोड़ रुपया व्यय कर चुकी है। वह रुपया आया कहां से? वह रुपया इस प्रदेश की जो गरीब और अमीर जनता है उनकी गाढ़ी कमाई का है। हमारी चौथी योजना में १,४०० करोड़ रुपये का खर्चा होगा। हो सकता है कि कुछ काट छांट हो जाय लेकिन ऐसा अनुमान है कि १,००० करोड़ रुपये से कम लागत की यह योजना होने वाली नहीं है। चारों ओर काफी आशंका हो रही है, काफी डर है कि आखिर इन करोड़ों रुपयों के लगने से भी कोई राहत मिलेगी अथवा नहीं, उससे जनता का संकट घटेगा या नहीं। जहां तक मैं समझता हूं इन योजनाओं का केवल लक्ष्य यह था कि उत्पादन बढ़े, दूसरा जो देश के अन्दर आय में विभिन्नता पायी जाती है उस खाई को कम करना और तीसरा जो लक्ष्य था वह देश के अन्दर गरीबी और भुखमरी को दूर करना। अब हमें यह देखना है कि इन तीनों योजनाओं से हमारे देश और प्रदेश में कितना काम हुआ है। इस पर गम्भीरतापूर्वक हमें विचार करना है। अगर हम गौर से देखें तो पायेंगे कि हमें इन योजनाओं से कोई अधिक लाभ नहीं हुआ है। यदि मैं यह कहूं कि कुछ भी लाभ नहीं हुआ है तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। १९५०–५१ में हमारे प्रदेश का कृषि उत्पादन लगभग ११५ लाख टन था। यह दूसरी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति पर १४२ लाख टन हो गया। परन्तु १९६३–६४ में यह फिर घट कर ११६ लाख टन के करीब हो गया। तो १३–१४ लाख की योजनाओं में हमारा जो लक्ष्य होना चाहिये था वह पूरा नहीं हुआ बल्कि बावजूद कोशिश करने के भी ११६ लाख टन तक ही हो पाया है। आज यदि १५–१६ वर्ष के उपरान्त भी हमारा खाद्य संकट दूर नहीं हो पाया तो मैं समझता हूं कि जरूर कहीं खामी है और इस सदन और हमारी सरकार को इस पर गम्भीरतापूर्वक सोचना चाहिये। मैं मानता हूं कि चौथी योजना जो आरम्भ होने वाली है उसमें कृषि उत्पादन पर विशेष बल दिया गया है परन्तु पहली जो योजनायें हमारी चली हैं और समाप्त भी हो गयी हैं, उनकी जो सफलता हुई है उससे हमें कोई आशा दिखायी नहीं पड़ती कि भविष्य में हमारी उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। आज भी जो हालत हमारे गांवों की है अवर्षण के कारण, वह शोचनीय है। कई जगहों पर काफी परेशानी है। भुखमरी भी पड़ने वाली है। किसानों के पास गल्ला नहीं है। कैसे संकट दूर हो यह हमारी सरकार को सोचना होगा।

जहां तक दूसरी बात का सवाल है कि किस प्रकार आय में विभिन्नता दूर की जाय मैं समझता हूं कि विभिन्न वर्गों के बीच पहली और दूसरी योजनाओं के कार्यान्वियन के पश्चात् करीब-करीब ४२ प्रतिशत राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है लेकिन मैं यह भी समझता हूं कि अधिकतर फायदा इन योजनाओं का ऐसे वर्ग को ही हुआ है जिसके पास पहले से ही धन था और देश के गरीब किसान, मजदूर तथा हरिजनों को उससे कोई फायदा नहीं हुआ। हरिजनों की स्थिति वहीं रही। उनके पास पहले भी कोई सम्पत्ति नहीं थी और न अब है और उनको योजनाओं से इसलिये लाभ नहीं हुआ क्योंकि योजनाओं के अन्दर मेचिंग ग्रांन्ट की व्यवस्था है जो हरिजनों के पास नहीं थी।

[श्री राजाराम]

यह भी कहा गया कि सरकार ने मूल्यांकन समिति की स्थापना की है लेकिन उसके द्वारा जो काम खत्म हो गया है, जो योजनायें समाप्त हो गयी हैं उनका ही मूल्यांकन किया जायगा। नयी योजना का मूल्यांकन नहीं होगा। उसमें क्या संशोधन हो यह बात इस मूल्यांकन समिति की परिधि के बाहर है। इसलिये यह संकल्प बहुत आवश्यक है ताकि पता चल सके कि देश को हम किस रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। एक बात यह भी देखने योग्य है कि सरकार देश में जिस समाजवादी व्यवस्था को लाना चाहती है उसमें सरकारी कर्मचारियों की कोई विशेष रुचि नहीं मालूम होती। दो तीन रोज हुए सदन में देहातों में क्या स्थिति है इसकी जानकारी करने हेतु फूड डिबेट हुई थी। उस समय बताया गया कि आज भी देहातों में बेरोजगारी है, काम नहीं है। सरकार की तरफ से कहा गया कि काफी रुपया हमारे पास है, टेस्ट वर्क्स हम खोल रहे हैं। लेकिन उतना रुपया खर्च नहीं हो पाता। टेस्ट वर्क्स में ८,१० आने मजदूरी दी जाती है। ज्यादा मजदूरी देने के लिये कहा जाता है तो सरकार कहती है कि इस बारे में अभी वह सोच रही है और सोचते-सोचते आज देहातों की यह दशा हो गयी है। पता नहीं सोच कर अमली कदम कब उठायेगें। अन्त में मेरा निवेदन यही है कि इन सब बातों पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिये। अधिष्ठाता महोदय, योजनायें सफल बनानी हैं तो नये विचारों की रोशनी में हमको सोचना होगा।

श्री रामअधार कनौजिया (जिला बहराइच)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, श्री शारदा भक्त सिंह जी ने नियोजन के संबंध में जो प्रस्ताव पेश किया है उसका मैं स्वागत करता हूं।

श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)—

अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप बीच में उपस्थित नहीं कर सकते। मैं श्री कन्नौजिया को बुला चुका हूं। पहले उनको बोल लेने दीजिये।

श्री रामअधार कनौजिया—

यह बड़े दुख की बात है कि इस सरकार ने १५ सालों में जो योजनाओं को चलाने के लिये जनता के खून पसीने की कमाई का धन ले कर जो व्यय किया है उसका मूल्यांकन करने को तैयार नहीं है आज देश की जनता शंका में पड़ी हुई है। आवश्यकता है कि सरकार अपनी ईमानदारी की सफाई दे।

आज योजनाओं का फल यही निकला कि जनता दाने दाने के लिये मोहताज है। इसलिये मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इस संकल्प को स्वीकार करले। इसमें कोई हर्ज नहीं है क्योंकि उनका यह पहला कर्त्तव्य था। अगर यह संकल्प प्रत्येक पंचवर्षीय योजनाओं के अंत में उनकी तरफ से आया होता तो मैं समझता कि वह ईमानदारी के साथ अपने कार्य को रखने के लिये तैयार हैं। लेकिन चूंकि वे सोये हुये थे और इस संकल्प के कारण जाग गये तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है।

मान्यवर, ये योजनायें जिनके संबंध में हम घोषणा कर चुके हैं, कि योजनाओं के द्वारा हम देश की गरीबी बेरोजगारी को मिटायेंगे देश समृद्धिशाली होगा, जनता भी खुशहाल होगी ठीक है, परन्तु क्या यह बात सही है कि यह केवल समाजवादी योजनाओं के द्वारा हो सकती है ? लेकिन सरकार जो वर्तमान सामाजिक योजनायें चला रही है उनका देश में अब तक क्या नतीजा हुआ है उसको हमें देश के स्तर पर देखना है कि यह रास्ता जो हमने अपनाया है सही है या नहीं और उसके द्वारा हम तरक्की कर रहे हैं या नहीं। दूसरे मुल्कों के मुकाबले में हम तरक्की कर रहे हैं या नहीं जिसका मूल्यांकन होना आवश्यक है।

मान्यवर, यह सही है और निश्चित है कि जब किसी देश की राष्ट्रीय आय की वृद्धि होती है तो देश की गरीबी भी उतनी ही कम होती है । लेकिन इसके साथ ही साथ यह भी देखना आवश्यक है कि हमारी राष्ट्रीय आय में जो वृद्धि हो रही है वह आबादी के अनुपात से कम तो नहीं है । यदि आबादी के अनुपात से कम हो तो निश्चय ही हमारा नियोजन सफल नहीं हो रहा है। दूसरी चीज यह है कि जो हमारी राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है उसका लाभ जन साधारण के जीवन पर पड़ा है या नहीं अथवा वह आय केन्द्रित हो गई है। यानी वह राष्ट्रीय आय कुछ समुदाय के हाथ में चल गई है। इसको देखने की आवश्यकता है। मेरा यह निश्चित मत है इस १८ वर्ष में अमीर और अमीर हुआ है और गरीब और गरीब हुआ है ।

माननीय, राष्ट्रीय आय द्वारा लाभ को जनता के सुख दुख के माप से जानने का सब से अच्छा तरीका है । यदि गरीब का जीवन स्तर ऊंचा उठा है, खाने पीने की सुविधा हुई है तो मैं समझता हूं कि देश की आय में वृद्धि हुई है और उसका जन साधारण को लाभ मिला है । लेकिन इन १८ सालों में उसका उल्टा हुआ है। पहली योजना में जितना धन लगाया गया था उसका दुगुना दूसरी योजना में लगाया गया और उससे कहीं ज्यादा तीसरी योजना में लगाया गया । लेकिन अगर इसकी प्रगति देखी जाय तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में जब कि हमारे देश का लक्ष्य १२ प्रतिशत था तो प्राप्ति १८ प्रतिशत हुई । दूसरी में लक्ष्य था २५ प्रतिशत और प्राप्ति हुई २० प्रतिशत और तीसरी में ती न वर्ष बीत जाने के बाद कुल प्राप्ति केवल १० प्रतिशत हुई है। अब आगे दो वर्षों में १० प्रतिशत से ज्यादा प्राप्ति नहीं हो सकती है यानी २० प्रतिशत से ज्यादा प्राप्ति नहीं हो सकती है। धन के सम्बन्ध में ध्यान देना चाहिये कि पहली योजना से दूसरी में ज्यादा धन लगाया गया है जो तीसरी में सब से अधिक लगाया गया है परन्तु प्रगति दिन-प्रति-दिन कम होती गई प्रथम पंचवर्षीय योजना समाजवादी योजना न होने पर भी सब से सफल रही। योजनाओं की असफलता धन की कमी के कारण नहीं हो सकती क्योंकि धन प्राप्ति के लिये जितना लक्ष्य रखा गया वह सम्पूर्ण धन प्रत्येक योजना के लिये प्राप्त भी कर लिया था । फिर भी अगर लक्ष्य से हटते हैं, इसका मतलब है कि हमारी योजनाओं में कुछ गलतियां हैं जिनका मूल्यांकन करना आवश्यक है । हमारा माध्यम गलत है । आवश्यकता है कि योजनाओं में मोड़ दी जाय ताकि राष्ट्रीय आय बढ़े और देश की उन्नति हो गरीबी, दूर हो। जहां तक योजनाओं को मोड़ देने का सम्बन्ध है तीन पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि पर १२ सौ करोड़ रुपया लगाया था, और .८६ उत्पादकता बढ़ी। इस तरह से राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई १०३७ करोड़ रुपये । दूसरी तरफ उद्योग में १९९५ करोड़ रुपया लगाया गया, उसमें उत्पादकता .१८ बढ़ी और आय में वृद्धि ३६७ करोड़ की हुई । इस तरह से १४०४ करोड़ रुपये की आय में वृद्धि हुई। अगर १,९९५ करोड़ कृषि पर लगा दें और उत्पादकता भी वही मान लें तो आय १७१६ करोड़ रुपया होगी और १२०० करोड़ रुपया उद्योग पर लगाते हैं और १९९५ करोड़ रुपया पर हुयी उत्पादकता वही .१८ मान लें तो आय २१६ करोड़ मिलती है । इस तरह से योग १९३२ करोड़ होता है । और सरकार की तरफ जो योजना बनी है, कार्य किया गया है उस आय में से ४०४ करोड़ घटा दें, तो ५२८ करोड़ रुपया अधिक लाभ मिलता तथा वर्तमान अन्न संकट से देश बचा रहता तथा विदेशी मुद्रा की बचत होती । इसलिये कृषि की तरफ धन ज्यादा लगाया जाये । इस लिये मूल्यांकन समिति जरूर बैठायें। और यह आपके लिये आवश्यक है क्योंकि आपको यह सफाई देनी पड़ेगी कि जनता का इतना अधिक धन खर्च किया जाने पर भी गरीब की गरीबी अब भी बनी हुई है।

श्री रतीपाल—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब अब प्रश्न उपस्थित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

*श्री शारदाभक्त सिंह (जिला हरदोई)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने प्रस्तुत संकल्प के विषय में अपने-अपने विचार प्रकट किये । प्रायः सभी माननीय सदस्यों ने स्वीकार किया कि नियोजन से जो लक्ष्य हमने प्राप्त करने के सोचे थे वह हम प्राप्त नहीं कर सके और जिन समस्याओं के समाधान के लिये करोड़ों रुपया नियोजन के नाम पर व्यय किया गया वह समस्यायें कम नहीं हुई, बल्कि बढ़ी हैं । एक भी माननीय सदस्य ने यह नहीं कहा कि जो लक्ष्य हमें प्राप्त करने थे वह हमने प्राप्त किये हैं । हां, एक बात अवश्य सरकारी पक्ष की ओर से कही गयी और मैं समझता हूं बड़ी पुरानी हठवादिता से पिटी-पिटाई हुई बात कही जाती है कि जिन लोगों ने मूल्यांकन समिति का प्रस्ताव रखा है, उनका नियोजन में विश्वास नहीं है, जनसंघ की ओर से ऐसी बात आई है, जिससे ऐसा लगता है कि जनसंघ का नियोजन में विश्वास हो गया है । इस संबंध में मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि कई बार जनसंघ की ओर से बात कही जा चुकी है कि नियोजन में हमें विश्वास है और न्यूनतम काल में हम अधिकतम सफलता प्राप्त करना चाहते हैं । लेकिन जिस प्रकार का नियोजन आज कांग्रेस के द्वारा चलाया जा रहा है और उससे जो १५ वर्ष में फल मिला है, एक कागजी समाजवाद का नारा लगाकर देश कहीं जाये उसके पीछे पड़े हुये हैं, ऐसे नियोजन के हम पक्ष में नहीं हैं और मैं समझता हूं कि उसके पक्ष में कोई भी समझदार व्यक्ति नहीं होगा ।

इस सरकार के नियोजन से हमारी समस्यायें बढ़ी हैं, अभाव बढ़े हैं, महंगाई बढ़ी है, बेकारी बढ़ी है, मूल्य बढ़े हैं और चारों तरफ जहां तक खाद्यान्नों का सम्बन्ध है एक ऐसा वातावरण बन गया है मानो हम मौत के मुंह में चले जा रहे हैं । यह देखने के बाद और अनुभव करने के बाद भी अगर यह कोई साहस करता है कि हमारा नियोजन ठीक है और हम ठीक रास्ते पर जा रहे हैं, तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हठवादिता से, अपने दल की हठवादिता से परे हटकर, इस प्रदेश की ओर आपको विचार करके आगे कार्य करना चाहिये । हां, अगर आज जो नियोजन चलाने वाले हैं और जिनके द्वारा सारी योजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं, यदि वह यह बात कहें, तो मैं कहता हूं वह बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमने नियोजन करके इस प्रदेश में बेकारी बढ़ाई है, महंगाई में प्रगति की है, हमने खाद्यान्नों की कमी में प्रगति की है और इस नियोजन के द्वारा इस प्रदेश को हमने भारत के सारे चित्र में सबसे पीछे खड़ा कर दिया है, तो मैं समझता हूं इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी । बहरहाल, यह बात बिलकुल सही है कि १५ वर्ष के नियोजन के बाद आज उत्तर प्रदेश आर्थिक स्थिति में जिस प्रकार पीछे गिरा है, किसी भी माननीय सदस्य को उससे सन्तोष नहीं हो सकता । और जब हम सारे देश में सबसे अधिक पिछड़े हुये हैं, हमारी समस्यायें गम्भीर होती जा रही हैं और हम करोड़ों रुपये खर्च करके भी किसी समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं, तो बुद्धिमान लोगों की तरह आज यह आवश्यक है कि हम बैठकर सोचें और एक ऐसा आयोग बैठायें जिसमें इस बात पर विचार किया जाये कि हमारी सारी योजना होने पर भी हम प्रगति क्यों नहीं कर सके । मैं समझता हूं कि इसमें किसी दल विशेष का अर्थ नहीं है । मैं कांग्रेस की नियत पर भी किसी तरह का शंका नहीं करना चाहता हूं । मैं सोचता हूं वह चाहते होंगे और चाहना भी चाहिये कि प्रदेश की प्रगति हो । मैं समझता हूं कि सरकार अपनी भावनाओं के कारण जो हम और आप योजनाओं में आस्था रखते हैं एक साथ बैठकर यह सोचने का प्रयत्न करेंगे कि जहां पर कमी हो उसको टटोलकर हम निकालें । अपने दलगत स्वार्थों को छोड़कर एक ऐसी नीति निर्धारित करें कि जो आज हमारे प्रदेश की प्रगति चाहिये वह प्राप्त हो सके ।

मैं, जहां तक समझता हूं सरकार को विरोधीदल को इस बात के लिये बधाई देना चाहिये था कि हम उनके साथ बैठकर इस प्रदेश की प्रगति करने के लिये कार्य करना चाहते हैं । बार-बार सरकार की तरफ से बात कही जाती है कि लोग नियोजन में विश्वास नहीं करते, हमारे साथ सहयोग नहीं करते । मैंने इस प्रस्ताव के माध्यम से यह बात इसलिये रखी थी कि अगर सरकार चाहती है कि सब लोग बैठकर जो नियोजन में विश्वास करते हैं, ऐसा रास्ता निकालें, जिससे हम ज्यादा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

से ज्यादा प्रगति कर सकें, तो उससे प्रान्त का अधिक से अधिक कल्याण होता । लेकिन सरकार हठवादिता के आगे इस तरह के आयोग को नहीं बिठाना चाहती है । और इसीलिये मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि सरकार की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और पिछल १५ वर्षों में अगर प्रान्त की समस्याओं का समाधान आपने नहीं किया तो आज देश की जनता भी आपको इस बात का अवसर नहीं देना चाहती कि आप और अधिक दिनों तक बैठकर एक्सपेरीमेंट करते रहें और गलत रास्तों पर चलते रहें । आज आवश्यकता है कि सभी दलों के लोग एकत्रित हों और प्रान्त की सारी बातों पर विचार करके निश्चित करें कि समय का जो तकाजा है उसको किस तरह से पूरा करना है और कैसे यह प्रदेश अपने पिछड़ेपन को निकालकर देश के अन्य प्रदेशों की भांति और उनसे आगे चल सकें । मैं समझता हूं कि सरकार को अब भी सद्बुद्धि आयेगी, वह सब की बातों को सुनेगी और एक आयोग बिठाकर कमियों को ढूंढ़ निकालेगी जिनके कारण करोड़ों रुपया बेकार जा रहा है और लाभ कम हो रहा है ।

कुछ लोगों ने कहा कि नियोजन से कुछ न कुछ लाभ तो हुआ ही है । होना भी चाहिये । मैं कहां इन्कार करता हूं ? जिस तरह से कार्य हो रहा है उससे कुछ न कुछ तो प्रगति अवश्य हो रही है, लेकिन हमारी प्रगति ऐसी होनी चाहिये कि किसी के मन में यह शंका रहना ही नहीं चाहिये कि यह कार्य हो सकता था जिससे हम और आगे बढ़ सकते थे । लेकिन अगर सरकार का इस नियोजन से संतोष है तो फिर इतना ही कहना चाहता हूं कि प्रान्त बहुत दिनों तक इन समस्याओं को इस प्रकार चलते देखना नहीं चाहता और यहां की साढ़े सात करोड़ जनता चाहती है कि गलत रास्तों को ठीक किया जाय और जहां कमियां हैं उनको ढूंढ़ निकाला जाय और अगर ऐसा सरकार नहीं करती तो बहुत दिनों तक आप इस प्रकार का नियोजन चलाने में समर्थ भी नहीं हो सकते ।

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

अधिष्ठाता महोदय, यह प्रश्न जिस पर बहुत से माननीय सदस्य इधर के और उधर के भी विचार व्यक्त कर चुके हैं बहुत महत्व का है । मैं उनका बहुत आभारी हूं कि उन्होंने इस प्रदेश की आवश्यकताओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया और हमें बहुमूल्य सुझाव भी दिये । यह एक ऐसा विषय है जिसका दार्शनिक रूप जितना ही प्रस्तुत किया जाय, जितनी भी चर्चा हो उतना ही कम है । हमारे बहुत से साथियों ने कहा यह प्लानिंग जो कांग्रेस की है वह वास्तव में प्लानिंग नहीं है । श्रीमन्, मैं ज्यादा विस्तृत रूप में तो आपके सामने नहीं जाऊंगा लेकिन हमारे साथी इस बात को भी जानते हैं कि नियोजन शब्द से ही सिद्ध होता है कि वह कंट्रोल्ड एकनामी का परिचायक है । दुनिया के देशों में जहां भी प्लानिंग को अपनाया गया है खासतौर से रूस, अमेरिका, यूगोस्लेविया आदि का जिक्र किया गया है उनमें भी अन्तर है । रूस और भारत की प्लानिंग में अन्तर है । कुछ लोगों ने मौलिक शब्द रखा है और रूस और भारत की प्लानिंग के दृष्टिकोण में मौलिक अन्तर है । दुनिया के जिन देशों में प्लानिंग हुई है उन्होंने दो तरीके से की है । एक तो डाइरेक्टिव प्लानिंग रही है और दूसरी वर्टिकल प्लानिंग है । जहां तानाशाही व्यवस्था है जिनमें सत्ता का केन्द्रीयकरण होता है वहां डाइरेक्टिव प्लानिंग चलती है । जिन देशों में विकेन्द्रित लोकशाही, जनवादी व्यवस्था होती है वहां वर्टिकल योजना चलती है, उसमें योजना नीचे से ऊपर चलती है ।

हमारे देश में पहली पंचवर्षीय योजना में २३ सौ करोड़, दूसरी में करीब ५२ सौ करोड़, तीसरी में साढ़े १० हजार करोड़, चौथी में साढ़े २१ करोड़ के करीब खर्च होने जा रहा है और पांचवीं में शायद ५० हजार करोड़ तक रुपया खर्च हो जैसा कि इस सम्बन्ध में हमारे विद्वानों ने रखा है । उत्तर प्रदेश की जब हम चर्चा करते हैं तो श्रीमन्, माल्थस की थ्योरी आफ पापुलेशन का भी खयाल सामने होनी चाहिये । क्योंकि "अदर थिंग्ज बोईंग ईक्वल" अगर हम पापुलेशन को स्टाप कर दें और सन् ५१ की जनगणना पर हम सब बातों को नापें तो इस प्रदेश के आर्थिक क्षेत्र में क्या हुआ, इसका अनुमान हो सकता है ।

[श्री बंशीधर पाण्डेय]

में निश्चित रूप से कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में और देश में आमदनी हर क्षेत्र में बढ़ी है और उसका विकास हर क्षेत्र में बहुत तेजी से बढ़ा है। उसका मापदंड यही नहीं है कि उसकी पर कैपिटा आमदनी कितनी बढ़ी है। यह बढ़ने के बाद जो प्रश्न दूसरा आता है उससे घिर जाती है। उत्पादन जो होता है यह हमारी इकानामी का फार्मूला है कि वह अंकगणित की तरह से जो उत्पादन होगा वह १, २, ३, ४, ५, इस तरह से बैठेगा लेकिन पापुलेशन जो होती है वह ज्योमेट्रीकल रूप से बढ़ती है। वह १, २, ४, ८, १६, ३२ और ६४ इस तरह से बढ़ती है। दुनिया में किसी भी देश ने पापुलेशन को उत्पादन के मुकाबले में पीछे नहीं कर पाया है क्योंकि पापुलेशन का बढ़ना दूसरी तरह से होता है। हमारे उत्तर प्रदेश की आबादी १९६०–६१ में ७।। करोड़ के लगभग थी। इस समय जब कि मैं बोल रहा हूं करीब-करीब ८ करोड़ हो चुकी होगी और ७५, ७६ तक ९।। करोड़ हो जायगी। श्रीमन्, ४.१४ पर खेती है और ८ करोड़ आबादी है तो उन योजनाओं को आप खेती पर देख लें। योजनाओं पर भारत में पहली योजना में अन्य प्रदेशों पर सारे भारत में ४० रुपया खर्च हुआ और उत्तर प्रदेश में हर व्यक्ति पर २४ रुपया खर्च हुआ। दूसरी योजना काल में सारे भारत में ५२ रुपया प्रति व्यक्ति खर्च हुआ लेकिन उत्तर प्रदेश में ३४ रुपया व्यय हुआ। तीसरी योजनाकाल में भारत में ९२ रुपया खर्च हुआ और उत्तर प्रदेश में ६८ रुपया खर्च हुआ। अगर साधन भी बराबर होते तब भी आपकी बात सही हो सकती थी लेकिन उसमें भी अन्तर है। पहली योजना में केंद्रीय सहायता भारत में दूसरे प्रदेशों को २५ रुपया मिली और उत्तर प्रदेश को १४ रुपया मिली। दूसरी योजना में जहां दूसरे प्रदेशों को २७ रुपया मिला वहां उत्तर प्रदेश को १८ रुपया मिला और तीसरी योजनाकाल में जहां अन्य प्रदेशों को केंद्रीय सहायता ५६ रुपया मिली वहां उत्तर प्रदेश को ४७ रुपया सहायता मिली। यह दोष भारत सरकार का हो सकता है या प्लानिंग कमीशन का हो सकता है लेकिन मैं इस बात को आपके सामने रखने में कोई हिचकिचाता नहीं हूं। आप इस प्रदेश की योजनाओं से संबंध रखते हैं। आप इस प्रदेश की जनता के प्रतिनिधि हैं और इस माननीय सदन के सदस्य हैं। आप इस बात को देखें कि उत्तर प्रदेश में इन तीन योजना काल में इन्वैस्टमेंट में भी काफी अन्तर रहा है। हमारे प्रदेश के बारे में प्लानिंग कमीशन में बैठे लोगों का यह विचार है कि चौथी योजनाकाल में जो प्रदेशों की आय होगी उस आय पर उत्तर प्रदेश अगर वह मेहनत कर सका तो पंचम पंचवर्षीय योजना में पहुंचेगा जब कि वह ७ हजार करोड़ के अतिरिक्त पूंजी को लगाया जा सके इस २३ हजार करोड़ के प्लान में इसी तरह से जब आगे की प्लान होगी तब हम दूसरों के बराबर पंचम प्लान में पहुंचेंगे। इसलिए यह कहना कि किसी क्षेत्र में हमने कुछ नहीं किया यह सही नहीं है। इसमें आबादी एक मेन फैक्टर हो जाता है जिसके कारण हमारी पर कैपिटा इन्कम घट जाती है।

मैं एक बात की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के लिए ऐसी बात नहीं है कि वह पीछे गया है। उत्तर प्रदेश बहुत आगे गया है। हमारे खाद्य मंत्री जो केंद्र के हैं उन्होंने एक पत्र हमारे मुख्य मंत्री जी को लिखा है कि उत्तर प्रदेश में जो माइनर इर्रीगेशन का काम हुआ है यह और प्रदेशों से अच्छा हुआ है। हमारे प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन ने और दूसरे लोगों ने कहा है कि तीसरी योजनकाल में यूटिलाइजेशन उत्तर प्रदेश में सब से अच्छा रहा है। ५०२ करोड़ से लेकर ५२८ करोड़ तक हमारी योजनाओं का लक्ष्य हो जायगा जो हमारा खर्च होगा। उत्तर प्रदेश में आप कहते हैं कि योजनाओं के प्रारंभ में १५५ लाख टन का लक्ष्य था १९५०–५१ में। आज लगभग १५२ लाख टन की हमारी प्राप्ति हो चुकी है। सिंचाई के साधन भी काफी बढ़े हैं। भारतवर्ष में सबसे अधिक सिंचाई का प्रसार हमारे उत्तर प्रदेश में हुआ है। आज उत्तर प्रदेश में, श्रीमन् आप देखें कि साढ़े ८ हजार राजकीय नलकूप हैं। इसके अलावा और भी लघु सिंचाई की योजनायें हैं। इसके अलावा भूमि संरक्षण का भी कार्यक्रम हमने बढ़ाया है। यह काम भी बहुत जरूरी था। हजारों लाखों एकड़ जमीन कट जाया करती थी। सरकार का बहुत बड़ा ध्यान इस कार्यक्रम की ओर गया है। आप देखें श्रीमन्,

हमारी सिंचाई का प्रबंध पहले २,१६० हजार एकड़ में था, १९६५ के अन्त में वह ४,४६१ हजार एकड़ हो जायगा। भूमि संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत भी जहां ८१ हजार एकड़ भूमि थी, वह श्रीमन्, सन् ६६ तक ७ लाख ५४ हजार तक पहुंच जायगी। इसी तरह से रसायनिक खाद में भी आपने काफी प्रगति की है। पहले १४३ हजार टन वह थी, अब वह ६०० हजार टन हो जायगी। विद्यार्थियों को लें, सन् १९५०-५१ में २८ लाख विद्यार्थी कक्षा से कक्षा ५ तक में जाते थे, आज ६८.५ लाख जाते हैं। बालिकाओं को भी लीजिए, जहां ४ लाख जाती थीं, वहां उनकी संख्या १९ लाख हो गयी, मिडिल कक्षाओं में जाने वाली बालिकाओं की। माननीय सदस्य तो जिला परिषदों के सदस्य हैं, उनको मालूम होगा, प्राइमरी अध्यापकों की संख्या कितनी थी और आज कितनी हो गयी। शिक्षा का बजट पहले कितना था और अब कितना है। यह सब वास्तविकता है जिससे इन्कार नहीं किया जा सकता। तृतीय प्लान के बाद करीब-करीब २५ मिलियन बेंकारों की संख्या पहुंच जायगी। उनको रोजगार देने के बावजूद, यह संख्या होगी। इनकी भी समस्या है। और भी समस्याएं हैं। इन सब के बावजूद, श्रीमन्, यह कहना गलत है कि प्लानिंग के क्षेत्र में किसी प्रकार की प्रगति हुई ही नहीं है। आप देखें श्रीमन, सड़कें भी काफी बढ़ी हैं। जहां १० हजार मील लम्बी लड़कें थीं वहां अब १६,६०० मील लम्बी सड़कें हो गयीं। जो हमारा इस संबंध में तृतीय योजना का लक्ष्य था, उससे भी ५०० मील अधिक हो गयी हैं। आज बसें भी करीब १२ हजार मील पर चलने लगी हैं। तो चाहे आप विद्यार्थियों के क्षेत्र को लें, या और कोई क्षेत्र लें, प्रगति हर तरफ हुई है।

श्री हरिनाथ तिवारी ऐडवोकेट (जिला फैजाबाद)—

पर कैपिटा इन्कम कितनी बढ़ी है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

श्रीमन्, मेरा तो चैलेंज है कि जब तक पापुलेशन इसी तरह बढ़ती रहेगी, पर कैपिटा इन्कम बढ़ नहीं सकती। ज्यों-ज्यों पापुलेशन बढ़ेगी उसका प्रभाव पर कैपिटा इन्कम पर पड़ेगा। आपकी आबादी ६ करोड़ ३२ लाख थी, आज वह ८ करोड़ के करीब-करीब है। आप सोचें कि जब डेढ़ करोड़ की आबादी बढ़ी है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। फिर भी उत्तर प्रदेश प्रगति की ओर जा रहा है।

श्रीमन्, योजना आयोग के उपाध्यक्ष महोदय ने जो एक बात कल कही थी, वह भी बड़ी महत्व की है। उन्होंने कहा है कि आपको साधन और कर उत्तर प्रदेश में जुटाने होंगे। इस प्रश्न पर दोनों तरफ के माननीय सदस्यों को सोचना पड़ेगा, लेकिन इस बात स इन्कार नहीं किया जा सकता कि अगर योजना को इस प्रदेश में चलाना है उसके लिए १,४०० करोड़ की आवश्यकता होगी दूसरी आने वाली योजना के लिए। इसके लिए साधन और कर की व्यवस्था करनी पड़ेगी, वह चाहे जिस शक्ल में करनी पड़े।

इसके अतिरिक्त, श्रीमन, ग्रामीण जन-शक्ति योजना का कार्यक्रम हम बड़ी तेजी से चलाना चाहते हैं। इसी संबंध में २५ तारीख को अमेरिका के एक मिस्टर ह्वाइट यहां आए हुए थे उनसे भी हमारा परामर्श हुआ। उन्होंने भी इसको अच्छा बताया और इसकी तारीफ की। हम इस योजना को एक आदर्श योजना बनाना चाहते हैं। अभी काश्मीर में भारत के मंत्रियों का जो सम्मेलन हुआ उसमें भी हमारे मंत्री महोदय गए थे और उत्तर प्रदेश के इस कार्यक्रम को वहां सब राज्यों से अच्छा बताया गया। ५ वीं योजना में हमारी यह योजना लगभग ५० करोड़ की हो जायगी, लेकिन यह हो सकता है कि भारत सरकार उसके मुताबिक अपने बजट में प्राविजन न करे। फिर भी हमारी वह योजना २५-३० करोड़ से कम नहीं होगी। वह रुपया कैसे खर्च किया जायगा, उस पर तो हम विचार करेंगे, लेकिन इन्टेंसिव लेबर पर हमको

[श्री बंशीधर पांडेय]

अधिक ध्यान देना होगा। इसके अलावा सड़क बनाने की ओर, बांध बनाने की ओर, सिंचाई की सुविधाएं बढ़ाने की तथा अन्य सभी बातों की ओर हमें विशेष ध्यान देना होगा। स्वायल कंजरवेशन पर भी जोर देना होगा।

श्रीमन्, मैं रूस का उदाहरण देना चाहता हूं। स्टेलिन के मरने के बाद जब मेलेनकोव आए, उन्होंने भी कुछ आवश्यक चीजों की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया जिससे कि आज वहां के कृषि उत्पादन में गिरावट हुई। ख्रुश्चेव के नेतृत्व में गेंहूं के उत्पादन में काफी गिरावट आयी। (व्यवधान) सोशलिज्म क्या है? वह तो जीवन का समान दर्शन है। सोशलिस्टिक एकोनामी में पीपुल्स पार्टीसिपेशन की बहुत जरूरत है। रामसुन्दर पांडेय जी तो हम से बड़े नेता हैं, वह इसे अच्छी तरह जानते हैं, गांधी जी की कांग्रेस नहीं थी, न लाल बहादुर जी की ही कांग्रेस थी, कांग्रेस तो जनता का बड़ा भारी एक प्लेटफार्म था जिसके ऊपर जनता ने भारी संख्या में आकर अपना कार्यक्रम बनाया और उसके अनुसार काम किया। हमारा उद्देश्य ग्राम सुधार करके नीचे के लोगों को ऊपर उठाना है। यह काम कोआपरेशन के जरिए कांग्रेस ने किया और वह कर रही है। सोशलिस्टिक एकोनामी हमारा मान्य सिद्धांत है। हम चाहते हैं जनता और काम करने वालों के बीच में कोई बिचौला बन कर न आए। हम इसी ध्येय से प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के बीच कोआपरेटिव सेक्टर को स्थापित करना चाहते हैं। जहां भी प्लान्ड एकोनामी होगी, कोआपरेटिव सेक्टर अपने आप आ जायगा। इससे जो बीच का आपका बिचौलिया क्लास है वह अपने आप दूर हो जायगा।

(इस समय ३ बजकर ३५ मिनट पर, अधिष्ठाता श्री कृष्णानन्द राय पीठासीन हुए।)

श्रीमन्, यहां रोजाना कहा जाता है कि गबन हो गया। उसकी रोज चर्चा की जाती है। यह सारा दोष इसका है? लेकिन इसके बावजूद भी आप इन बातों से इन्कार नहीं कर सकते कि कोआपरेटिव सेक्टर की जरूरत नहीं रह गयी है। रूरल क्रेडिट सर्वे रिपोर्ट जो रिजर्व बैंक की है, उसमें उन्होंने कहा इन्डीजिनस बैंकर्स पर, इसको खत्म करने के लिए कोआपरेटिव की संस्थाओं को, कोआपरेटिव सेक्टर को आपको मजबूत करना पड़ेगा? लेबर कोआपरेटिव बनाने पड़ेंगे, हम आपसे सहमत हैं। यह सरकार जो सोशलिस्टिक सरकार बनने का दावा करती है, उसकी सही मंशा है कि हम कोआपरेटिव सेक्टर द्वारा मजदूरों की सोसाइटी बनायें, बड़े-बड़े ठेके मजदूरों को मिलें, उनको अग्रिम धन भी दिया जा सके ताकि जो बीच का जो मजदूर का भाग है वह तीसरे आदमी को न जाय। जो ग्रामीण जनता है उनको हमने योजनाओं के कार्यक्रम दिए लेकिन रिस्पांस बहुत कम अच्छा ही रहा। वहां जो उनके ठेकेदार थे वही धीरे-धीरे उस कार्यक्रम को करने आ गए।

हमारा जो थर्ड प्लान रहा है यह पीपुल्स पार्टीसिपेशन का प्लान है। यहां मैं बता दूं कि जब यूनाइटेड नेशन्स में भारत की योजनाओं की चर्चा हुई थी तो उसमें उन्होंने कहा कि भारत का पंचायती राज अति मानवतावादी है। उन्होंने भी सुपरलेटिव डिग्री की संज्ञा दी। एक बात यह भी है कि जो बहुमत से तय हो जाय तो जो और विरोधी पक्ष के भी यदि उस प्रणाली का विरोध करें पर फिर भी वह उसी प्रणाली से ही किया जाता है। हमने तय किया कि पीपुल्स पार्टीसिपेशन के द्वारा उस योजना को करना होगा। मान लीजिए, हमने एक योजना चलाई और बहुमत से उस योजना को पास कर दिया। लेकिन श्रीमन्, सदन में पास हो जाने के बाद, आपका एक नैतिक सम्मान उसके बाद हो जाता है, और देशों में जाकर आप मुकर नहीं सकते और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के अनुसार यदि उसके विपरीत भाषण जहां करने लगते हैं तो वहां पर योजना का ह्रास होने लगता है।

ऐसी स्थिति में श्रीमन्, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। सरकार ने इवैल्यूएशन कमेटी बना दी है। भारत सरकर ने भी एक इवैल्यूएशन कमेटी बनाई है जिसमें इन्कम में जो इनेक्वलिटीज हैं उनको देखने के लिए और एक कमेटी के० सी० दास गुप्ता की अध्यक्षता में बनी

है जिसमें टाटा, बिड़ला और डालमिया जैसों के हाथों में सारी संपत्ति रुकी है, उसको भी देखा जा रहा है। तीसरे प्लानिंग कमीशन ने अपना प्लान इवैल्यूएशन आर्गनाईजेशन स्थापित किया है जिसके द्वारा वे सारे देश की योजनाओं का इवैल्युएशन करते रहें। इसके साथ ही हमारे प्रदेश में मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में एक इवैल्युएशन बोर्ड की स्थापना हुई है जिसका कार्यक्रम यह है कि क्या-क्या कार्यक्रम हैं, उसके लिए क्या साधन चाहियें, कहां पर उसकी समीक्षा करनी होगी वे सारी चीजों का इवैल्यूएशन करेंगे और उसके बाद यदि आवश्यक होगा तो इस सदन में भी उसकी चर्चा हो सकती है कि उसने क्या-क्या कार्य किए। मैं समझता हूं कि शारदा-भक्त सिंह जी ने जो प्रस्ताव रखा है, मैं नहीं कहता कि वह गलत है, मैं मानता हूं कि उस लक्ष्य तक हम नहीं गए हैं पर योजनाओं द्वारा हम उसी रास्ते पर चले हैं। हम दस मील न जाकर चार छः मील पर जाकर अपने कदम आगे बढ़ाते जा रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप इसमें अपना सहयोग देकर इसको सफल बनायेंगे। ऐसे वक्तव्य न दें कि जो जनता के लिए अलाभित हों कि इससे सेनायें कमजोर हो जायेंगी, जनता का मनोबल गिर जायगा वगैरह-वगैरह। मैं समझता हूं कि इस तरह न हमारा लाभ होने वाला है और न आपका लाभ होने वाला है।

(इस समय ३ बज कर ४० मिनट पर, अधिष्ठाता श्री कमलासिंह यादव पुनः पीठासीन हुए।)

आप जापान को देख लें। चर्चिल ने भाषण जब हाउस आफ कामन्स में दिया था लड़ाई के जमाने में तो उसने कहा था कि यह मैं नहीं विश्वास दिलाना चाहता कि इंग्लैंड का इम्पायर जीतकर रहेगा, वह हार भी सकता है...

श्री रामसुन्दर पांडेय—

जापान ने लड़ाई के बाद कितने वर्षों में कितनी प्रगति की, यह आप बता दें।

श्री बंशीधर पांडेय—

श्रीमन्, मैं माननीय नेता संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी को बताना चाहता हूं कि आज का अमेरिका १५० साल तक वैसा ही अमरीका था। यह ३५-५० साल का अमरीका है जो आपके सामने है। भारत में जब अंग्रेज यहां से गए थे तो ३,९०० गांवों में बिजली थी, इस वक्त में कम से कम ३० हजार गांवों में बिजली है। चौथी योजना में गांधी जी के जन्म दिन तक एक लाख गांवों में बिजली पहुंचाने की योजना है। तो हर क्षेत्र में विकास का काम हुआ है। लेकिन जैसा आप कहते हैं कि जो लक्ष्य निर्धारित होता है उसमें कमी होती है। उसके बहुत से कारण होते हैं। और फिर एक बात और है। आप इस चीज को कतई अपने दिमाग में न रखें कि हम हर चीज में आत्मनिर्भर हो जायेंगे। आज तो इंटरनेशनल गवर्नमेंट की कल्पना साकार की जा रही है। आज दुनिया का कोई देश रूस और अमेरिका को छोड़ दें, हालांकि उनको भी आगे चलकर इसी पर आना पड़ेगा, आज हर आदमी और हर देश को एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ेगा क्योंकि टेक्नानलाजी ने समय और दूरी की सीमाओं को दूर कर दिया है। आज अगर बिलकुल आयरन कर्टेन होता तो मैं कह सकता था कि हम आत्म-निर्भर हर चीज में हो जायेंगे और किसी पर निर्भर हमें नहीं होना पड़ेगा। लेकिन इन्टरनेशनल...

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मंत्री जी कितना समय और लेंगे ?

श्री बंशीधर पांडेय—

तो मैं माननीय शारदाभक्त सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि अब तो सारी बातों के लिए कमेटी तीन-तीन, चार-चार बैठ गई हैं (व्यवधान)..इसलिए वह इस प्रस्ताव को वापस लें लें। सारा मंशा आपका जो इसमें निहित है उस पर सरकार विचार कर रही है।

श्री हरिनाथ तिवारी ऐडवोकेट—

प्वाइन्ट आफ रेफरेंस उस आयोग का आप बता दीजिए जो मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में बैठी है ।

श्री बंशीधर पांडेय—

वह तो इवैल्यूएशन बोर्ड है वह देखेगा फिर प्रदेश का मंत्रिमंडल जो है वह इस पर विचार करेगा ।

श्री अधिष्ठाता—

अब मैं माननीय झारखंडे राय का संशोधन रखता हूं—

प्रश्न यह है कि संकल्प का खण्ड ३ निकाल दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—

अब मैं मूल प्रस्ताव लेता हूं । प्रश्न यह है कि इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पंववर्षीय योजनायें ;

(१) अब तक राज्य के सामान्य जन के जीवन-स्तर में वृद्धि करने, आर्थिक क्षेत्र में बढ़ती हुई विषमता, बेकारी और केन्द्रीयकरण को रोकने,

(२) अभाव और महंगाई, कर और कर्जा, परावलम्बन और परानुकरण की भावना को कम करने,

(३) अधिकाधिक क्षेत्र पर राज्य के बढ़ते हुए स्वामित्व और नियंत्रण की दृष्टि से व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं प्रेरणा पर अनुकूल परिणाम डालने,

(४) व्यक्ति और समाज की आवश्यकताओं और राज्य की आन्तरिक सुरक्षा एवं सामर्थ्य की गारंटी देने में कहां तक सफल हुई है, इसकी जांच करने के लिए सरकार एक कमेटी की स्थापना करे जो कि ऐसे व्यावहारिक सुझाव भी दे जिससे कि नियोजन द्वारा राज्य के सीमित साधनों का न्यूनतमकाल में अधिकतम लाभ के लिए प्रयुक्त कर समाज की स्थायी निष्ठाओं एवं मर्यादाओं की ठीक भूमिका पर राज्य में सुख और समृद्धि का निर्माण शीघ्र किया जा सके ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

विधान मंडल सचिवालयों के वेतन-क्रमों को पुनः निर्धारित करने हेतु दोनों सदनों की संयुक्त समिति के गठन के संबंध में संकल्प

*श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपकी आज्ञा से निम्न संकल्प प्रस्तुत करता हूं—

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि सरकार ने जो वेतन अभिनवीकरण समिति नियुक्त की थी उसके द्वारा विधान सभा तथा विधान परिषद् सचिवालयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन आदि के सम्बन्ध में की गयी सिफारिश उपयुक्त और न्यायोचित नहीं है । अतः यह सदन निश्चय करता है कि उक्त दोनों सचिवालयों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतन आदि के बारे में सही निर्णय लेने के लिये एक संयुक्त समिति नियुक्त की जाय जिसमें उत्तर प्रदेश विधान मंडल के दोनों सदनों के सदस्य हों ।"

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्रीमन्, यह संकल्प प्रस्तुत करते हुए मेरा ध्यान वेतन अभिनवीकरण समिति की रिपोर्ट की ओर जा रहा है। श्रीमन्, आप जानते हैं कि इस कमेटी का निर्माण करते समय सरकार ने जो आश्वासन दिया था, उस आश्वासन की पूर्ति इस कमेटी के सुझाव के अनुसार हुई है या नहीं। इस प्रदेश के विभिन्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों में प्रदेश के विभिन्न भागों में जो बटंवारा था उसके संतुलन को इस समिति ने ठीक करने में कहां तक सफलता प्राप्त की है, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिये। हमें दुख है कि प्रादेशिक सरकार सदन को हिन्दी में उसकी रिपोर्ट न दे सकी। अगर उसने वह रिपोर्ट हिन्दी में दी होती तो इस प्रदेश के करोड़ों व्यक्तियों, जिनका परिज्ञान अंग्रेजी का नहीं है, वे उसको पढ़ कर, सही माने में वेतन समिति के दृष्टिकोण और सरकार के दृष्टिकोण को जानकर, उसका मूल्यांकन कर सकते।

श्रीमन्, वेतन अभिनवीकरण के माने हो जाते हैं, समान प्रकार और समान उत्तरदायित्व के काम करने वाले आदमियों को समान वेतन दिया जाय। अगर यह बात सही है, अगर यह परिभाषा सही है तो मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान उस रिपोर्ट की ओर ले जाऊंगा। इस रिपोर्ट से ऐसा पता चलता है कि जो अधिकारी या कर्मचारी हैं उनमें से किसी का वेतन नीचे गिरा दिया गया है और किसी का ऊंचा उठा दिया गया है, यह सारी गड़बड़ी इस वेतन समिति की रिपोर्ट में है। उस रिपोर्ट के पढ़ने से यह साफ बात मालूम होती है कि जिन-जिन अधिकारियों का उनमें हाथ था उन्होंने खास तौर से अपने कुटुम्ब का भला किया है, उस कुटुम्ब का भला नहीं देखा जो उस से अलहदा है। मैं जब इस बात को कह रहा हूं, तो इधर विधान सभा में बैठने वाले ४३१ सदस्य और विधान परिषद् में बैठने वाले १०८ सदस्य हैं, उनसे जुड़े हुए जो विधान सभा और विधान परिषद् के सचिवालय हैं, उनकी तरफ मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आपको याद होगा जब विधान सभा का १९५२ के बाद निर्माण हुआ, तब उस समय सदस्यों की संख्या क्या थी और आज विधान सभा और विधान परिषद् के सदस्यों की संख्या क्या है। जब हम उन संख्याओं की गणना करते हैं तो हमें उसका अन्तर मालूम पड़ता है। जितना बड़ा सदस्यों की संख्या में अंतर हुआ है उतना बड़ा अंतर विधान परिषद् और विधान सभा के कर्मचारियों और अधिकारियों में नहीं हुआ है यह मानी हुई बात है। विधान सभा और विधान परिषद् में जो काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारी हैं उनका उत्तरदायित्व वास्तव में सन् ५२ से बहुत ज्यादा बढ़ गया है। उस समय से काम करने का भार उनके ऊपर बढ़ा है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उसी दृष्टिकोण से, उसी अनुपात में उनके वेतन और भत्ते में बढ़ोत्तरी हुई है, उसमें भी बढ़ोत्तरी होनी चाहिये थी।

श्रीमन्, एक मानी हुई बात है कि विधान मंडल सचिवालय और सरकारी सचिवालय के कामों में विशेष अंतर नहीं है और उसे मैं आगे चल कर सुनाऊंगा। माननीय खेर साहब ने १९५२ में जब प्राक्कलन समिति पहले पहल बनी और विभिन्न अन्य विद्वानों ने विधान सभा सचिवालय के संबंध में, सहायक सचिव के संबंध में, समिति अधिकारी के संबंध में तथा रिपोर्टरों के संबंध में विभिन्न प्रकार की जो रायें दी हैं, उनके गुरुतर भार की जो प्रशंसा की है उसको तो मैं आगे निवेदन करूंगा, लेकिन मैं छोटी-सी बात कहना चाहता हूं कि विधान मंडल सचिवालय का गठन संविधान के अनुच्छेद १८७ के अनुसार होता है। हमें बड़ी तकलीफ होती है, इस अनुच्छेद को जब मैंने पढ़ा और पढ़ने के बाद यह जानने की कोशिश की कि क्या इस अनुच्छेद के मुताबिक इस वेतन अभिनवीकरण समिति ने कोई कार्यवाही की है, तो मालुम हुआ कि वेतन अभिनवीकरण समिति ने इस अनुच्छेद के मुताबिक कोई कार्यवाही नहीं की। यह अनुच्छेद साफ कहता है कि राज्य के विधान मंडल के सदन या प्रत्येक सदन का पृथक् साचविक कर्मचारी वृन्द होगा :

परन्तु विधान परिषद् वाले राज्य के विधान मंडल के बारे में इस खण्ड की किसी बात का यह अर्थ नहीं किया जायेगा कि वह ऐसे विधान मंडल के दोनों सदनों के लिये सम्मिलित पदों के सृजन को रोकती है।

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

(२) राज्य का विधान मंडल विधि द्वारा राज्य के विधान मंडल के सदन या सदनों के साचविक कर्मचारी वृन्द में भर्ती का तथा नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का, विनियमन कर सकेगा ।

सारी शक्ति मिली हुई है । मैं जानना चाहता हूं कि विधान सभा सचिवालय के सबसे बड़े अधिकारी माननीय अध्यक्ष जी हैं, तो क्या वेतन अभिनवीकरण समिति ने माननीय अध्यक्ष से कुछ जानकारी हासिल की ? हमने माननीय अध्यक्ष जी से पूछा था कि क्या वेतन अभिनवीकरण समिति ने विधान सभा सचिवालय के संबंध में आपसे कोई जानकारी हासिल की, आपका बयान लिया और कोई पूछताछ की ? तो उनका उत्तर मिला कि हमसे कोई पूछताछ नहीं हुई है । मैं जानना चाहता हूं कि फिर वेतन अभिनवीकरण समिति ने किस आधार पर, किस विवेक से और इस संविधान का उल्लंघन करने के बाद कौन-सा रास्ता अपनाया है जिससे विधान सभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों पर सचिवालय के काम का सही माने में जो गुरुतर भार सौंपा गया है कि सरकार और जनता के नुमाइन्दों के बीच सामञ्जस्य स्थापित करने का जो कार्य वे करते हैं उसको अच्छी तरह से वे निभा सकें ? मैंने माननीय अध्यक्ष से पूछताछ की और मैंने पता भी लगाया, जिस दिन माननीय उप मंत्री वित्त ने एक सवाल के उत्तर में कहा था—मैंने पता लगाया कि क्या विधान मंडल सचिवालय ने वेतन अभिनवीकरण समिति के सामने कोई स्मरण-पत्र दिया था या नहीं दिया था ? मुझे बतलाया गया कि मेमोरेंडम दिया गया था । मेमोरेंडम जब दिया गया था तो उसके अनुसार वेतन अभिनवीकरण समिति को चाहिये था कि वह विधान मंडल के सचिव, विधान सभा सचिव या किसी भी अधिकारी को बुला कर उनसे बयान लेती, उनसे साक्ष्य ग्रहण करती और उसके बाद कोई निर्णय देती, तब तो बात समझ में आती । लेकिन वेतन अभिनवीकरण समिति ने विधान मंडल सचिवालय की बिलकुल उपेक्षा की है और उनके सही कदम का कहीं कोई खयाल नहीं किया है । इस से मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इस तरह की गड़बड़ी सिर्फ इसलिये की गयी है कि विधान सभा सचिवालय के स्तर को नीचा किया जाय और सरकारी सचिवालय के स्तर को ऊपर किया जाय । मैं इसको कहने में संकोच नहीं करता कि वेतन अभिनवीकरण समिति ने विधान सभा सचिवालय के स्तर को गिराने के लिये, यहां के अधिकारियों व कर्मचारियों के मनोबल को नीचा करने के लिये, विधान मंडल के कर्मचारियों पर जो गुरुतर भार यहां का सौंपा गया है, उसको कम करने के लिये सरकारी सचिवालय और विधान मंडल सचिवालय के कर्मचारियों के वेतन क्रम में इतनी अधिक असमानता कर दी है ।

श्रीमन, सारे प्रदेश की बातों को कहने के पहले मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं । मेरे प्रदेश की विधान सभा सचिवालय के जो सचिव और विधान मंडल के जो सचिव हैं, यह मानी हुई बात है कि उनका स्थान काफी ऊंचा है । हमारे सामने सारे प्रदेशों की एक तालिका है । उससे मालूम होता है कि विधान सभा के सचिव सरकारी सचिवालय के डिप्टी सेक्रेटरी के बराबर होता है और विधान मंडल का जो सचिव है उसका पद वहां के सचिव के बराबर होता है ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

मिश्र जी और नवलकिशोर जी, जरा बैठ जायं, बातचीत न करें ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

तो जितना वेतन-क्रम विधान मंडल के सचिव का होना चाहिये उतना ही वेतन-क्रम सरकारी सचिवालय के सचिव का होना चाहिये और जो विधान सभा के सचिव हैं उनका वेतन-क्रम भी सरकारी सचिवालय के सचिव के बराबर होना चाहिये और इनमें कोई अन्तर नहीं

होना चाहिये। मैं आपके सम्मुख तालिका पेश कर सकता हूं कि इस देश के अन्य सूबों में क्या है, इस तालिका को देखने से ऐसा मालुम होता है कि केवल सारे देश में यह असमानता का व्यवहार यहीं पर है और सूबों में ऐसा नहीं है। गुजरात से जो एक छोटा-सा प्रदेश है, एक तालिका आई है उसे मैं आपके सामने पेश करूंगा। वहां पर विधान सभा सचिव का वेतन क्रम सन् ६४–६५ में १,२०० से १,८०० रुपये तक है, आंध्र में १,४०० से १,८०० तक है, महाराष्ट्र में १,१०० से १,५०० तक है। लोक सभा में भी १,८०० से ऊपर तक का है। यह सचिव विधान सभा हैं और एक दो सहायक सचिव हैं उनकी यह तुलना है। जबकि आप इस पर भी ध्यान दें कि हमारे सदन से गुजरात में कम सदस्य हैं, आंध्र में कम सदस्य हैं, महाराष्ट्र में कम सदस्य हैं और हमारे यहां सब से अधिक सदस्य हैं। आप देखें कि कम सदस्यों के सदनों का जो सचिवालय है, जहां कम परिश्रम करना पड़ता है स्टाफ को वहां स्केल कम मिले, वहां विधान सभा के सचिव १,८०० रुपया पावें और यहां कम दिया जाय। हमारे यहां सन् ५२ के बाद जब ४३१ सदस्यों का यह सदन हो गया तो जो नवीन वेतन क्रम हुए, माननीय कृष्णानन्द राय जी जरा गौर करें, हंसी आती है, वह देखें कि १९४७ के बाद जो मौजूदा वेतन क्रम यहां के सचिव का है वह ९०० से १,२०० तक है। लेकिन वेतन अभिनवीकरण समिति की आप रिपोर्ट देखें तो उनकी बुद्धि पर हंसी आती है कि उसने ६०० से १,२०० तक इस स्केल को कर दिया है। अब तक ९५० से शुरू होता था, लेकिन नई भरती के लिये अब ६०० का स्टार्ट किया गया है। यह है रिपोर्ट वेतन अभिनवीकरण समिति की, ६०० रुपए में कौन योग्य सचिव मिलेगा विधान सभा के सचिवालय के लिये ? यह एक जिम्मेदारी का पद है।

यह हमारे सामने रिपोर्टर लोग बैठे हैं, इनकी दुर्दशा जो अभिनवीकरण समिति ने की है उसको देख कर तो हंसी आती है, इससे ज्यादा दुर्दशा और क्या हो सकती है ? बारी-बारी से आगे मैं सबके बारे में बताऊंगा कि क्या गोरखधन्धा वेतन समिति ने बनाया है। समिति अधिकारी के संबंध में भी सब से खराब रिपोर्ट वेतन समिति ने दी है। अभी तक का समिति अधिकारी का वेतन-क्रम ४७५ से ७७५ तक था जिसमें १०० रुपया अतिरिक्त भत्ता मिलता था। कमेटी की जो रिपोर्ट है उसमें समिति अधिकारी का वेतन ५१५–७१५ तक दिया गया है अर्थात् उन्हें ६० रुपया कम मिलेगा। अब श्रीमन्, इस समिति अधिकारी के काम को भी आप देखें। उत्तर प्रदेश का समिति अधिकारी १८ कमेटियों का संचालन करता है। प्राक्कलन समिति जो बहुत ही महत्वपूर्ण समिति है उसका सारा उत्तरदायित्व उनके जिम्मे है। प्राक्कलन समिति की कार्यवाही देखने से माननीय मंत्री जी को ज्ञात होगा कि अपने प्रदेश के, सारे प्रदेशों के और पार्लियामेन्ट के बजटों का अध्ययन करना और साल भर में कम से कम १५ रिपोर्टों को हमारे विधान सभा के समिति अधिकारी को तैयार करना पड़ता है। इतना बड़ा भार वहन करने वाले समिति अधिकारी को आपकी अभिनवीकरण वेतन समिति ने वेतन के मामले में जो उन्हें मिलता है उससे भी पीछे ढकेल दिया है। आप जरा सोचें जो समिति अधिकारी इतना भार वहन करेगा और संजीदगी और मेहनत से काम करेगा यदि उसके वेतन को आप कम करेंगे, यह मानी हुई बात है कि उस पद के लिये आपको कोई अच्छा आदमी, विद्वान् आदमी और समझदार आदमी नहीं मिल पायेगा। अतः मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसे आप देखें और यह जो हमारा प्रस्ताव है उसे अमल में लायें और एक समिति आप मुकर्रर करें जो विधान मंडल के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन आदि के बारे में गम्भीरतापूर्वक विचार करे। (माननीय वित्त उपमंत्री जी की ओर इशारा करते हुए) आप ही इस समिति के सभापति रहें, लेकिन जो असंतोष बिखरा हुआ है, जो बढ़ रहा है वह बढ़ने न पाये।

अधीक्षक का जहां तक सवाल है, अधीक्षक ५ साल रहने के बाद ही समिति अधिकारी होता है और इसका वेतन-क्रम जब ७१५ तक पहुंच जायगा इस वक्त जो अधीक्षक हैं वे ७१५

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

पर पहुंच गये और समिति अधिकारी की जगह खाली हो गयी तो उसे वहां पर भी अगर वह उस पद पर नियुक्ति हो जायं ७१५ का अंतिम वेतन मिलेगा तो ऐसी परिस्थिति में उसे क्या जरूरत है, कि वह समिति अधिकारी के पद पर जाना क्यों पसन्द करेगा जहां उसको इतना अधिक कार्य भार वहन करना पड़ेगा ? समिति अधिकारी का पद और कहीं तो नहीं है पर लोक सभा में कमेटी आफिसर अवश्य है जिसका वेतन क्रम १६–७–३४ तक ८५० रु० तक रहा और १६–७–३४ से अब तक वह ८५० रु० से है। लोक सभा के समिति अधिकारी से हमारे यहां के समिति अधिकारी का पद कम महत्वपूर्ण नहीं है । इसलिए सारी बातों की विवेचना करने के बाद हमारे यहां के समिति अधिकारी का जो वेतन-क्रम अभिनवीकरण समिति ने निर्धारित किया है वह पक्षपातपूर्ण है । क्या उस वेतन-क्रम में कोई अच्छा और सुयोग्य व्यक्ति इस पद पर आ सकता है ? अतः बहुत सोच समझ कर इस पद के वेतन-क्रम को निर्धारित किया जाना चाहिए ।

विधान सभा के सेक्रेटरी की बात कही गयी । यह बात सही है कि कुछ लोग मेरे ऊपर आक्षेप करेंगे कि तुम तो एक समाजवादी विचार धारा के व्यक्ति हो और तुमने स्वयं यह कहा है कि १,००० रु० से अधिक तनख्वाह नहीं होनी चाहिए, लेकिन १०० रुपये से कम भी तनख्वाह नहीं देनी चाहिए । यह मैं जानता हूं कि आज के जमाने में यह सरकार हमारे इस मत को सुनने को तैयार नहीं है । अगर यह सरकार हमारे इस सुझाव को मानें कि सरकारी सचिवालय में जो इतनी लम्बी तनख्वाहें पाते हैं उनको कम कर दिया जाय तो मैं विधान सभा के अधिकारियों को मना लूंगा कि तुम वही तनख्वाह लो जो वहां के सचिव लेते हैं । लेकिन सरकार उनकी तनख्वाह कम नहीं करना चाहती है और विधान सभा के अधिकारियों और कर्मचारियों की तनख्वाह कम करे, इसलिये मजबूर होकर मुझको इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करना पड़ रहा है। विधान मंडल के जो सचिव हैं और सरकारी सचिवालय के सचिव में तनख्वाह में कोई ज्यादा अन्तर नहीं है । अधिक केवल एक फर्क रह गया है । विधान मंडल के सचिव को जो ३०० रुपया अधिक दिये जाते थे उनको आपने किसी वजह से काट दिया है । तो साफ है कि जब आप दे रहे थे और उनके समकक्ष अधिकारियों को अब भी दे रहे हैं तो फिर उन्हीं के ऊपर आपकी कुदृष्टि क्यों है ? हां, अगर विशेष वेतन जो सचिवालय के सचिव को दिया जाता है उनका काट दिया जाय तो इनका भी काट दिया जाय, लेकिन अगर उनको दिया जाता है तो इनके ऊपर भी आपकी शनि दृष्टि नहीं होनी चाहिए ।

आप देखेंगे कि वेतन समिति ने क्या किया । कृष्णानन्द जी, यहां जो रिपोर्टर हैं और सरकारी सचिवालय का जो स्टेनोग्राफर है दोनों का इम्तहान लोक सेवा आयोग से होता है । और जरा सुनिये कि सरकारी सचिवालय का सीनियर स्टेनोग्राफर क्या पाता है और हमारे यहां जिनको रिपोर्टर कहा जाता है इन दोनों की परीक्षा किस गति से होती है । जो सरकारी सचिवालय में स्टेनोग्राफर हैं उसकी हिन्दी में ८० शब्द एक मिनट में और अंग्रेजी में १०० शब्द एक मिनट की गति से परीक्षा होती है और यहां का जो रिपोर्टर है उसकी हिन्दी में १४० शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी में १२० शब्द प्रति मिनट की गति से परीक्षा होती है । तो इस प्रकार उनको डेढ़ गुना गति अधिक से परीक्षा पास करनी हो और वेतन क्या हो ? वेतन सुनने पर, श्रीमन्, आश्चर्य होता है, तकलीफ होती है और इसी वेतन समिति की रिपोर्ट पर माननीय वित्त मंत्री जी विधान सभा सचिवालय का काम सुन्दर ढंग से चलाना चाहते हैं ? सरकारी सचिवालय के स्टेनोग्राफर का पुराना वेतन-क्रम १६०–४०० रु० रहा है और असेम्बली के रिपोर्टर का वेतन-क्रम २००–५०० रहा है । इस वेतन समिति की जो रिपोर्ट है जिसमें उसने वेतन-क्रम को बढ़ाने की सिफारिश की है, उसके अनुसार सरकारी सचिवालय के स्टेनो का सीनियर वेतन-क्रम ३५०–५५० रु० होगा और असेम्बली के रिपोर्टर का वेतन-क्रम २५० –५५० रु० होगा । यानी शुरू में १०० रुपये

कम और आखिर में बराबर, जब कि पहले यह आखिर में १०० रुपये ज्यादा था। आखिर ऐसा क्यों? असेम्बली रिपोर्टर को शार्टहैन्ड में गति ज्यादा हो, काम ज्यादा करे, योग्यता ज्यादा हो और वेतन कम हो।

इसके अलावा श्रीमन्, तरक्की उनकी कहीं नहीं है। ये रिपोर्टर के अलावा और कुछ होने वाले नहीं हैं और सरकारी सचिवालय के स्टेनोग्राफर की जरा पूछिये। वहां वह सुपरिन्टेन्डेन्ट स्टेनोज, पी० ए० टु मिनिस्टर्स, सहायक सचिव तथा अनुसचिव के पद पर विराजमान हैं और इसके अतिरिक्त अगर वह किसी कमेटी अथवा कान्फ्रेन्स में काम करेगा तो उसको ३ रुपये प्रति घंटा के हिसाब से अतिरिक्त भत्ता मिलेगा, और उनको क्या मिलता है? यह हालत आपकी है और जब माननीय वर्मा जी और राममूर्ति जैसे आदमी स्पीच दें और तेज स्पीच दें और रिपोर्टर बैठ कर लिखें और अच्छी लिखें तो उसकी तनख्वाह कम और वे जो लोग स्टेनोग्राफर हैं उनकी तनख्वाह ज्यादा है। जितना चाहें उनको बढ़ाया जाय उनके लिये कोई रोक नहीं है लेकिन इनके लिये रोक है। माननीय राममूर्ति जी, आप बता दीजिये कि वेतन समिति का जो निर्णय है वह इनके लिये क्या है? वह इनके लिये अभिशाप है, अभिशाप है।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय पाण्डेय जी, आप कितना समय और लेंगे?

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

अभी तो श्रीमन्, हमें काफी कहना है। यदि आप कहें तो हम बैठ जायं। मैं यह कह रहा था कि लोक सेवा आयोग ने इस गवर्नमेन्ट से कहा है जो रिपोर्टर विधान सभा के लिये होने चाहिये उस प्रकार के रिपोर्टर नहीं मिल रहे हैं और जब रिपोर्टर नहीं मिलेंगे तो जो इस सदन का बढ़िया काम है वह खत्म हो जायगा। जो नये लोग उस तरह के आयेंगे वे काम नहीं कर सकेंगे। लोक सेवा आयोग क्या करेगा? सचिवालय का सीनियर स्टेनोग्राफर इनसे ज्यादा तनख्वाह पायेगा और उसको आगे तरक्की के साधन भी मिलेंगे तो फिर वह रिपोर्टर क्यों बनेगा? लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ने रिपोर्ट की है कि रिपोर्टरों का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण और कष्टसाध्य है। विधान सभा का काम ११ बजे से प्रारम्भ होता है और रात के १२–१२ और २–२ बजे तक हम लोग बैठते हैं। फिर वह रिपोर्टर जो घर से १० बजे आता है वह रात के २ बजे तक हमारे साथ रहे और श्रीमन्, उसी दिन या दूसरे दिन सारी रिपोर्ट भेजे और मान्यवर, २४ घंटे उससे काम लें और शाम को उसे कुछ न मिले। वही हाल है दिन भर मांगे तो पाव भर, घंटे भर मांगे तो पाव भर। इस तरह से रिपोर्टर के साथ ज्यादती है या नहीं? माननीय वर्मा जी स्वीकार कर रहे हैं कि ज्यादती है और जब ज्यादती है तो हमें भरोसा है और विश्वास है कि इन गरीबों की तरफ वह जरूर ध्यान देंगे।

श्रीमन्, इसी प्रकार पुस्तकालय का मामला है। इस विधान सभा के अधिकांश सदस्य वहां जाते हैं। इसके अलावा एक और लाइब्रेरी है जिसका नाम है मेडिकल ऐन्ड पब्लिक हेल्थ। यह बहुत छोटी-सी लाइब्रेरी है। हमारी लाइब्रेरी के सामने वह बच्चा है। इसमें जो कैटालागर हैं उनका वेतन-क्रम समिति ने १५०–३५० रखा है और इस समय उनका ८० रुपये है और यहां बेचारे क्या पाते हैं? इस वक्त १००–२००। जो सिफारिश है वह १२०–२५० तक। राममूर्ति जी, जरा गौर फरमाएं कि कितनी छोटी-सी लाइब्रेरी उसमें ८० रुपये के कटालागर के लिए सिफारिश है १५०–३५० तक और विधान सभा की लाइब्रेरी के कैटालागर के लिए १२०–२५०। ३० रुपया शुरू में कम और १०० अन्त में कम। तो ज्यादती है या नहीं? हम लोग ९ बजे आते हैं, हम लोग जाकर या अपने चपरासियों से किताबें मंगाने लगते हैं। ९ बजे से वह लगे रहते हैं और जब तक विधान सभा बन्द न हो तब तक चलते

[श्री राजसुन्दर पांडेय]

रहते हैं। इतना परिश्रम करने के बाद यह तनख्वाह। यह मेरे खयाल से ज्यादती है। जरा काम को देख कर मजूरी देनी चाहिए। आपने निर्णय लिया, संविधान आपने बना रखा है कि समान काम के लिए, समान योग्यता रखने वालों को समान मजूरी देंगे। यह तो उल्टा हो गया। जो कम काम करे, कम योग्यता वाला हो, उसको ज्यादा मजूरी, जो ज्यादा काम करे, ज्यादा योग्यता वाला हो उसको कम मजूरी। यह तो वही कहावत हुई कि "अंधेर नगरी चौपट राजा, टका सेर भाजी, टका सेर खाजा"। राममूर्ति जी के राज्य में यही हो रहा है। विधान सभा के सम्बन्ध में रिपोर्ट पढ़ लीजिये सही मानों में यह घटित होता है। इसी प्रकार पुस्तकालय में दो एक छोटे-छोटे कर्मचारी हैं। पुस्तकालय के दफ्तरी हैं, साक्षर दफ्तरी हैं, बिना पढ़े-लिखे दफ्तरी हैं। उनके वेतन-क्रम का मुकाबला किया गया है मेडिकल ऐंड हेल्थ लाइब्रेरी से। दोनों में कोई फर्क नहीं है। मैं चाहूंगा आपसे कि उधर खयाल कीजिये। ४०/६५/९० यह उनका वेतन-क्रम है। आप बता दीजिये हम लोग असेम्बली के मेम्बर हैं, हमने अपने रोजाना भत्ते को दस से पन्द्रह कर लिया, और तनख्वाह दो सौ से तीन सौ कर लिया और यह बेचारे छोटे-छोटे दफ्तरी, इनको मिलें ६०, ६५ और ८० रुपये इस महंगाई के जमाने में, विकास के युग में। आप समाजवाद कैसा बनाना चाहते हैं। सब लोगों को आगे बढ़ने के लिए समान अवसर देना चाहते हों तो खयाल करके मजूरी देनी पड़ेगी। क्या इससे उनका और उनके बच्चों का पालन हो सकेगा, क्या हमारे बच्चों की तरह उनके बच्चों को पढ़ने-लिखने का साधन मिल सकेगा? बदकिस्मती यह है कि आपके विचार को हम खींच नहीं पाते हैं।

श्रीमन्, इसी प्रकार आप देखें कि हमारे विधान सभा सचिवालय में इस वक्त दो सहायक सचिव हैं। एक सहायक सचिव बैठ कर आपके खजाने का जो पैसा आता जाता है उसको देखते हैं। एक सहायक सचिव जितने हम सवाल भेजते हैं उनको देखते हैं। जो सहायक सचिव खजाने का काम देखते हैं, उनके नीचे दो चपरासी काम करते हैं, उनकी दशा क्या है? उत्तर प्रदेश विधान सभा का बजट शायद ३० लाख रुपये का है। और इसको खर्च करने का सारा काम सहायक सचिव के जिम्मे और उसके अधीनस्थ खजांची के जिम्मे है। श्रीमन्, २० लाख रुपया खजांची के जिम्मे इस सचिवालय में बांटने के लिये है सालाना। तो अधिष्ठाता महोदय, आप सोच सकते हैं कि कितना जोखिम का काम है और कितना जोखिम उठाकर उनको इस काम को निभाना पड़ता है। उनका वेतन-क्रम क्या है? सरकारी सचिवालय के जो सहायक सचिव हैं वही वेतन-क्रम हमारे विधान सभा सचिवालय के सहायक सचिव का भी होना चाहिये था। लेकिन वेतन समिति ने पक्षपात किया है और पक्षपात करके यह चाहा है कि विधान सभा सचिवालय का जो सहायक सचिव है, उसको कम वेतन मिले जिससे दोनों सचिवालयों के सहायक सचिवों में अन्तर बना रहे और यह फर्क बढ़े। इसको देखें हमारे यहां अब तक वेतन क्रम क्या रहा है, ४७५ से ८२५। इस वक्त ८२५ रुपया सहायक सचिव को मिलता है और संशोधित वेतन क्रम में क्या है? ७०० से ८५० है। और श्रीमन् सरकारी सचिवालय का ८०० से ९५० है। तो इस तरह से यह सहायक सचिवों के पद में १०० रुपये का साफ अन्तर है। इससे साफ है कि जिस सहायक सचिव को साल में कम से कम ३० हजार प्रश्नों को देखना होता है साल भर में, आश्वासन समिति का भार जिसके ऊपर इतना बड़ा है, प्रदेश के सारे अधिकारियों से और सचिवों से सम्पर्क स्थापित करना पड़ता है, उत्तरों को देखना पड़ता है और इसके बाद समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना, इतना तो भारी उत्तरदायित्वपूर्ण काम है और वेतन सामान्य सचिवालय के सहायक सचिवों से १०० रुपया कम है। यह उनके साथ ज्यादती है। खेर साहब ने भी इस बारे में गवर्नमेंट को एक चिट्ठी लिखी थी कि सहायक सचिव का पद हमारे यहां बड़ा दुखतर है और उनका वेतन बढ़ाया जाना चाहिये। १९५२ में प्राक्कलन समिति बैठी उसने भी रिपोर्ट दी है कि सहायक सचिव का कार्य बड़ा गुरुतर है इसलिये उनका वेतन बढ़ना चाहिये। लेकिन मैं समझता हूं कि वेतन समिति ने माननीय खेर साहब की रिपोर्ट को नहीं देखा और प्राक्कलन समिति की भावना को भी नहीं देखा, जो मेमोरेन्डम यहां से गया था उसको भी नहीं देखा और अपने मन से सहायक सचिव

का वेतन-क्रम सामान्य सचिवालय के सहायक सचिव से कम कर दिया। नतीजा श्रीमन्, क्या होगा? सहायक सचिव काम अच्छा नहीं करेगा और कोई दूसरा व्यक्ति उसका काम करने जाएगा नहीं।

श्रीमन् अब अधीक्षक के बारे में सुन लीजिये। इस वक्त वेतन ७१५ है और वेतन समिति की रिपोर्ट के बाद भी यही पाएंगे। ५ वर्ष बाद अधीक्षक यही रुपया ७१५ पाएंगे तो उन्हें क्या गर्ज पड़ी है कि वह समिति अधिकारी होना चाहेंगे जबकि उनको वहां भी इतना वेतन मिलेगा जो यहां पर अधिकतम मिल रहा है। पार्लियामेंट में अधीक्षक का वेतन-क्रम ८०० रु० है और आपके यहां इतना कम। तो इसलिये अधीक्षक जब ५ साल अच्छा काम कर लेगा ७१५ रुपया वेतन पा जाये तो समिति अधिकारी होगा। तो जो इस समय वर्तमान अधीक्षक है या दूसरा कोई आये वह नहीं चाहेगा कि वह समिति अधिकारी का काम करे। और प्रदेशों में भी देखते हैं जो कम आमदनी वाले प्रदेश हैं . . . . .

श्री अधिष्ठाता—

अब आप जल्दी समाप्त कर दें।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

तो मैं चाहता था कि उन सारे कामों को आप देखें और विधान मंडल के सचिव, सहायक सचिव, समिति अधिकारी, अधीक्षक, रिपोर्टर्स को देखें तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि इनका वेतन-क्रम अवश्य कम है और यह माननीय सदन की गरिमा को देखते हुये अवश्य बढ़ाया जाना चाहिये। किसी भी हालत में लोक सभा के समिति अधिकारी से यहां के समिति अधिकारी पर काम कम नहीं है, इसलिये इसका भी वेतन क्रम उसके बराबर होना चाहिये। इसी तरह से पुस्तकाध्यक्ष, माननीय अध्यक्ष के पी० ए०, मार्शल और जो खजाने में काम करने वाले चपरासी हैं सभी का वेतन-क्रम कम है जिस पर विचार किया जाना आवश्यक है। खजाने में काम करने वाले चपरासी को शायद ५० रुपया जमानत भी देनी पड़ती है।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप अपनी बात समाप्त कर दें।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

इसलिये मैं कहूंगा कि यह मेरा जो संकल्प है उसे सरकार को इसलिये भी मंजूर कर लेना चाहिये जिससे इस सचिवालय के लोग निष्पक्ष रूप से कार्य करते रहें। मैं इन पर दोषारोपण नहीं करता और मैं यह बात मानता भी नहीं। यह सचिवालय दोनों ही पक्षों, सरकारी पक्ष और विरोधी पक्ष के बीच सामंजस्य स्थापित करता है और बीच में ऐसा निष्पक्षता का वातावरण उपस्थित करता है जिसमें सही माने में लोकतंत्र और प्रजातंत्र पनपे और अगर लोकतंत्र और प्रजातंत्र को पनपाना है तो इस सचिवालय को निष्पक्ष रखने के लिये आवश्यक है कि हमने जो संकल्प रखा है उसे माननीय वित्त मंत्री जी को स्वीकार कर लेना चाहिये जिससे यह विभेद समाप्त हो और लोगों में कार्य करने में उत्साह हो और काम में अधिकाधिक निष्पक्षता आवे।

श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय रामसुन्दर जी पांडेय द्वारा प्रस्तुत संकल्प में निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत करता हूं:—

संकल्प की पंक्ति ५ तथा ६ से "वेतन आदि के बारे में सही निर्णय लेने के लिये" निकाल दिया जाय तथा उसके स्थान पर अधोलिखित रख दिया जाय :—

"वेतन, उपलब्धियां, सेवा की शर्तें तथा नियुक्तियों की विधि के सम्बन्ध में अभिनवीकरण करने के लिये"

[श्री जगन्नाथ राव]

इस प्रकार प्रस्ताव संशोधित रूप में इस प्रकार हो जायगा :—

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि सरकार ने जो वेतन अभिनवीकरण समिति नियुक्त की थी उसके द्वारा विधान सभा तथा विधान परिषद् सचिवालयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन आदि के सम्बन्ध में की गयी सिफारिश उपयुक्त और न्यायोचित नहीं है। अतः यह सदन निश्चय करता है कि उक्त दोनों सचिवालयों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतन, उपलब्धियों, सेवा की शर्तें तथा नियुक्तियों की विधि के सम्बन्ध में अभिनवीकरण करने के लिये एक संयुक्त समिति नियुक्त की जाय जिसमें उत्तर प्रदेश विधान मंडल के दोनों सदनों के सदस्य हों।"

मैंने वेतन अभिनवीकरण समिति की रिपोर्ट को जो अभी अंग्रेजी में है देखने का प्रयत्न किया। लेकिन जिस विषय पर हमने संकल्प में संशोधन प्रस्तुत किया है मुझे ऐसा लगता है कि इस सचिवालय के कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ तथा अन्य सभी प्रकार के कर्मचारियों के साथ न्याय नहीं हुआ है। जब मैं यह कहता हूं तो उसके पीछे मेरा तर्क यह है कि जब हमने यह निश्चय किया है कि समान काम के लिये समान वेतन दिया जाय तो हमारे इस सचिवालय के जो कर्मचारी हैं और विधान परिषद् के जो कर्मचारी हैं इनके साथ जो व्यवहार हुआ है, वह अनुचित है। आप जानते हैं कि इस सरकार के तीन प्रमुख अंग हैं—कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। यह जो हमारे विधान मंडल के सचिवालय के कर्मचारी हैं, व्यवस्थापिका के कर्मचारी हैं और अन्य जो सचिवालय के लोग हैं वे कार्यपालिका के लोग हैं। तो इस प्रकार से इस रूप में व्यवस्थापिका के सेवकों की महत्ता अधिक है।

मैं सबसे पहले यह बतलाना चाहता हूं कि वेतन अभिनवीकरण समिति के कारण जो सबसे अधिक प्रभावित हुये हैं और जिनके साथ सबसे अधिक अन्याय हुआ है, उनमें सर्वप्रथम मैं समिति अधिकारी के नाम का उल्लेख करता हूं। यह जो हमारी प्राक्कलन समिति है यह बड़ी महत्वपूर्ण समिति है और इस समिति का कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। सारे वर्ष में करदाताओं से जो धन प्राप्त होता है वह ठीक प्रकार से व्यय होता है या नहीं, बजट को सम्यक तरीके से देखना, उन समितियों की बैठक में उपस्थित होना और वहां उपस्थित होकर सारे प्रश्नों को तैयार करना, प्रश्नों के उत्तर देना, इत्यादि कार्य करने होते हैं। यहां कम से कम सदन की १० समिति हैं जिनका संचालन हमारे समिति अधिकारी के हाथ में रहता है। इनका कार्य बहुत महत्वपूर्ण है और इनका उत्तरदायित्व भी बहुत है। इस प्राक्कलन समिति में जब मुझे बैठने का अवसर मिला तो मैंने देखा है कि यह जो समिति अधिकारी हैं ये अधिक से अधिक परिश्रम करके हमको सहयोग देने का प्रयत्न करते हैं। अगर इनके वेतन पर विचार किया जाय तो इनको वेतन ४७५ से ६७५ और १०० रुपया विशेष वेतन दिया जाता था, लेकिन अब उसको ५१५ से ७१५ कर दिया गया है।

इनको १०० रुपया जो विशेष वेतन मिलता था उसको बन्द कर दिया गया है। इनकी नियुक्ति के विषय में यदि विचार किया जाय तो मालूम होगा कि समिति अधिकारी इस वेतन को ५ साल में पूरा कर लेता है। यदि उसका कार्य सन्तोषजनक रहता है तो राज्यपाल महोदय उसकी नियुक्ति इस पद पर करते हैं। अब इनके वेतन में और अधीक्षक के वेतन में कोई अन्तर नहीं रखा गया है। यदि इसी प्रकार से व्यवहार इन दोनों पदों के साथ रहा तो कोई भी व्यक्ति अधिक परिश्रम करके यह नहीं चाहेगा कि वह समिति अधिकारी हो। उसको इस बात की आशा रहती है और विश्वास रहता है कि यदि वह अच्छा काम करेगा तो उसको समिति अधिकारी बना दिया जायगा। वहां पर उसका सम्मान भी अधिक है और गौरव भी अधिक है और साथ ही साथ वेतन भी अधिक है। अब जब उसको यह मालूम रहेगा कि अधीक्षक के बराबर ही समिति अधिकारी होने पर उसको वेतन मिलेगा तो उसका उत्साह कम हो जायगा और उसको प्रेरणा भी नहीं रह जायगी। इसी प्रकार से मैं समझता हूं कि प्राक्कलन समिति के और अन्य समितियों के कार्य में उसको जो उत्साह आना चाहिये था वह नहीं होगा। इसलिये मैं माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे

इस पर विचार करें और विचार करके इनके साथ जो अन्याय हुआ है उसको दूर करने का प्रयत्न करें। इसीलिये मैंने यह संशोधन संकल्प में प्रस्तुत किया है ताकि दोनों सदनों की एक समिति नियुक्त हो जाय और वह देखें कि किस के साथ अन्याय हुआ है और फिर जब वह अपना निर्णय दे तो उसके अनुसार कार्य हो। मैं विशेष बल समिति अधिकारी की तरफ इसलिये भी देना चाहता हूं कि आचार्य जुगुलकिशोर जी के समय में इस तरह की सिफारिश की गयी थी कि उनका कार्य बहुत महत्वपूर्ण है, जिम्मेदारी का है और इस कारण उनका वेतन क्रम अच्छा होना चाहिये। उनके समान वेतन क्रम के एक सहायक सचिव लोक सेवा आयोग में हैं जनका वेतन क्रम ७००–८५० है। मैं समझता हूं कि यहां के समिति अधिकारी का वेतन-क्रम भी वही किया जाय ताकि सदन के समान ही कार्य करने वाली प्राक्कलन समिति के कार्य में एफीशियेन्सी बढ़े।

इसी प्रकार अन्य सचिव हैं। हमारे यहां विधान सभा सचिव हैं जिनका वेतन इस समिति के सिफारिश के अनुसार ९०० रुपये से होगा जबकि उनके समान ही कार्य करने वाले सचिवालय के सचिवों को १,१०० रुपये से १,२५० तक का वेतन मंजूर किया जा रहा है। यह बड़े दुख की बात है कि हमारे विधान सभा के सचिव महोदय का वेतन जो इतना परिश्रम करते हैं, इतना न्यून रखा गया है। यह अन्याय है और मैं चाहूंगा कि इस पर पुनर्विचार किया जाय। इसी प्रकार सहायक सचिव हैं उनका वेतन-क्रम ७००–८५० रखा गया है जबकि सचिवालय के सहायक सचिव का वेतन-क्रम ८००–९५० है।

इसी प्रकार अन्य कर्मचारी हैं हमारे विधान सभा सचिवालय के दफ्तरी को ६०–८० का ग्रेड दिया गया है जो बहुत कम है और इस पर पुनः विचार होना चाहिये। इसी प्रकार विधान सभा का पुस्तकालय है। वह भारत के पुस्तकालयों में अपना प्रमुख स्थान रखता है और सभी माननीय सदस्य उससे लाभान्वित होते हैं और हमको सब प्रकार की सुविधा उसमें मिलती है। पुस्तकालयाध्यक्ष तथा अन्य कर्मचारी हमारे साथ प्रमाणिकता के साथ सहयोग करते हैं, लेकिन उनका नवीन वेतन-क्रम ५१५–७१५ निर्धारित किया गया है जबकि लोक सभा के पुस्तकालयाध्यक्ष का वेतन-क्रम ७००–१,२०० है। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के पुस्तकालयाध्यक्ष का वेतन-क्रम १,०००–१ ५०० है और उप-पुस्तकाध्यक्ष का वेतन-क्रम ३५०–५५० दिया गया है जबकि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में ७००–१ ००० है। हमारे यहां सहायक पुस्तकाध्यक्ष का वेतन क्रम २००–४५० दिया गया है, काशी विश्वविद्यालय में ४००–८०० है। अलीगढ़ में ४००–८०० है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि सेवा करने वाले जो हमारे पुस्तकालय के कर्मचारी हैं उन सब का वेतन क्रम साधारण तरीके से ही रखा गया है और इन सबके साथ अन्याय हुआ है। इनकी जिम्मेदारी और कार्य को देखते हुए हमें कहना पड़ता है कि न्याय होना चाहिये और इसके लिये आवश्यक है कि दोनों सदनों की एक समिति नियुक्त की जाय जो इस पर अपनी रिपोर्ट दे।

इसके अतिरिक्त हमारे विधान सभा सचिवालय के जो रिपोर्टर हैं उनके साथ भी अन्याय हुआ है। यह इतना काम करते हैं, और उनके कार्य को देखते हुए उनके वेतन का जो नवीनीकरण हुआ है वह असन्तोषजनक है।

हमारे मार्शल की जिम्मेदारी और कार्य को देखते हुए जो चालीस रुपया उनको विशेष वेतन मिलता था वह नये वेतन-क्रम में नहीं रखा गया। मान्यवर, इस संकल्प में जो संशोधन मैंने प्रस्तुत किया है मुझे आशा है कि उसका समर्थन इस सदन के प्रायः सभी सदस्य करेंगे और इस प्रकार उस समिति द्वारा जो अन्याय हुआ है उसे यह समिति दूर करने का प्रयत्न करेगी। यदि वह समिति न्यायपूर्वक विचार कर सकी तो हम अपने सचिवालय के कार्य में निश्चय ही एफीशियेन्सी लाने में सफल हो सकेंगे अन्यथा हम जैसे-तैसे काम चला रहे हैं और वह चलता रहेगा। विशेषकर समिति अधिकारी तथा सहायक सचिव के लिये यदि कुछ विचार न किया गया तो जितना कार्य यह करते हैं वह सब नहीं हो सकेगा और यह हमारे लिये कलंक की बात होगी तथा वे अपना उत्तरदायित्व पूर्ण करने में समर्थ नहीं हो सकेंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल, एडवोकेट (जिला बरेली)---

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय रामसुन्दर जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि जिनके प्रस्ताव के फलस्वरूप पे रेशनलाइजेशन कमेटी की रिपोर्ट पर पूरा विचार करने से पहले हमें उसके एक अंग पर विचार करने का अवसर मिला। मान्यवर, यूं तो हमारे प्रदेश में अंग्रेजी राज्य के जमाने में जब कांग्रेस वजारत बनी और कांग्रेस हुकूमत आने के बाद भी समय-समय पर वेतन-क्रम को देखने के लिये कमेटियां, कमीशन्स और कांफ्रेंसेज होती रही हैं, लेकिन १९४७ के बाद कोई पे कमेटी नहीं बनी। यह पे रेशनलाइजेशन कमेटी पहली बार सन १९६४ में बनी। अच्छे लोग प्रदेश के इसमें थे। उन्होंने बड़ा परिश्रम किया। उनकी ५०० पेज की रिपोर्ट है। कई बातें इसमें अच्छी प्रकार हैं। ३५० से ज्यादा वेतन-क्रम प्रदेश में थे उनको घटा कर ५०, ५२ उन्होंने कर दिये। यह एक अच्छी बात थी।

मान्यवर, मैं बहुत विस्तार में उस अलग-अलग पद के आसीन लोगों का नाम लेकर अपना निवेदन नहीं करूंगा क्योंकि उसके लिये माननीय पांडेय जी और दूसरे वक्ता ने कह दिया। मैं आपके द्वारा इस सदन का ध्यान कुछ मौलिक बातों की ओर दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, प्रदेश में एक स्वस्थ वातावरण कायम करने के लिये कुछ परम्पराओं का सृजन किया जाता है और उसके लिये ही हमारे संविधान में कुछ निर्देश किये गये हैं। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं भारतीय संविधान के आर्टिकल १८७ की ओर। भारतीय संविधान के आर्टिकल १८७ में स्पष्टरूप में यह कहा गया है कि विधान सभा और विधान परिषद के अलग-अलग सचिवालय होंगे और, मान्यवर, उसके अन्त में यह कहा गया है कि उनकी सेवा की शर्तें (कन्डीशन्स आफ सर्विसेज) उनकी नियुक्ति या उनसे सम्बन्ध रखने वाली बातों पर परिवर्तन किया जायगा माननीय अध्यक्ष, विधान सभा या माननीय चेयरमैन, कौंसिल के परामर्श से। कदाचित, भारतीय संविधान बनाने वालों का मंशा, मान्यवर, इस निर्देश से यही था कि वे सचिवालयों की इन सेवाओं को किसी प्रेशर से किसी पालिटिक्स से, गवर्नमेंट के किसी असर से, गवर्नमेंट की तरफ देखने की आदत से दूर रखना चाहते थे और इसीलिये हमारे इन्डियन कान्स्टीटयूशन में यह स्पष्ट निर्देश है। मैं, मान्यवर, पे कमेटी के रचयिताओं के प्रति आदर प्रकट करते हुए क्षमा चाहूंगा कि इस पे रेशनलाईजेशन कमेटी ने, अगर हम सचिवालय के स्टाफ की दृष्टि से देखें, तो इर्रेशनेलाईजेशन कमेटी का रूप धारण कर लिया और इसने पे अनामली इन्क्वायरिंग कमेटी का रूप धारण कर लिया।

मान्यवर, पे रेशनेलाईजेशन कमेटी की रिपोर्ट के आरम्भ में कुछ आधारभूत सिद्धान्तों का वर्णन किया गया है और उसमें एक सिद्धान्त यह भी है कि समान दायित्व रखने वाले व्यक्तियों को समान अवसर दिये जायेंगे, सेवाओं में उन्नति का, सेवाओं में वेतन का। दूसरा आधार, जिसकी तरफ संकेत किया है कमेटी ने और कहा है आज के सोशलिस्टिक पैटर्न के संबंध में वह है सोसायटी में किस सेवा के व्यक्तियों को क्या मिलता है और उनसे समाज को क्या रिटर्न मिलता है। दूसरा आधार मुख्य आधार है। मैं जब इन आधारों की कसौटी पर सचिवालय के कर्मचारियों के लिये जो वेतन-क्रम निर्धारित किया गया है उनको देखता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जानबूझ कर या अनजाने में उनके साथ घोर अन्याय किया गया है। मान्यवर, मैं देख रहा था कि आखिर इसका कारण क्या हुआ होगा। तो मैंने एक वह तालिका देखी जो इस रिपोर्ट के बाद लम्बी-सी लगी है, जिससे यह पता लगता है कि इस कमेटी ने कितने व्यक्तियों से बातचीत की और कितनी एसोसिएशन्स से बातचीत की तो मुझे देखकर ताज्जुब हुआ कि सचिवालय के मंत्री या जो हमारी ज्वाइंट लेजिस्लेचर्स के मंत्री हैं उसमें उनका नाम नहीं मिला। मैंने आरम्भ में निवेदन किया कि इस संविधान का निर्देश था कि कोई भी सेवा क्रम या वेतन क्रम परिवर्तन करने से पहले माननीय अध्यक्ष और विधान परिषद् के चेयरमैन का परामर्श आवश्यक था। वह तो ज्यादा दूर रहा। जो तालिका मैंने देखी उसमें मैंने देखा कि हमारे सचिवालय के सेक्रेटरी या लेजिस्लेचर के सेक्रेटरी का भी नाम उन साक्ष्य देने वाले व्यक्तियों में मुझे नहीं मिला। अगर ऐसे में यह इर्रेशनेलाइजेशन हो तो फिर स्वाभाविक है और उसको समझना आसान है। मैं मान्यवर, यह कहने में बहुत संकोच करूंगा कि जानबूझकर इन सेवाओं के साथ अन्याय

किया गया। लेकिन अगर उसका अध्ययन किया जाय, तो सिवाय इसके कोई और नतीजा नहीं निकलता।

मान्यवर, कोई क्राइटेरिया, कोई नार्म, कोई आधारभूत सिद्धांत किसी प्रकार भी आधार मान लिया जाय और जैसा मैंने निवेदन किया वह वही हो सकते हैं कि क्या कार्य और पद का दायित्व है, क्या वर्क लोड है और क्या उसका पे बैक है, तो फिर अगर उसको आप अपेक्षाकृत देखें तुलनात्मक दृष्टि से, कम्पेरेटिव दृष्टि से तो इसके करने के दो तरीके हो सकते हैं, वर्टिकल और होरिजेन्टल। हम या तो यह कर सकते हैं कि हमारे ही विभागों में, हमारे ही सरकारी सचिवालय के अन्य विभागों में जो अन्य सेवायें हैं उनके कार्य के लोड से मिलायें या फिर दूसरे प्रदेशों में इन सेवाओं को जो वेतन मिलता है उससे मिलायें या लोकसभा में जो इसी प्रकार के कार्य करने वाले हैं उन्हें जो वेतन मिलता है उससे मिलायें, तो मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ यह कहने का साहस करूंगा कि इन तीनों कसौटियों पर कसने के बाद हम इस निश्चय पर आयेंगे कि यह रिपोर्ट जहां तक सचिवालय के कर्मचारियों का सम्बन्ध है उनके साथ एनामलीज को बढ़ाती है।

इतना निवेदन करने के बाद, बहुत सूक्ष्म में कुछ विस्तार में जाऊंगा। मान्यवर, मैंने यह आपसे आदरपूर्वक आश्वासन दिया था कि मैं एक-एक पदाधिकारी के बारे में नहीं कहना चाहता, अगर एक दो उदाहरण रखूंगा, केवल उदाहरण के लिए, अपनी बात की पुष्टि के लिए रखूंगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरे कर्मचारियों को मैं छोड़ता हूं। सबसे पहले मैं सबसे निम्न स्तर के कर्मचारियों के बारे में एक बात कहना चाहता हूं। पे रेशनेलाइजेशन कमेटी ने इसका आधारभूत सिद्धांत यह माना कि १९६१–६२ की जो प्राइस थी उस पर स्टेबिलिटी हो जायगी, हमारे जो मूल्य हैं वह ६०–६१ के स्तर पर आकर स्थिर हो जायेंगे। उन्होंने कहा कि हम एकोनामिस्ट नहीं हैं हमें एकोनामिक्स का ज्ञान नहीं है लेकिन किसी एकोनामिस्ट से परामर्श लिया है। उसकी राय से यह निश्चय लिया कि ६०–६१ के मूल्य स्तर वह हैं जिन पर हम कायम हो सकते हैं। कदाचित वह ठीक हो। मैं भी एकोनामिक्स की ए० बी० सी० डी० से ज्यादा नहीं जानता हूं। तो मैं यह कहने की धृष्टता नहीं करूंगा कि वह गलत है। उन्होंने दूसरी बात यह लिखी कि ढाई यूनिट की एक फैमिली मानी। ६०–६१ के मूल्यों का स्तर और ढाई यूनिट की एक फैमिली मानकर इस पर उन्होंने ढांचा आधारित किया छोटे कर्मचारियों का जिसमें चपरासी, माली, दफ्तरी यह सब आ जाते हैं। मान्यवर, मेरी मजबूरी है कि मैं सबसे नीचे दर्जे के आदमियों की बात पहले करता हूं क्योंकि मुझे उनका दुख ज्यादा असर करता है, हमेशा और जब-जब मुझे अवसर मिलता है मैंने इस सदन में....

श्री अधिष्ठाता—

समाजवादी व्यवस्था में आपको करना भी यही चाहिए।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल, एडवोकेट—

धन्यवाद। जब-जब मुझे अवसर मिला है मैंने यह कहा है कि हमें यह निश्चय करना पड़ेगा आज नहीं तो कल और मैं समझता हूं कि अब कल भी नहीं, आज हम प्रदेश में १०० रुपये से कम का वेतन न देवें। इससे कम वेतन उसके साथ अन्याय होगा, उसके परिवार के साथ अन्याय होगा। पे कमेटी ने लिखा है कि पे आंकते वक्त और कम से कम न्यूनतम वेतन आंकते वक्त हमें इस बात से प्रभावित नहीं होना चाहिए कि जो योग्यता उस व्यक्ति की है उसमें उतनी तनख्वाह उसको मिल सकेगी या नहीं, न्यूनतम वेतन का आधार होना चाहिए कि उसकी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकेगी या नहीं, उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स पूरी हो सकेंगी या नहीं। तो मैं समझता हूं यद्यपि इस सिद्धांत को कमेटी ने माना, एनालाइज किया, विश्लेषण किया, स्टडी किया लेकिन उसका जो परिणाम है वह उससे भिन्न है और नीचे वाले स्थानों का वेतन-क्रम उतना नहीं बढ़ा। आगे हम देखें नीचे से लेकर ऊपर तक चाहे वह असिस्टेंट हों, अपर डिवीजन क्लर्क हों, या सुपरिंटेंडेंट हों, रिपोर्टर्स हों, और असिस्टेंट सेक्रेटरी या सेक्रेटरी हों, सभी को अगर हम तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो मुझे इनके साथ न्याय हुआ

[श्री जगदीश शरण अग्रवाल, एडवोकेट]

दिखाई नहीं पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कांशसली या अनकांशसली यह भावना तो नहीं रही है कि जिस सचिवालय की सेवायें अपने को निष्पक्ष होने का दावा करती हैं, निष्पक्ष होने की भावना रखती हैं, उनके स्तर को हम नीचे ले आवें।

आज की मैटीरियलिस्टिक एज में हम किसी की जूनियारिटी या सीनियारिटी उसके वेतन-क्रम से ही आंकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कदाचित किसी भावना से प्रेरित होकर या भूल से हमारे सचिवालय के सेक्रेटरी को डाउन-ग्रेड कर दिया गया है। मैंने पूरी रिपोर्ट का अध्ययन करने की कोशिश की लेकिन इस तरह से स्तर नीचे ले आना मुझे और कहीं नहीं मिला। हमारे सेक्रेटरी का ग्रेड ९०० से १,२०० के बजाय ६०० से १,२५० कर दिया गया है। आज हमें यह देखना है कि हमारे सचिवालय के सेक्रेटरी के वर्क-लोड को देखते हुए, जिस दायित्व और जिम्मेदारी की उससे अपेक्षा की जाती है, उसे देखते क्या उसका वेतन-क्रम दूसरे सेक्रेटरियों के बराबर नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से कमेटी अफसर हैं। मेरा इस सदन की कुछ कमेटियों से बतौर सदस्य के और चेयरमैन के सम्बन्ध रहा है। मैंने देखा है कि कमेटी अफसर को कितना अध्ययन करना पड़ता है। एस्टीमेट्स कमेटी का चेयरमैन रह कर भी मैंने देखा है कि कितनी जिम्मेदारी उनकी होती है, कितना उनको मनन और अध्ययन करना पड़ता है। हम कमेटी अफसर को उससे नीचे स्तर पर न रखें जो हमारे ही सचिवालय में दूसरे लोगों को मिलता है जिनका वर्क-लोड और जिम्मेदारी उतनी नहीं है।

रिपोर्टरों की बात हमारे माननीय रामसुन्दर जी पांडेय कह रहे थे। वहां तो मैं समझता हूं कि अन्याय पराकाष्ठा को ही पहुंच गया है। ४७० पेज पर उनका और ४, ६ सफे आगे-पीछे मिनिस्टर्स के स्टोनोग्राफर्स का वेतन-क्रम दिया हुआ है। हमें यह देखना है कि हमारे रिपोर्टर्स का कितना कार्य-लोड होता है और मिनिस्टर्स के स्टेनोग्राफर्स का कितना कार्य-लोड होता है। रिपोर्टर्स और स्टोनोग्राफर्स का एलीजीबिलिटी के लिए कितने ऊंचे स्तर से क्वालीफाई होना पड़ता है। रिपोर्टर के लिए १२०, १४० शब्द की गति शार्टहैंड में हम रखते हैं और दूसरी ओर स्टोनोग्राफर्स के लिए केवल ८० और १०० की। इससे बात प्रत्यक्ष हो जाती है कि इन दोनों के वेतन-क्रम में कितना अन्तर होना चाहिए। दूसरा तरीका वेतन-क्रम रखने का होता है कि किसी काडर के लिए ओपिनिंग्स क्या है। स्टेनोग्राफर्स असिस्टेंट सेक्रेटरी और अन्डर सेक्रेटरी तक बने हैं और आज हैं लेकिन रिपोर्टर का शुरू और आखिर रिपोर्टर तक ही रह जाता है। तो जिस आदमी से हम अपेक्षा करें कि वह ईमानदारी से रिपोर्टिंग करे हाई स्पीड से रिपोर्टिंग करे, और जब वेतन-क्रम की बात आवे तो उसे हम नीचे ले आवें मिनिस्टर्स के सीनियर स्टोनोग्राफर के वेतन-क्रम से भी, तो मैं इससे बड़े अन्याय की कल्पना नहीं कर सकता हूं। मान्यवर, मैंने जैसा निवेदन किया था, मैं अब अधिक विस्तार में जाना नहीं चाहता क्योंकि दो ही मिनट अब बाकी रह गए हैं। मैं एक बात ही कहना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

आप कितना समय और लेना चाहते हैं?

श्री जगदीशशरण अग्रवाल, एडवोकेट—

श्रीमन्, थोड़ा ही समय और लेना चाहता हूं यदि आपकी आज्ञा हो।

श्री अधिष्ठाता—

अच्छा, तो आप अगले दिन जारी रखिएगा।

(इसके बाद सदन ५ बजे सोमवार, ३० अगस्त, १९६५ के ११ बजे दिन तक के लिए स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
२७ अगस्त, १९६५।

नत्थी 'क'

(देखिए ६ अगस्त के स्थगित तारांकित प्रश्न ६५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४२१ पर)

जिला बांदा में निम्नलिखित मार्ग सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन हैं ।

(१) फतेहपुर—बांदा सागर मार्ग,
(२) इलाहाबाद—बांदा—झांसी मार्ग,
(३) बांदा—अलिहा बबेरू मार्ग,
(४) चित्रकूट रेलवे फीडर रोड,
(५) सीतापुर लिंक रोड,
(६) अतर्रा बबेरू मार्ग,
(७) बांदा नरायनी—करताल मार्ग,
(८) अतर्रा—नरायनी मार्ग,
(९) नरायनी—कालिंजर मार्ग,
(१०) भरतकूप रेलवे फीडर रोड,
(११) करवी पहाड़ी—राजापुर मार्ग,
(१२) बांदा—टिन्डवारी मार्ग,
(१३) बरगढ़ रेलवे फीडर रोड,
(१४) खुरसना रेलवे फीडर मार्ग,
(१५) बदौसा रेलवे फीडर रोड,
(१६) अतर्रा रेलवे मार्ग,
(१७) बबेरू —कमासिन मार्ग,
(१८) बबेरू—अवगासी मार्ग ।

विधान सभा सदस्य पुस्तकालय

नत्थी 'ख'

(देखिए तारांकित प्रश्न १५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४३३ पर)

वे घाट जिनका पुनर्निर्माण हो चुका है।

घाट का नाम	३० जून, १९६५ तक हुआ व्यय
	रुपया
१—चेतसिंह घाट २—गुलरिया घाट ३—विजया नगरम् घाट ४—शीतला दशाश्वमेघ घाट ५—त्रिपुरा मैरवी मीर घाट ६—दुर्गा ब्रह्मा बूंदी परकोटा घाट	.. .. ४६,६१,३४०
७—आदि केशव घाट	२,१४,२४६
योग ..	४८,७५,५८६

इन घाटों में से केवल दुर्गा ब्रह्मा बूंदी परकोटा घाट पर कुछ कार्य, बूंदी महल के तटवर्तीय भाग के धाराशायी हो जाने के कारण बाकी रह गया है।

विधान सभा सचिवालय प्रदेश उ०प्र०

नत्थी 'ग'

(देखिए तारांकित प्रश्न २२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४३४ पर)

कार्यवाही आपाती बैठक जिला परिषद, एटा दिनांक २५–११–६४/समय ११ बजे दिन परिषद् हाल में सम्पन्न हुई

पिछली बैठक की कार्यवाही दिनांक २९–८–६४ की पुष्टि हेतु।

१––पढ़ी गई और पुष्टि की गई।

राजाज्ञा सं ५४८२ सी०/२३ पी० डब्ल्यू० ए० दिनांक अक्तूबर ९, १९६४ ई० व पत्र जिलाधीश महोदय, नवम्बर २५/२१, २/६४, ६५ दिनांक अक्तूबर २१, १९६४ बाबत इसके कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के सिलसिले में नई सड़कों तथा पुलों के निर्माण कार्य के लिए प्राथमिकता दिए जाने पर विचार। सूची साथ में संलग्न है।

२––निम्न स्तर पर चतुर्थ व पंचवी व छठी वर्ष के लिए प्राथमिकता दिया जाना स्वीकार किया गया।

(१) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में ली जाने वाली सड़कें।

सड़क का नाम	सदस्य जिन्होंने प्रस्ताव किया	
१––एटा से सकीट वाया ओछा कच्ची सड़क	श्री नवाबसिंह यादव	१––एटा, सिढपुरा, गंजडुन्डवारा २२ मील। २––सोरो, सहावर, गंजडुन्डवारा, पटियाल दरियावगंज ३० मील। ३––थानादरियागंज, जैथरा, कुरावली १७ मील।
२––निधौली से वाक्सा प्लानिंग सड़क	श्री सहदेवसिंह	४––गंजडुन्डवारा, कादरगंज ९ मील। ५––नदरई, मारहरा, निधौली, जलेसर, ३१ मील।
३––इसौली से जलेसर श्रमदान सड़क ९ मील	श्री विजय पाल सिंह	६––अलीगंज, सराय अगहत १२ मील।
४––जलेसर सिकन्दरा राऊ जलेसर से फीरोजाबाद वाया शकरौली।	श्री राजेन्द्रपाल सिंह	७––कासगंज, हरनाथपुर, इस्माइलपुर १४ मील। ८––जलेसर हाथरस ६ मील।
५––अलीगंज से मैनपुरी वाया ढटीगरा	श्री अवध बिहारी लाल	(२) पंचवर्षीय योजना में ली जाने वाली सड़कें।

सड़क का नाम	सदस्य जिन्होंने प्रस्ताव किया	
६—मिरहची से धिरामई सरक्यूलर रोड वाया अचलपुर।	श्री राम प्रताप सिंह	१—कासगंज, अमापुर सिढपुरा १० मील। २—सिढपुरा पटियाली ८ मील।
७—सिढपुरा अमापुर एटा से गंजडुन्डवारा सहावर से सिढपुरा वाया मोहनपुर।	श्री हरिश्चन्द्र पांडेय	३—कादरगंज कम्पिल १० मील। ४—जलेसर फीरोजाबाद, टून्डला वाया अवागढ़ ९ मील।
८—गंजडुन्डवारा से कुसौल वाया वस्तरमऊ।	श्री मुहम्मद सिद्दीकी	५—नदरई मारहरा, नगरिया १२ मील। ६—जलेसर सिकन्दराराऊ ८ मील।
९—एक जिले से दूसरे जिले को मिलाने वाली सड़कों को प्राथमिकता दी जाय, जिला परिषद् या अन्य ऐसी जिनकी दशा खराब है उन्हें प्राथमिकता दी जाए।	श्री रघुवीर सिंह जी	७—सीरी, इस्माइलपुर १२ मील। ८—पटियाली, नरदोली १० मील। छठी वर्षीय योजना में ली जाने वाली सड़कें। १—एटा, सकीट १२ मील। २—कासगंज, बढ़ारी, सहावर ११ मील। ३—जलेसर आगरा ६ मील। ४—सिढपुरा, मोहनपुर सहावर १२ मील। ५—धुमरी, थानादरियागंज १२ मील। ६—पटियाली, फर्रुखाबाद १६ मील।
१०—ककराला से कम्पिल	श्री सत्य पाल सिंह	७—अलीगंज पिजरी १२ मील।
११—विलराम गढ़ीचकेरी हरनाथपुर से कासगंज गोरहा से फतहपुरकलां सहावर से नबाबगंज, नबाबगंज से बढ़ारीकलां, कासगंज से हथरेडी से गोपालपुर, कासगंज से पंचलानो।	श्री तिरमल सिंह	८—एटा निधौली कलां १२ मील। ९—सहावर बाजनगर १०मील/पुलों के बारे में निम्न निर्णय लिया गया। १—एटा, जलेसर, मानिकपुर सड़क पर सिरसा नदी का पुल। २—काली नदी पर एटा अमानपुर सड़क पर मोहारे पर पुल।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

सड़क का नाम	सदस्य जिन्होंने प्रस्ताव किया	
१२—सकीट से पाढ़म, रिजोर से सकीट, एटा से सकीट वाया चपरई, जलेसर से हाथरस	श्री बाबू राम ..	३—काली नदी पर एटा गंजडुन्डवारा सड़क औन घाट का पुल। ४—गंजडुन्डवारा, कादरगंज सड़क पर बूढी गंगा पर नवादा का पुल।
१३—धुरी पटियाली बढ़ीला, सिढ़पुरा पटियाली दूसरी तीसरा कोट ..	श्री गजेन्द्र पाल सिंह .	५—मथुरा कासगंज बरेली सड़क पर रेल तथा सड़क पुल का पुनः निर्माण।
१४—सुरक्षा के विचार से आवश्यक सड़कों को प्राथमिकता दी जाय।	श्रीमती सुशीलादेवी ..	६—थाना दरियावगंज, जैथरा कुरावली, सड़क पर काली नदी का पुल।
१५—कासगंज सहावर गंजडुन्डवारा कैनाल रोड।		

प्रस्तावित पुलों की सूची

(अ) बूढी गंगा .. ..
१—सहावर सहवाजपुर सड़क ..
२—गंजडुन्डवारा कादरगंज सड़क (पुनः निर्माण) ..
३—पटियाली नरदौली सड़क ..
४—पटियाली कम्पिल सड़क ..
(ब) काली नदी ..
१—एटा सहावर सड़क ..
२—एटा गंजउन्डवारा सड़क ..
(स) ईसन नदी ..
१—रिजोर सकीट ..
(द) अरिन्द नदी ..
१—जलेसर सड़क ..
(इ) सिरसा या सेगर नदी ..
१—जलेसर, आगरा सड़क ..

यह भी तय हुआ है कि जिले के अन्तर्गत आने वाले वे तमाम पुल व पुलिया भी किसी नदी या नालों पर बने हुए हैं और सिंचाई विभाग द्वारा बनाये गये थे, का पुनरुद्धार कराया जाना आवश्यक है जैसे जलेसर—आगरा कच्ची सडक पर सिरसा नदी का पुल।

यदि सरकार तराई क्षेत्रों के लिये इन योजनाओं में अलग से व्यवस्था करे तो निम्न सड़कों के पक्का कराया जाना स्वीकार किया जावे।

प्रस्तावित निर्माण हेतु सड़कों की सूची

१—सोरों, सहावर, गंजडुन्डवारा, पटियाली थाना दरियावगंज सड़क ३० मील	१—पटियाली, लघौली, बढ़ौला, थानादरियावगंज रेलवे स्टेशन।
२—सहावर, कामयगंज, केनालवेक सड़क	
३—नादरई सहावर, नंगरिया, निधौली, जलेसर, आगरा जिला की सीमा तक ३० मील।	२—लघौली से नरदौली
४—गंजडुन्डवारा, कादरगंज ९मील	३—गंजडुन्डवारा, कादरगंज।

प्रस्तावित निर्माण हेतु सड़कों की सूची

५—अमानपुर, सिढपुरा सड़क १० मील
६—पटियाली नरदौली सड़क (श्रमदान) ९ मील
७—अलीगंज सरायअगहत सड़क १२ मील
८—सोरी बरोदा, इसमाइलपुर सड़क ७ मील
९—कासगंज कमरउआ, सड़क
१०—थानादरियावगंज जथरा, कुरावली, सड़क १७मील
अन्तर जिला सड़क।

४—सहावर, सहवाजपुर।
५—पटियाली कादरगंज।
६—सहावर सियारपुर।
७—जलेरसर, फीरोजाबाद।

सत्य प्रतिलिपि,
(ह०) अस्पष्ट
कार्य अधिकारी, जिला परिषद्, एटा।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिए तारांकित प्रश्न २५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४३५ पर)

क—बालिकाओं के जूनियर हाई स्कूल

१—राजकीय जूनियर हाई स्कूल .. जफराबाद ।
२— " " मुगरा बादशाहपुर ।
३— " " रेहाटी
४—गैर सरकारी जूनियर हाई स्कूल .. खेता सराय ।
५— " " बी० आर० पी० कालेज, जौनपुर से संलग्न ।
६— " " चक्के ।
७— " " शाहगंज ।
८— " " जमालापुर ।
९— " " केराकत, तथा
१०— " " मछलीशहर ।

ख—बालिकाओं के हायर सेकेण्डरी स्कूल

१—कन्या हाई स्कूल, जौनपुर, तथा
२—राजकीय कन्या इन्टर कालेज, जौनपुर ।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ङ'

देखिये तारांकित प्रश्न ४२–४३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४३९ पर)

क्रम-संख्या	मद	वर्ष	धनराशि रु० पैसा	विवरण
१—बिक्री-कर विभाग:—				
(क)	निर्धारित बिक्री-कर ..		..	..
(ख)	व्याज ..		१८९३.१४	वसूली के लिये वसूलयाबी के प्रमाण-पत्र जारी कर दिये गये हैं।
			१८९३.१४	
२—राजस्व विभाग:—				
	मालगुजारी ..	१,३७१ फ०	५७.४४	नियमानुसार वसूली की कार्यवाही जारी है।
		१,३७२ फ०	१२८.१४	
			१८५.५८	
३—आबकारी विभाग:—				
(क)	क्रय-कर (गन्ना)	१९६३–६४	१,०००.००	सरकारी आदेशानुसार यह धनराशि समायोजित (Adjust) की जानी है।
(ख)	अर्थ दन्ड (क्रय-कर से संबंधित)	१९६०–६१	९९४८.८८	कम्पनी ने सरकार से इस धनराशि को माफ कर देने की प्रर्थना की है जो शासन में विचाराधीन है।
		१९६१–६२	८८.०५	
(ग)	लाइसेन्स फीस	१९६४–६५	२७,५०७.१८	आबकारी आयुक्त ने गत २२ जुलाई को वसूली के लिय प्रमाण पत्र भेजे है जिनके अनुसार कार्यवाही की जा रही है।
		१९६५–६६	५१,४५८.००	
			९०००२.११	
	कुल योग ..		९२०८०.८३	

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४४२ पर)

गांव चादामऊ और रामपुर महासिंह में बन्दोबस्त की गई अतिरिक्त भूमि का व्योरा

क्रम-संख्या	पट्टेदार का नाम			क्षेत्रफल बी० वि० व०	मालगुजारी रु० पै०
	चादामऊ गांव				
१	टुन्ना, पुत्र महबूब	..	..	४– ४ –५	१६.५८
२	गोबरधन, पुत्र लालधारी	..	..	४ –१७–०	३८.५०
३	सलामत, पुत्र मगरु	..	..	४– ७–१९	३१.६२
४	बन्धन, पुत्र छागुर	..	..	३–१३–१८	२३.२०
५	झकारी, पुत्र खदेरू	..	..	३–१४– ६	१८.२८
६	शिवबक्श पुत्र ओरी	..	..	१– ७–१०	११.८६
७	अलीहसन, पुत्र नियामत	..	..	३– ५– ७	२०.८६
८	देसीदीन, पुत्र पितई	..	..	१– ७–१०	११.८६
९	केशव, पुत्र गोपाल	..	..	२–१६–१९	१९.९२
१०	मूरत, पुत्र स्कूल	..	..	२–१४– ७	१८.८४
११	जोगी, पुत्र माधव	..	..	३– ०– ०	१८.३४
१२	चांद, पुत्र शहीद	..	..	२– ४– ०	१५.३६
१३	उमाशंकर, पुत्र बेनी प्रसाद	..	..	२–१५– ०	१०.८४
१४	सलीम, पुत्र मुसाफिर	..	..	२–१८–११	१३.९२
१५	राम किशुन, पुत्र भीखा	..	..	१–१६–१९	११.२०
१६	खजमली, पुत्र फौजदार	..	..	२– २–१३	११.२८
१७	मुसद्दी, पुत्र अमीरअली	..	..	३– १– ९	२१.५०
१८	लखराज, पुत्र महेश	..	..	३– ३– ०	२४.६४
१९	रामलाल, पुत्र कोला	..	..	३– २– ४	२६.२६
२०	सुकई, पुत्र खदेरू	..	..	३– ०– ०	१३.४२
२१	स्वादेशी पुत्र भिरगुन	..	..	२–१९– ०	१०.४६
२२	मुनीर, पुत्र मुसद्दी	..	..	३– ३– ०	१७.५८
२३	जलील, पुत्र इब्राहीम	..	..	३– ४– २	१९.०२
२४	मुसई पुत्र बल्ली	..	..	२–१५– ०	१२.३०
२५	अजोज, पुत्र जान	..	..	२–१७–१९	११.४२
२६	अजीमउल्ला, पुत्र काशिमअली		..	४– ७ –०	२५.५२
	योग		..	७९–१८–१८	४८१.५८

विधान सभा

क्रम-संख्या	पट्टेदार का नाम			क्षेत्रफल बी० वि० वि०	मालगुजारी रु० पै०
		रामपुर महासिंह			
२७	हुसेन, पुत्र रोशन	..	..	५– ३– ०	२६.८०
२८	बल्ली, पुत्र शिवसरन	..	..	४–१६– ७	२४.८४
२९	रामानन्द, पुत्र गनपति	..	..	४– ८–१५	२३.०६
३०	रामलाल पुत्र खुसी	..	..	३–१७– ०	२०.००
३१	जयश्री, पुत्र बल्ली	..	..	४– १– ०	२१.०४
३२	जोत पुत्र रामकिशुन	..	..	३– ३– ०	२१.१२
३३	रामकिशुन पुत्र खेलू	..	..	४–१७– २	२५.२७
३४	रामसेवक पुत्र देवीशरन	..	..	३–१४–१२	१९.३८
३५	शिव बचन, पुत्र भोला	..	..	३–१३– ०	१८.९८
३६	श्याम सुन्दर, पुत्र सलावी	..	..	३–१३– ६	१९.६२
३७	हेमराज, पुत्र सोखी	..	..	३– ८– १	१७.७०
३८	शाहब, पुत्र इब्राहीम	..	..	३– ७– १	१७.४४
३९	बैजनाथ, पुत्र सूबा	..	..	३– ४– ८	२२.४६
४०	विश्वनाथ पुत्र छागू	..	..	३– ३–१४	१०.१६
४१	वली मोहम्मद, पुत्र नियामत	..	..	३–११– ६	३६.१०
४२	रामनरायन, पुत्र खुद्दी	..	..	४–१ – ६	२७.२२
४३	राम प्रगास पुत्र बुद्धराम	..	..	२–११– ०	१५.७०
४४	राम सूरत पुत्र रामस्वरूप	..	..	३– ६– ६	१७.२२
४५	जगपति व नौबू लाल, पुत्र ठगई मल्लाह		..	२– ०–१०	१०.५३
४६	साबान पुत्र नेवारी	..	..	५–१०–१८	२८.८२
		योग	..	७५–१३–१२	४२३.४६

नत्थी 'छ'

(देखिए पीछे पृष्ठ ४४२ पर)

इंडियन फारेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६५

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है)

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में इंडियन फारेस्ट ऐक्ट, १९२७ का आगे दिये हुए प्रयोजनों के लिये संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के सोलहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रसार

१—(१) यह अधिनियम इंडियन फारेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९६५ कहलायेगा ।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा ।

ऐक्ट संख्या १६, १९२७ की धारा ३ के स्थान पर नयी धारा का प्रतिस्थापन

२—इंडियन फारेस्ट ऐक्ट, १९२७ (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा ३ के स्थान पर निम्नलिखित नयी धारा रख दी जाय, अर्थात्—

वन रक्षित करने की शक्ति

"(३) राज्य सरकार किसी ऐसी वन या बंजर भूमि को या किसी खाता अथवा गांव आबादी में तत्समय सम्मिलित भूमि से भिन्न किसी ऐसी अन्य भूमि को जो सरकार की संपत्ति हो अथवा जिस पर सरकार का स्वामिगत अधिकार हो, या जिसकी संपूर्ण वन उपज अथवा उस उपज के किसी भाग की हकदार सरकार हो, आगे दी गयी रीति से रक्षित वन बना सकती है ।"

उ० प्र० ऐक्ट संख्या १७, १९३९ उ० प्र० ऐक्ट संख्या ३, १९४८

स्पष्टीकरण—'पद खाता' का वह अर्थ होगा जो यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट, १९३९ में 'पद खाता, (Holding) के लिये दिया गया हो' और पद "गांव आबादी" का वह अर्थ होगा जो संयुक्त प्रान्त का गांव आबादी ऐक्ट, सन् १९४७ ई० में इसके लिये दिया गया हो ।

धारा ५ के स्थान पर नयी धारा का प्रतिस्थापन

३—मूल अधिनियम की धारा ५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात्—

वन अधिकार की प्रोद्भूति पर रोक

"(५) धारा ४ के अधीन विज्ञप्ति जारी कर दिये जाने के पश्चात् ऐसी विज्ञप्ति में समाविष्ट भूमि में या उस पर कोई अधिकार उत्तराधिकार द्वारा अथवा राज्य सरकार द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से जिसमें विज्ञप्ति जारी करते समय ऐसा करने का अधिकार निहित था, किसी लिखित अनुदान या संविदा के अधीन अर्जित होने के सिवाय कोई भी अधिकार अर्जित नहीं किया जायगा, और सिवाय राज्य सरकार द्वारा तदर्थ बनाये गये नियमों के अनुकूल ऐसी भूमि में कृषि या किसी अन्य प्रयोजन के लिये न तो कोई नया वनोन्मूलन किया जायगा और न वहां का कोई वृक्ष गिराया जायगा, न उसका घिरान किया जायगा, न उसे छांटा जायगा, न रस निकालने के लिये उसमें छेद किया जायगा, न उसे जलाया जायगा । न उसकी छाल या पत्तियां उतारी जायंगी, न अन्यथा उसे नुकसान पहुंचाया जायगा और न ही वहां से वन उपज को हटाया जायगा ।"

४—मूल अधिनियम की धारा ११ में, उपधारा (३) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उप धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्—

धारा ११ का संशोधन

"(४) उपधारा (३) के उपबन्ध उस दशा में भी लागू होंगे जब वन बन्दोबस्त अधिकारी इस अधिनियम के अधीन अपील या पुनरीक्षण में दिये गये किसी आदेश के परिणामस्वरूप किसी भूमि का अर्जन करने की कार्यवाही करे।"

धारा १७ के स्थान पर नयी धारा का प्रतिस्थापन

५—मूल अधिनियम की धारा १७ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात्—

धारा ११, धारा १२, धारा १५, या धारा १६ के अधीन दिये गये आदेश के विरुद्ध अपील

"१७—कोई व्यक्ति जिसने इस अधिनियम के अधीन दावा किया हो या कोई वन अधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा तदर्थ, सामान्य या विशेष रूप से प्राधिकृत अन्य व्यक्ति, वन बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा ऐसे दावे पर धारा ११, धारा १२, धारा १५ या धारा १६ के अधीन दिये गये आदेश के दिनांक से तीन महीने के भीतर उस आदेश के विरुद्ध जिला जज को अपील प्रस्तुत कर सकता है।

स्पष्टीकरण—इस धारा में और इस अध्याय की अनुवर्ती धाराओं में 'जिला जज" का तात्पर्य उस जिले के जिला जज से है, जिसमें भूमि स्थित हो, और इसके अन्तर्गत वह अपर जिला जज भी है जिसे जिला जज द्वारा अपील संक्रमित की जाय।"

धारा १८ के स्थान पर नयी धारा का प्रतिस्थापन

६—मूल अधिनियम की धारा १८ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात्—

धारा १७ के अधीन अपील

"१८(१)—धारा १७ के अधीन प्रत्येक अपील लिखित याचिका के रूप में दी जायगी, और वह वन बन्दोबस्त अधिकारी को दी जा सकेगी, जो उसकी सुनवाई के लिये उसे जिला जज को अविलम्ब भेज देगा।

(२) जिला जज, पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् अपीलाधीन आदेश की पुष्टि कर सकता है या उसे रद्द कर सकता है अथवा उसमें परिष्कार कर सकता है या बाद को ऐसे निदेशों के साथ जो वह उचित समझे वन बन्दोबस्त अधिकारी के पास वापस भेज सकता है।

(३) अपील के विचाराधीन रहने की अवधि में जिला जज, पर्याप्त कारण होने पर ऐसी शर्तों पर, यदि कोई हों, जिन्हें वह उचित समझे, उस आदेश के प्रवर्तन को, जिसके विरुद्ध अपील की गयी हो, रोक सकता है और कोई प्रासंगिक या आनुषंगिक आदेश दे सकता है।

(४) अपील में दिया गया आदेश धारा २२ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अंतिम होगा।"

धारा १९ के स्थान पर नयी धारा का प्रतिस्थापन

७—मूल अधिनियम की धारा १९ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात्—

वकील

"१९—राज्य सरकार या कोई व्यक्ति, जिसने इस अधिनियम के अधीन कोई दावा किया हो, इस अधिनियम के अधीन किसी जांच या अपील के दौरान में वन बन्दोबस्त अधिकारी या जिला जज के समक्ष अपनी ओर से उपस्थित होने, वकालत करने और कोई कार्य करने के लिये किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है।"

धारा २० का संशोधन

८—मूल अधिनियम की धारा २० की उपधारा (१) के खन्ड (बी) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात्—

"(बी) यदि कोई ऐसे दावे किये गये हैं, तो जब कि ऐसे दावों पर दिये गये आदेशों के विरुद्ध अपील करने के लिये धारा १७ के अधीन सीमित अवधि समाप्त हो गयी हो, और यदि ऐसी अवधि के भीतर कोई अपीलें प्रस्तुत की गयी हों तो वे सभी अपीलें जिला जज द्वारा निपटा दी गयी हों; और"

नयी धार २०—क का रखा जाना

९—मूल अधिनियम की धारा २० के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा रख दी जाय, अर्थात्—

ऐक्ट संख्या ५९, १९४९ उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ८, १९५०

कतिपय वन भूमि या बंजर भूमि रक्षित वन समझी जायगी

"२०-(क) (१) इस अधिनियम अथवा तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में, जिसमें मर्ज्ड स्टेट (लाज) एक्ट, १९४९ या १९५० ई० का उत्तर प्रदेश विलीन रियासतों का (विधियों को लागू करने का) अधिनियम भी सम्मिलित है, या उसके अधीन जारी किये गये किसी आदेश में किसी बात के होते हुए भी, किसी विलीन रियासत की कोई वन भूमि, या बंजर भूमि जो विलयन के दिनांक (जिसे इस धारा में आगे उक्त दिनांक कहा गया है) के ठीक पूर्व —

(क) उक्त राज्य में प्रवृत्त किसी भी विधायन के अधीन रक्षित वन समझी जाती थी ;

(ख) उक्त राज्य के शासक द्वारा तत्समय, प्रवृत्त किसी विधि (जिसमें कोई विधायन, नियम, विनियम, आदेश, विज्ञप्ति, रूढ़ि या प्रथा, जो विधि के समान प्रभावी हो, सम्मिलित है) के अधीन रक्षित वन के रूप में मानी जाती थी या घोषित की गयी थी; या

(ग) जिसके संबंध में शासक के अधिकार के अधीन रखे गये और कार्यान्वित किसी प्रशासकीय प्रतिवेदन में या किसी कार्य-योजना अथवा रोजस्टर के अनुसार रक्षित भूमि के रूप में कार्यवाही की गयी थी,

तो वह उक्त दिनांक से ठीक पूर्व यदि कोई अधिकार या रियायतें किसी व्यक्ति के पक्ष में प्रवृत्त हों उनके अधीन रहते हुए रक्षित वन समझी जायेंगी और उक्त दिनांक से बराबर रक्षित वन बनी रही समझी जायेंगी।"

स्पष्टीकरण १—राज्य सरकार अथवा तदर्थ प्राधिकृत किसी भी अधिकारी का इस आशय का प्रमाण-पत्र कि कोई प्रतिवेदन, कार्य योजना अथवा रजिस्टर शासक के अधिकार से रखा गया था और उस पर कार्यवाही की गयी थी, इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि उसे इस प्रकार रखा गया था और उस पर कार्यवाही की गयी थी।

स्पष्टीकरण २—इस उपधारा में उल्लिखित किसी अधिकार अथवा रियायत के विद्यमान होने अथवा उसके प्रकार अथवा सीमा के संबंध में कोई प्रश्न उठने पर उसका निर्णय राज्य सरकार द्वारा ऐसी जांच के उपरान्त, यदि कोई हो, जिसे वह आवश्यक समझे, होगा, जो अन्तिम होगा।

स्पष्टीकरण ३—कार्य योजना के अन्तर्गत कोई नक्शा (प्लान), योजना, परियोजना (प्रोजेक्ट) मानचित्र, रेखाचित्र, (ड्राइंग) तथा अभिन्यास है जो वन संबंधी कार्य और प्रबन्ध करने के दौरान में कार्य संचालन के लिये तैयार किये गये हों।

(२) उपधारा (१) में उल्लिखित किसी भूमि में या उस पर, उक्त दिनांक को या उसके पश्चात् उत्तराधिकार द्वारा अथवा राज्य सरकार द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से, जिसमें उक्त दिनांक के ठीक पूर्व ऐसा करने का अधिकार निहित था, किसी लिखित अनुदान या संविदा के अधीन अर्जित होने के सिवाय कोई भी अधिकार अर्जित हुआ नहीं समझा जायगा और कृषि या किसी अन्य प्रयोजन के लिये उस समय से किया गया कोई भी नया वनोन्मूलन (शासक द्वारा स्वीकृत और उक्त दिनांक के ठीक पूर्व प्रवृत्त रियायतों के अनुसार या उक्त दिनांक से राज्य सरकार द्वारा तदर्थ बनाये गये नियमों के अनुसार किये गये वनोन्मूलन को छोड़कर) वैध नहीं माना जायगा और न वैध समझा जायगा, चाहे इस अधिनियम में अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में कोई भी बात क्यों न हो।

(३) राज्य सरकार धारा २२ में उल्लिखित प्रकार के किसी प्रबन्ध का पुनरीक्षण इंडियन फारेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९६५ के प्रारम्भ होने के पांच वर्ष के भीतर कर सकेगी और कोई भी प्रासंगिक या आनुषंगिक आदेश जारी कर सकेगी जिसके अन्तर्गत इस आशय का निदेश भी हो सकता है कि इस अध्याय के पूर्ववर्ती उपबन्धों में निर्दिष्ट कोई भी कार्यवाही की जाय।

(४) उपधारा (१) में उल्लिखित किसी भूमि के सम्बन्ध में धारा २४ और २६ में—

(क) धारा २३ के अभिदेश उपधारा (२) के अभिदेश समझे जायेंगे; और

(ख) धारा १४ या धारा १५ के अधीन स्वीकृत, अभिलिखित या जारी रक्खे गए अधिकारों के अभिदेश, उपधारा (१) में उल्लिखित तदनुरूप विधायन, विधि या लेख्य में अथवा उसके अधीन स्वीकृत, अभिलिखित या जारी रक्खे गए चरागाह या वन उपज के अधिकारों के अभिदेश समझे जायेंगे।

(५) उपधारा (१) में उल्लिखित किसी भूमि पर अनधिकृत दखल या अतिचार करने के सम्बन्ध में बेदखली करने, अतिक्रमण हटाने या हानि की पूर्ति कराने के लिए, अथवा किसी वन उपज जिसके सम्बन्ध में कोई वन अपराध हुआ हो अथवा किसी वन विषयक अपराध करने में प्रयुक्त किसी औजार, नावें, छकड़े या ढोरों का अभिग्रहण, समापहरण, निस्तारण या (उसका मूल्य लेकर या बिना मूल्य लिए) सम्मोचन के लिए, की गयी या की जाने वाली किसी भी कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस धारा की किसी बात से, इंडियन फारेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९६५ के प्रारम्भ होने के पूर्व अपराध नहीं था, किसी भी, व्यक्ति को सिद्ध दोष करने का प्राधिकार दिया गया नहीं समझा जायगा।

१०—मूल अधिनियम की धारा २२ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात्—

धारा २२ के स्थान पर नयी धारा का प्रतिस्थापन

"२२—राज्य सरकार धारा १५ के अधीन या धारा १८ के अधीन अपील पर किए गए किसी प्रबन्ध का पुनरीक्षण धारा २० के अधीन किसी विज्ञप्ति के प्रकाशन से पांच साल के अन्दर कर सकेगी और धारा १५ या धारा १८ के अधीन दिए गए किसी आदेश को इस प्रयोजन के लिए विखंडित या संशोधित कर सकेगी, और निदेश दे सकेगी कि धारा १५ में उल्लिखित कोई भी कार्यवाही ऐसी किसी अन्य कार्यवाही के बदल में की जाय, या धारा १२ के अधीन स्वीकृत अधिकारों का धारा १६ के अधीन संराशिकरण किया जाए।"

धारा १५ या धारा १८ के अधीन किए गए प्रबन्ध का पुनरीक्षण करने की शक्ति

११—मूल अधिनियम की धारा २६ की उपधारा (१) में खण्ड (ए) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात्—

धारा २६ का संशोधन

"(ए) धारा ५ द्वारा प्रतिषिद्ध नया वनोन्मूलन अथवा कोई अन्य कार्य करता है, या"

१२—मूल अधिनियम के अध्याय २ में धारा २७ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्—

धारा २७-क का बढ़ाया जाना

"२७-क—एतत्पूर्व की गयी व्यवस्था के सवाय, इस अध्याय द्वारा या इसके अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके किए गए किसी कार्य, दिए गए किसी आदेश या या जारी किए गए किसी प्रमाण-पत्र पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायगी।"

आदेशों आदि की अन्तिमता

१३—मूल अधिनियम की धारा ४१ में, उपधारा (२) के पश्चात् निम्नलिखित नई उपधाराएं बढ़ा दी जायें, अर्थात्—

धारा ४१ का संशोधन

"(२-ए) राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा या तो बिना शर्त के अथवा ऐसी शर्तों के अधीन जो विज्ञप्ति में उल्लिखित की जाय, किसी वन अधिकारी को जो अरण्यपाल (कंजरवेटर) से नीचे के पद का न हो, उपधारा (२) के खण्ड (सी) के अधीन शुल्क नियत करने का अधिकार दे सकती है।

(२-बी) किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी, इंडियन फारेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९६५ के प्रारम्भ होने के पूर्व किसी अरण्यपाल द्वारा बनाया गया अभिप्रेत कोई नियम जिसमें उपधारा (२) के खण्ड (बी) में उल्लिखित पास के सम्बन्ध में शुल्क नियत किया गया हो, उपधारा (२-ए) के अधीन प्रतिनिहित अधिकार के अन्तर्गत बनाया गया समझा जायगा, मानो उपधारा (२-ए) के उपबन्ध सदैव प्रवृत्त रहे हों और वह अरण्यपाल तदधीन यथाविधि प्राधिकृत रहा हो, और उसे वैध समझा जायगा तथा सदैव से वैध होगा, और तब तक प्रवृत्त बना रहेगा जब तक कि यथास्थिति, राज्य सरकार या किसी यथाविधि प्राधिकृत अरण्यपाल द्वारा परिवर्तित, निरस्त या संशोधित न कर दिया जाय:

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की किसी बात से, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व किए गए किसी कार्य के लिए किसी व्यक्ति

को धारा ४२ के अधीन अभियोजित करने या दण्ड देने का प्राधिकार देना नहीं समझा जायगा।"

नयी धारा ६१-क का बढ़ाया जाना

१४—मूल अधिनियम की धारा ६१ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्—

कतिपय अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्तियों को संक्षिप्ततः बेदखल करना

"६१-क—(१) जब कोई न्यायालय धारा २६ की उपधारा (१) के खण्ड (ए), खण्ड (डी) या खण्ड (एच) या धारा ३३ की उपधारा (१) के खण्ड (सी) या खण्ड (एच) के अधीन किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को दोषी ठहराए तो वह निर्णय देते समय उस व्यक्ति को किसी ऐसी भूमि से बेदखल कर दिए जाने का निदेश दे सकता है जिसके सम्बन्ध में अपराध किया गया हो।

(२) कोई अपील या पुनरीक्षण न्यायालय, अपने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपधारा (१) के अधीन दिए गए किसी आदेश को, उस समय तक के लिए स्थगित करने का निदेश दे सकता है जब तक कि वह पूर्ववर्ती न्यायालय द्वारा विचाराधीन रह और ऐसे आदेश में परिष्कार अथवा परिवर्तन कर सकता है या उसे रद्द कर सकता है।"

धारा ७८ का प्रतिस्थापन

१५—मूल अधिनियम की धारा ७८ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

नियमों के सम्बन्ध में अतिरिक्त उपबन्ध

"७८—(१) इस अधिनियम के अधीन सभी नियम गजट में विज्ञप्ति करके बनाए जायेंगे।

(२) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए सभी नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, कुल चौदह दिन की अवधि पर्यन्त रक्खे जायेंगे जो एक सत्र में या अथवा अधिक आनुक्रमिक सत्रों में हो सकता है और जब तक कि कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों तथा अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे जो विधान मण्डल के दोनों सदन करने के लिए सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन सम्बद्ध नियमों के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।"

अपीलों, पुनरीक्षणों आदि, के सम्बन्ध में संक्रमणकालीन उपबन्ध

१६—(१) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व किए गए किसी दावे के विरुद्ध अपीलों के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार तथा प्रक्रिया इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम की धारा १७ तथा १८ के उपबन्धों द्वारा शासित होगी।

(२) मूल अधिनियम, जैसा कि वह इस अधिनियम द्वारा संशोधित होने के पूर्व था, की धारा १७ के अधीन इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व, किसी अपीलीय अधिकारी के समक्ष विचाराधीन कोई अपील उसके द्वारा क्षेत्राधिकार रखने वाले जिला जज को संक्रमित कर दी जायगी और वह एतद्द्वारा संशोधित उक्त अधिनियम की धारा १८ के अधीन ऐसे जज द्वारा निपटाई जायगी।

(३) राज्य सरकार ऐसे क्षेत्रों के सम्बन्ध में, जो निर्दिष्ट किए जायें, गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके, उपधारा (५) तथा (६) में अभिदिष्ट याचिकाओं का निर्णय करने के लिए एक या अधिक न्यायाधिकरण संघटित कर सकती है।

(४) न्यायाधिकरण में एक दीवानी न्यायाधिकरण होगा जो जिला जज के पद से नीचे का न होगा।

स्पष्टीकरण—पद जिला जज के अन्तर्गत अपर जिला जज भी है।

(५) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व पांच वर्ष के भीतर किसी भी समय राज्य सरकार को पुनरीक्षण के लिए प्रस्तुत की गयी कोई ऐसी याचिका, जो मल अधिनियम की, जैसा कि वह इस अधिनियम द्वारा संशोधित होन के पूर्व था, धारा १८ की उपधारा (४) के अधीन दी जानी अभिप्रेत हो, चाहे वह ऐसे प्रारम्भ के दिनांक को राज्य सरकार के पास विचाराधीन हो या उसके द्वारा ऐसे दिनांक के पूर्व उक्त उपधारा के अधीन निर्णीत की जानी अभिप्रेत हो, राज्य सरकार द्वारा, क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायाधिकरण को अभिदिष्ट की जायगी, और वह न्यायाधिकरण, पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् पुनरीक्षण के अधीन आदेश की पुष्टि कर सकता है, उसे रद्द कर सकता है या उसमें परिष्कार कर सकता है, अथवा वाद को ऐसे निदेशों के साथ जो वह उचित समझे, वन बन्दोबस्त अधिकारी के पास वापस भेज सकता है:

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की किसी भी बात से राज्य सरकार के लिए किसी वन अधिकारी द्वारा दी गयी किसी याचिका को जिसे राज्य सरकार चलाना उचित न समझती हो न्यायाधिकरण को अभिदिष्ट करना आवश्यक नहीं समझा जायगा।

(६) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व तीन महीने के भीतर किसी समय मूल अधिनियम की धारा १८ के अधीन दिए गए अपीलीय अधिकारी के किसी निर्णय से क्षुब्ध कोई पक्ष, जब तक कि उसने राज्य सरकार को पुनरीक्षण के लिए ऐसी याचिका पहले ही प्रस्तुत न कर दी हो जो मूल अधिनियम की, जैसा कि वह इस अधिनियम द्वारा संशोधित होने के पूर्व था, धारा १८ की उपधारा (४) के अधीन दी जानी अभिप्रेत हो, उक्त प्रारम्भ के दिनांक के तीन महीने के भीतर उस आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए न्यायाधिकरण को याचिका प्रस्तुत कर सकता है, और तदुपरान्त न्यायाधिकरण याचिका का निपटारा कर सकता है मानो वह उसे उपधारा (५) के अधीन अभिदिष्ट की गयी हो।

(७) एतद्द्वारा संशोधित मूल अधिनियम की धारा २२ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया आदेश अन्तिम होगा।

(८) एतद्द्वारा संशोधित मूल अधिनियम की धारा ११ और २२ में अपील पर दिए गए आदेशों के अभिदेशों के सम्बन्ध में यह समझा जायगा कि उनमें इस धारा के अधीन न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए आदेशों के अभिदेश भी सम्मिलित हैं।

उद्देश्य और कारण

इंडियन फारेस्ट ऐक्ट, १९२७ (ऐक्ट संख्या १६, १९२७) को उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में निम्नलिखित कारणों से और संशोधित करना आवश्यक हो गया है।

अभी तक राज्य सरकार, वन बन्दोबस्त अधिकारी तथा अपीलीय अधिकारी के आदेशों के विरुद्ध ऐक्ट की धारा १८ (४) के अधीन पुनरीक्षण कर रही थी। उच्च न्यायालय ने यह निणय दिया है कि सरकार को धारा २२ के अधीन केवल प्रबन्ध का पुनरीक्षण करने का अधिकार है और धारा १८ (४) के अधीन पुनरीक्षण करने का अलग से कोई अधिकार नहीं है। तदनुसार यह प्रस्ताव है कि भविष्य में वन बन्दोबस्त अधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अपीलें, क्षेत्राधिकार रखने वाले जिला जज द्वारा सुनी जायें तथा सरकार उसके आदेशों के विरुद्ध कोई पुनरीक्षण न करे। यह भी प्रस्ताव है कि राज्य सरकार के विचाराधीन पुनरीक्षण एक ऐसे न्यायाधिकरण द्वारा निस्तारित किए जायें जिसका अध्यक्ष जिला जज हो। दूसरी बात यह है कि भूतपूर्व टेहरी रियासत, जो अब उत्तर प्रदेश में विलीन हो गयी है, के रक्षित वनों का प्रशासन इस समय रक्षित वनों के रूप में किया जा रहा है, किन्तु यह पता चला है कि इससे सम्बन्धित विधि में कुछ कमी रह गयी है। तदनुसार, विलीन रियासतों के ऐसे वनों के लिए एक नयी धारा २०-क बढ़ा कर एक विशेष उपबन्ध बनाने का प्रस्ताव है। तीसरी बात यह है कि सरकार को धारा ३ के अधीन तब भी विज्ञप्ति जारी करने का अधिकार होना चाहिए जब कोई बंजर भूमि हाल ही में तोड़ी गयी हो तथा उस पर अवैध रूप से खेती की गयी हो। चौथी बात यह है कि यद्यपि रक्षित वन तथा संरक्षित वन में अतिचारियों के विरुद्ध अभियोग चलाया जा सकता है, किन्तु दोष सिद्ध होने पर न्यायालय को उनको बेदखल करने का कोई अधिकार नहीं है। अब यह प्रस्ताव है कि एक नयी धारा ६१-क को बढ़ा कर उक्त अधिकार दिया जाय। इसी प्रसंग में कुछ ऐसे अन्य छोटे-मोटे संशोधन भी किए गए हैं जिन्हें आवश्यक समझा गया।

तदनुसार, यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

चरणसिंह,
वन मन्त्री।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ११५ एल० ए०—१९६५—८६२।